बृहस्पतिवार,
१९ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

क्यूबा का प्रतिनिधि-मण्डल

*८७१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा के तीन प्रतिनिधियों का एक मण्डल अभी अभी इस देश में आया था; तथा

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मण्डल का क्या उद्देश्य था ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां । परम श्रेष्ठ श्री सन्टिगो क्लेरटी मार्टी, असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत, के नेतृत्व में तीन प्रतिनिधियों के मण्डल ने गत वर्ष के दिसम्बर में भारत को भेंट दी ।

(ख) वह क्यूबा का अधिकृत सदिच्छा मण्डल था और उस की भेंट का उद्देश्य भारत की सरकार के साथ अधिकृत सम्पर्क स्थापित करना था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त प्रतिनिधि मण्डल ने यहां राजनयिक मण्डल रखने के प्रश्न की भी चर्चा की और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह विषय विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत का कोई राजनयिक मण्डल क्यूबा में है ? यदि नहीं, तो वहां हमारा काम कैसे चलाया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : क्यूबा में हमारा कोई राजनयिक मण्डल नहीं है, किन्तु वहां एक मण्डल नियुक्त करने का विचार हम कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकत हूं कि किस प्राधिकारी के द्वारा हमारा वहां का काम चलाया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम साधारणतः संयुक्त राज्य, अमरीका, स्थित राजदूत के द्वारा व्यवहार करते हैं ।

श्री नाना दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रति निधि मण्डल को आमंत्रण दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर कितना खर्च किया ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह स्पष्ट है कि हम ने आमंत्रण दिया था । अन्यथा वे यहां नहीं आ सकते । किन्तु, श्रीमान्, मैं जानना

चाहता हूं कि प्रतिनिधि मण्डल पर किये गये खर्च को दुनिया के सामने प्रगट करना क्या हमारे लिये उचित होगा ?

श्री के० के० बसु : क्यों नहीं ? वह जनता का पैसा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम अनेक मामलों में वह निर्णय सरकार को सौंपते हैं कि सार्वजनिक हित में किसी विशिष्ट चीज़ को गुप्त रखना चाहिये या नहीं । यह यहां की प्रथा है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या हम खर्च की गई राशि जान सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप के जानने से दुनिया जान जायेगी ।

श्री अनिल के० चन्दा : इस में छिपाने की कोई बात नहीं है । २८६५ रुपये खर्च किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही यह बता सकते थे ।

श्री अनिल के० चन्दा : उन्हों ने कहा: "वह जनता का पैसा है ।"

सामूहिक परियोजनाओं के लिए जनता का सहकार्य

*८७३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनता को सामूहिक विकास के कार्यक्रम में श्रम, धन तथा धान्य द्वारा स्वयं-स्फूर्त सहयोग देने को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही; तथा

(ख) क्या सरकार विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जनता का आवश्यक सहकार्य प्राप्त कर सकी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : सरकारी कार्यवाही का स्वरूप इस प्रकार है :

(१) संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के स्थानिक सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, अगण्य सामाजिक कार्यकर्त्ता, आदि का समावेश कर परियोजना परामर्श समितियां स्थापित करना; तथा

(२) भारत सेवक समाज जैसे अनधिकृत संगठन स्थापित करना; तथा

(३) सामूहिक परियोजना प्रशासन के अधिकारियों, राज्य सरकारों तथा परियोजना कर्मचारियों द्वारा, व्यक्ति, गुट, समूह तथा जनता से सम्पर्क स्थापित करवाना । उक्त सम्पर्क द्वारा यह समझाया जाता है कि सामूहिक विकास कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है और सरकार आवश्यक शिल्पिक सहायता तथा अत्यन्प वित्तीय सहायता दे कर इस में हाथ बटाती है ।

ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिये उचित पारितोषक तथा पुरस्कार देने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

(ख) हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: कौन कौन सी ऐसी संस्थायें हैं जिन्हों ने कि काम्युनिटी प्राजैक्ट में काम करने का वादा किया है और काम कर रही हैं ?

श्री हाथी : मैं विभिन्न संस्थाओं के नाम नहीं बता सकता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकारी ढंग पर या गैर सरकारी ढंग पर कुछ ऐसे कार्यकर्त्ताओं को सरकार की तरफ से आमंत्रित किया गया है कि उन को इस प्राजैक्ट पर काम करने की शिक्षा दी जायेगी ?

श्री हाथी : जी हां ।

श्री दामोदर मैनन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने व्यय का वह अंश निश्चित

किया है जो ऐच्छिक दान से प्राप्त राशि से चुकाया जायेगा । और क्या भविष्य में स्थापित होने वाली परियोजना परामर्श समितियां इस परिमाण में कोई परिवर्तन कर सकेंगी यदि उन की राय में वह परिवर्तन आवश्यक हो ?

श्री हाथी : कोई निश्चित अंश या प्रमाण निर्धारित नहीं किया गया है, किन्तु परियोजना परामर्श समितियां ऐच्छिक दान एकत्रित कर सकती हैं और इस प्रकार परिवर्तन कर सकती हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या योजना मंत्रालय तथा विश्वविद्यालयीन प्राधिकारियों के बीच सामूहिक विकास कार्यक्रम में देश के नवयुवकों की शक्ति का उपयोग करने के हेतु कोई सम्पर्क है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : कौन कौन सी ऐसी संस्थायें हैं जिन्हों ने स्वयं सेवक की रीति से काम करने का वादा किया है और उन को सरकार ने क्या सुविधायें दी हैं ?

पंडित के० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं अपने उस प्रश्न का पुनरुच्चारण करूं, जो माननीय मंत्री के समझ में नहीं आया ? क्या योजना मंत्रालय तथा विश्वविद्यालयीन प्राधिकारियों के बीच, सामूहिक योजनाओं के काम में नवयुवकों के उत्साह का उपयोग करने के हेतु, कोई सम्बन्ध स्थापित हुआ है ?

श्री हाथी : योजना आयोग तथा विश्वविद्यालयों के बीच कोई सीधा पत्रव्यवहार नहीं है । युवक शिविर तथा संगठन अपनी अपनी योजना बना सकते हैं और योजना आयोग इन युवकों का मार्गदर्शन करेगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सामूहिक विकास परियोजनाओं के लिये स्वयंसेवक भर्ती कर रही है; और यदि हां, तो क्या उन्हें कोई भता या मानदेय दिया जाता है ?

श्री हाथी : सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं देती है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ पारितोषक दिये जाते हैं; और यदि हां, तो किन से तथा किन को दिये जाते हैं ?

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जनता सहकार्य की राष्ट्रीय समिति जो गत वर्ष अगस्त में एक बार समवेत हुई थी, उसे पुनः आमंत्रित करने का सरकार का विचार है ?

श्री हाथी : कुछ समय के बाद । मुझे इस बात का ठीक पता नहीं है ।

श्री नामधारी : क्या यह तथ्य है कि अमृतसर जिले के साम्यवादी नेताओं ने जनता को सामूहिक परियोजनाओं में स्वयं-स्फूर्त सेवा करने से रोकने की कोशिश की जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ?

श्री हाथी : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बी० शिवाराव : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा अवैतनिक श्रम की तैयारी प्रगट की जाने पर भी, परियोजनाओं के सरकारी दायित्व की पूर्ति की मंजूरी में विलम्ब हो रहा है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, यह सच है कि प्रारम्भ में मंजूरी में विलम्ब के बारे में शिकायत प्राप्त होती थीं । किन्तु इन की जांच की गई और अब शीघ्रता से काम किया जा रहा है ।

श्री दाभी : क्या मुझे इस सहयोग की मात्रा तथा रूप के बारे में कोई कल्पना दी जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक पुस्तक प्रकाशित की गई है ।

श्री हाथी: मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हम एक त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं और वह सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

श्री पुन्नूस: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सरकार राज्य सरकारों को बेदखली रोकने, किराया कम करने, आदि के लिए विधान बनाने की सूचना दे रही है, जिस से कि सामूहिक योजनाओं में सहयोग देने के लिए जनता को प्रोत्साहन मिले ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो कार्यवाही के बारे में सुझाव है ।

श्री पुन्नूस: जी नहीं ।

श्री हाथी श्रीमान्, यह कार्यवाही के बारे में सुझाव है ।

सरदार ए० एस० सहगल: ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस में वालंटरी तरीके से काम करने की इच्छा जाहिर की है ।

श्री हाथी: भारत सेवक समाज की शाखाओं तथा अन्य युवक संगठनों ने इच्छा प्रगट की है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: जिन लोगों ने स्वयंसेवक की हैसियत से काम करने के लिए वचन दिया, संस्थाओं या व्यक्तियों ने, उन को सरकार क्या सुविधा देती है ?

श्री हाथी: उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता है ।

इमारतों की तफ़सील

*८७४. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** दिसम्बर १९५२ तक पूरी हुई इमारतों का तथा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी होने वाली इमारतों की तफसील देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में कि सरकार की ओर से अथवा सरकार की तरफ से सन् १९४७–४८ से निर्माण की गई इन इमारतों के प्रकार तथा प्रत्येक का निर्माण खर्च बताया गया हो ?

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष आयव्ययक में मंजूर की गई राशि निर्माण कार्य में बराबर खर्च हो जाती है ।

(ग) यदि नहीं, तो कितना पैसा कम या अधिक खर्च होता है और उस के कारण क्या हैं ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जिस प्रकार का विवरण मांगा गया है उस के लिये केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा निर्माण की गई १००० इमारतों की जानकारी का जोड़ लगाना पड़ेगा और वह सारिणी अभी बनाई जा रही है । अगले कुछ दिनों में मैं उसे सदन पटल पर रख दूंगा । और उस में अधिक से अधिक तफसील देने की कोशिश करूंगा जो तुरन्त उपलब्ध हो ।

(ख) तथा (ग). मैं सदन पटल पर एक विवरण रख रहा हूं जिस में १९४७–४८ से १९५१–५२ तक के वित्तीय वर्षों में मंजूर किये गये अन्तिम अनुदान, तत्स्थानी वर्षों में प्रत्यक्ष खर्च की गई राशियां और प्रति वर्ष की बचत बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**

साधारणतः, उपलब्ध कर दी गई राशियां पूरी खर्च नहीं होतीं । खर्च कम होने के कारण भिन्न वर्ष में तथा भिन्न कर्म में भिन्न होते हैं; किन्तु साधारण रूप में निम्न कारण बताये जा सकते हैं :

(१) सम्बन्धित प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा प्रशासकीय अनुमति देने में विलम्ब,

(२) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में विलम्ब,

(३) नक़शों के परिवर्तनों से होने वाला विलम्ब, तथा पहले से सस्ती दरों के कामों के स्वीकार से होने वाला विलम्ब,

(४) अपर्याप्त स्पर्धा के कारण फिर से टेंडर बुलाने में होने वाला विलम्ब, तथा

(५) इस्पात तथा सीमेंट जैसी नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयां।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने इस मद में कितनी रकम मंजूर की है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: श्रीमान्, यह बहुत कठिन प्रश्न है और इस समय कोई सही या निश्चित आंकड़ा तुरन्त नहीं बताया जा सकता क्योंकि उस में विभिन्न मंत्रालयों का सम्बन्ध आता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं पूछ सकता हूं कि जो काम प्राइवेट तरीके से किये जाते हैं, वे सरकार द्वारा कराये हुए काम की निस्बत में बहुत अच्छे और सस्ते होते हैं, इस का क्या कारण है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: श्रीमान्, प्रश्न के पहले हिस्से में जो संकेत अभिप्रेत है उसे मैं स्वीकार नहीं करता, और दूसरे हिस्से में पूछा गया प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार सन्तुलन

*८७५. **श्री के० के० बसु:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में भारत का व्यापार सन्तुलन;

(ख) इस अवधि में अदृश्य आय कितनी है, कौन कौन से देशों से तथा किन मदों में; तथा

(ग) इस अवधि में भुगतान सन्तुलन की स्थिति ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३**]

श्री के० के० बसु: क्या हम जान सकते हैं कि किस प्रमुख वस्तु के कारण भुगतान का सन्तुलन विपरीत रहा ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, बात यह है कि हमारे निर्यातों की कुल राशि हमारे आयातों की कुल राशि से कम रही जिस से सन्तुलन विपरीत हुआ । किसी विशिष्ट वस्तु के कारण सन्तुलन विपरीत नहीं बन जाता ।

श्री के० के० बसु: मैं जानना यह चाहता हूं : क्या ऐसा कोई खास कारण है जिस से कि हमें कुछ विशिष्ट वस्तुओं का सामान्यत: से अधिक मात्रा में आयात करना पड़ता है ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, यह बात तो प्रति वर्ष की परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरणार्थ गत वर्ष रुई का आयात बहुत भारी हुआ । यह सारी बात प्रत्येक वर्षों के परिवर्तनों पर निर्भर होती है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका से आया हुआ जो गेहूं गत वर्ष पाकिस्तान को भेज दिया गया था उसका भी इस में समावेश किया गया है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिए। यदि भेज दिया गया है तो वह निर्यात कहलाएगा ।

श्री के० के० बसु: भाग (ख) के उत्तर के बारे में क्या हमें उस आंकड़े का प्रकारानुसार विश्लेषण मिल सकेगा ?

श्री करमरकर: जी नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी: हमारी व्यापार-विषयक शर्तों की स्थिति कैसी है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

महात्मा गांधी के स्मारक

*८७७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विदेशों के नाम, जहां महात्मा गांधी के स्मारक खड़े किये गये हैं अथवा करने का इरादा है; तथा

(ख) उक्त देशों में के इन स्मारकों का प्रकार अथवा रूप ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४**]

संक्षेप में, स्थिति यह है कि इस समय ब्राजील, बर्मा, बेल्जियन कांगो, श्रीलंका, इथियोपिया, फिजी, इण्डोनेसिया, मौरीशस, मलाया और ब्रिटेन में गांधी स्मारक मौजूद हैं। और अमरीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज और हिन्द चीन में भी स्मारक स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये सारे स्मारक गैर-सरकारी प्रयत्नों के फल हैं अथवा क्या सम्बन्धित देशों की सरकारों ने किसी प्रकार से नई स्मारकों की सहायता की है ?

श्री अनिल के० चन्दा: जहां तक हमें जानकारी है, ये स्मारक गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा खड़े हुए हैं।

श्री एस० एन० दास: इस प्रकार के कितने मामलों में स्मारक के प्रकार तथा रूप के बारे में भारत सरकार से परामर्श किया गया ?

श्री अनिल के० चन्दा: प्राय: किसी मामले में हम से सीधे सीधे परामर्श नहीं किया गया। किन्तु स्वभावत: इन मामलों में हमारे विदेशस्थित दूतावासों ने दिलचस्पी ली।

श्री वैलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री हमें वह स्थान बतला सकेंगे जहां दिल्ली में स्मारक खड़ा किया जाएगा ?

श्री अनिल के० चन्दा: श्रीमान्, मुझे भय है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री आर० के० चौधरी: क्या उपर्युक्त देशों में स्मारक खड़े करने के लिए भारत में निजी व्यक्तियों द्वारा अथवा सरकारी खजानों से कोई चन्दा इकट्ठा किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: इन स्मारकों में से किसी के लिए भारत सरकार ने स्वयं कोई चन्दा नहीं दिया है, किन्तु उस ने कहीं कहीं अल्पस्वल्प खर्च उठाये हैं।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में स्मारक बनाने का कोई प्रयत्न कभी किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा: श्रीमान्, हमने अपनी ओर से कहीं कुछ प्रयत्न नहीं किया। स्थानीय लोगों ने ही इस विषय में अगुवापन लिया, और हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उस से प्रतीत होता है कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया ?

लोहे के टुकड़े (निर्यात)

*८७८. **श्री जसानी:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में भारत से लोहे के टुकड़ों की कितनी राशि किन देशों को निर्यात की गई ?

(ख) इस के निर्यात के फलस्वरूप कितना विदेशीय विनिमय प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५**]

श्री जसानी: विवरण से प्रगट होता है कि प्रति वर्ष लोहे के टुकड़ों के ३३० टन विदेशों को निर्यातित किये गये। क्या मैं जान सकता हूं कि इन का उपयोग हमारे देश में क्यों नहीं किया गया जब कि यहां के रि-रोलिंग के उद्योग लोहे के टुकड़ों की कमी के कारण कठिनाइयां सह रहे हैं?

श्री करमरकर: मैं एक सुधार करना चाहता हूं। यह आंकड़ा प्रति वर्ष का नहीं हैं किन्तु सन् १९५२ का है।

श्री जसानी: इन का उपयोग हमारे देश में क्यों नहीं किया जाता जब कि यहां के रि-रोलिंग के उद्योग लोहे के टुकड़ों की कमी के कारण कठिनाइयां सह रहे हैं।

श्री करमरकर: श्रीमान्, मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र की जानकारी गलत है। आंतरिक उपयोग के लिए प्रर्याप्त रसद सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। वास्तविक कठिनाई यह है कि देश में उपलब्ध सारे लोहे के टुकड़ों का उपयोग करने के लिए आवश्यक बिजली की भट्ठियां देश में नहीं हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारे देश के ग्राहकों को कोई कष्ट न उठाना पड़े। इस समय लोहे तथा इस्पात के हमारे नियंत्रक निर्यात के लिए सामान्यतः कोई अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं। हम परिस्थिति का पुनरीक्षण कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार लोहे के सारे टुकड़ों का भारत म ही उपयोग कर देश में जो लोहे तथा इस्पात की कमी है उसे दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री करमरकर: श्रीमान्, सरकार भाखरा-नांगल तथा हिराकुंड के निकट बिजली की भट्ठियां खड़ी करने का विचार कर रही है जहां की जल-विद्युत योजनाएं पूरी हो जाने पर सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाएगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि १९५२ की जो कुल राशि दी गई है उस में से कौन से देश ने सब से अधिक मात्रा खरीदी है?

श्री करमरकर: ये आंकड़े विवरण में बताये गये हैं। जापान १५५६६१ टन, उस के बाद इटली १०१२२४ टन, और उस के बाद ब्रिटेन ५१७८५ टन।

श्री आर० के० चौधरी: श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि निर्यातों के फलस्वरूप लोहे के टुकड़े निर्यात के देशों की अपेक्षा भारत में महंगे बिकते हैं?

श्री करमरकर: श्रीमान्, हमें इस बात का पता नहीं है।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि लोहे के टुकड़ों की विशाल राशियां केवल यहां भट्ठियां न होने के कारण बाहर भेजी गई?

श्री करमरकर: आंतरिक उपयोग की आवश्यकता से कई गुना अधिक लोहे के टुकड़े देश में उपलब्ध थे; अतः हम ने अतिरिक्त टुकड़े बाहर भेज दिये और इस निर्यात के कारण हमें बहुमूल्य विदेशीय विनिमय प्राप्त हुआ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या इस देश में इस्पात का उपादन करने के लिए हम कच्चे माल का आयात करते हैं?

श्री करमरकर: जहां तक मुझे मालूम है, नहीं।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार फ़रनेस बनाने के लिए जो लोग और फर्मस् ज्यादा उत्साहित हैं उन को यह काम देने की कृपा करेगी....

श्री करमरकर: अगर इस काम को अंडरटेक करने के लिये हमें वाकई रिलाएबुल और उत्साहित लोग मिलेंगे, तो हमें जरूर उन को यह काम देंगे।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, क्या सरकार को विदित है कि अन्दमान में लोहे तथा इस्पात के टुकड़ों की विशाल राशियां बेकार पड़ी हैं? क्या सरकार उचित उपयोग के लिए उन्हें एकत्रित करने की किसी योजना का विचार कर रही है?

श्री करमरकर: यदि अन्दमान में टुकड़ों की बड़ी राशि होगी और यदि वे टुकड़े किसी काम के लायक होंगे, तो उन का उपयोग करने में सरकार को खुशी होगी।

अभ्रक उद्योग में मंदी

*८७९. **श्री जजवाड़े :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभ्रक उद्योग में आई हुई मंदी के क्या कारण हैं तथा भारत सरकार उस उद्योग को स्थिर करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इस कथन के लिए कोई आधार नहीं है कि अभ्रक उद्योग में वास्तविक मंदी आई हुई है। अगर १९५१-५२ के वर्ष को छोड़ दिया जाय जब कि संग्रह करने के दिन थे और अभ्रक की मांग बहुत बढ़ गई थी, बाद के वर्षों में अभ्रक का निर्यात एक अच्छे स्तर पर स्थिर है।

इस में शक नहीं है कि अब बाज़ार विक्रेताओं के हाथ से निकल जाने के कारण खरीदार लोग अभ्रक की किस्म सुधारने की मांग कर रहे हैं।

सरकार को सलाह दी गई है कि इस उद्योग को स्थिर करने के लिए अभ्रक के वर्गीकरण का सर्वमान्य प्रमाण निश्चित कर निर्यात के अभ्रक की किस्म में सुधार करनी चाहिए। इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। अन्य सुझावों में से कुछ इस प्रकार है :

(१) निर्यात व्यापार हाथ में लेने के लिए एक केन्द्रीय संगठन का निर्माण;

(२) अभ्रक के बेकार टुकड़ों के निर्यात पर बन्दी लगाना; तथा

(३) देश में अभ्रक के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए गवेषणा कार्य का विस्तार।

इन सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री जजवाड़े : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात होता है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: लगभग सारा, श्रीमान्।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अभ्रक का उपयोग भारत में ही करने के लिए, विशेषत: विद्युत् उद्योग में करने के लिए, और इस तरीके से अभ्रक के उद्योग का निर्यातकों की लहरों पर अवलम्बन रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, अभ्रक के उपयोग का प्रश्न तब उपस्थित होगा जब बड़े पैमाने पर विद्युत उद्योग आरम्भ हो जाएंगे। जिन उद्योगों में अभ्रक की आवश्यकता होती है वे तो उस का उपयोग

कर ही रहे हैं किन्तु इस के आंकड़े हमारे निर्यात के आंकड़ों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। हमारी आंतरिक उपभोग की राशि वास्तव में अति अल्प है।

श्री केलप्पन: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि अभ्रक के बेकार टुकड़ों के निर्यात का अभ्रक के घज्जियों तथा ठप्पों के निर्यात पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य ने पहले एक बार भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था जिसका मैंने उत्तर दिया था। कुछ लोगों का प्रतिपादन है कि अभ्रक के बेकार टुकड़ों के निर्यात का अभ्रक के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह विदित हुआ है कि कुछ देशों में अभ्रक के टुकड़ों की बुकनी बना कर मिलावट से अभ्रक के तख्ते निर्माण किये जाते हैं। मैं ने उस समय माननीय सदस्य से कहा था कि अभ्रक के बेकार टुकड़ों की हमारे देश से निर्यात होने वाली अत्यल्प मात्रा को देखते हुए और इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुए कि दुनिया में अन्यत्र भी अभ्रक के बेकार टुकड़े उपलब्ध हैं, हम ने सोचा था कि इस प्रश्न की अधिक छानबीन होनी चाहिए। वह छानबीन अभी जारी है।

श्री नानादास: श्रीमान्, क्या हम जान सकते हैं कि क्या सरकार ने हंगेरी, रूस तथा अन्य देशों में अभ्रक के नये बाज़ारों की खोज की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, हमारा अनुमान है कि कुछ बाज़ार मौजूद हैं। मेरी राय में, हम रूस को कभी कभी कुछ अभ्रक निर्यात भी करते हैं। किन्तु, श्रीमान्, अन्य देशों में बाज़ार होने की संभावनाओं का मुझे पता नहीं।

श्री एन० पी० सिन्हा: माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सरकार एक केन्द्रीय व्यापार मण्डली स्थापित करने का विचार कर रही है। यह मण्डली कब तक स्थापित हो जाएगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे भय है कि माननीय सदस्य ने मेरे कथन का आशय ठीक तरह नहीं समझा। मैं ने केवल इतना ही कहा कि कुछ लोगों द्वारा ये सुझाव रखे गए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

श्री रघुरामय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि जापान को निर्यात होने वाली अभ्रक के निर्यात की राशि युद्धपूर्व स्तर तक पहुंच चुकी है अथवा पहुंचने की संभावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिए।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं मेरे अनुपूरक प्रश्न को दिये गये उत्तर के बारे में यह जान सकता हूं कि देशी उद्योगों में कितना अभ्रक उपयोग में लाया जाता है तथा इस राशि का इस देश के कुल उत्पादन से क्या प्रमाण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिए।

श्री गोपाल राव: इस तथ्य की ओर ध्यान रखते हुए कि यह एक सामरिक महत्व की बहुमूल्य वस्तु है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपने ही देश में उद्योगों के विकास के लिए अभ्रक का उपयोग करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर द्वारा पूछा गया प्रश्न ही दूसरे प्रकार से पूछा जा रहा है। जब इस देश में विद्युत उद्योग बढ़ जाएंगे तब स्वभावत: यहां उत्पन्न होने वाले अभ्रक का इसी देश में उपयोग किया जाएगा।

श्री० जी० पी० सिन्हा: क्या सरकार को विदित है कि बिहार में अनेक अभ्रक

खदानों ने उत्पादन बन्द कर दिया है क्योंकि उनके माल की बिक्री नहीं हो रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुख्य प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उस से प्रस्तुत कथन को आधार नहीं मिलता ।

मोटर उद्योग की परीक्षा के लिये जर्मन विशेषज्ञ

*८८१. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने मोटर उद्योग की परीक्षा के काम में तटकर आयोग की सहायता करने के लिए किन शर्तों तथा निबन्धनों पर जर्मन विशेषज्ञ नियुक्त किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रख रहा हूं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ की सलाह के फलस्वरूप मोटर उद्योग में कौन कौन से परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे भय है कि प्रस्तुत विशेषज्ञ मोटर उद्योग में परिवर्तन करने के बारे में सलाह देने के लिए नहीं आया है । वह एक विशिष्ट तथा मर्यादित उद्देश्य के लिए आया है । यह उद्देश्य सदन को विदित है क्यों कि सदन के सामने इस के लिए अनुपूरक मांग रखने के समय मैं ने इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया था । वह तटकर आयोग को केवल संरक्षण तथा अन्य सहायक एवं आनुषंगिक बातें तय करने में तटकर आयोग को सलाह देने के लिए लाया गया था । ये बातें अभी तटकर आयोग के विचाराधीन हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त विशेषज्ञ पहले कभी जर्मन सरकार की सेवा में था अथवा किसी निजी संस्था से संलग्न था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत के लिए रवाना होने के पहले वह एक संस्था की नौकरी में था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विशिष्ट विशेषज्ञ को ऐसे मोटर उद्योग को सुधारने का कोई अनुभव है जहां केवल पुर्जे जोड़े जाते हैं तथा जो स्थानीय तथा विदेशी पूंजी द्वारा संचालित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है ? यह बात अप्रासंगिक है कि पूंजी यहां की है अथवा वहां की । माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल में केवल जानकारी पूछना चाहिये; चर्चा नहीं करनी चाहिए । इस का कोई महत्व नहीं कि पूंजी 'क्ष' की है या 'य' की । वे केवल इतना ही पूछ सकते हैं कि विशेषज्ञ को जिस काम के लिए बुलाया है उस में वह पारंगत है अथवा नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : यहां प्रश्न यह है . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : हम सारे प्रश्नों में नहीं जा रहे हैं । क्या माननीय मंत्री कोई उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि प्रश्न क्या था ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि यह विशेषज्ञ लागत लेखा परीक्षण में पारंगत है अथवा उत्पादन कला में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे बताया गया है कि वह कुशल एंजीनीयर है । मुझे मालूम नहीं कि एंजीनीयर की अर्हताओं में लागत के लेखापरीक्षण का ज्ञान समाविष्ट है अथवा नहीं ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ को क्या वेतन मिलता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह जानकारी ववरिण में दी गई है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि जर्मन लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मोटर-निर्माता हैं और इसीलिए जर्मनीसे विशेषज्ञ बुलाया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं ।

लोहे तथा इस्पात के लिये स्थानापन्न

*८८२. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में भवन-निर्माण के कामों में जो लोहे तथा इस्पात की कमी निरन्तर महसूस होती है उसे दूर करने के लिए क्या कोई स्थानापन्न या विकल्प पाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): अभी तक किसी संतोषजनक स्थानापन्न का पता नहीं लगा है ।

श्री झूलन सिन्हा : दिये गये उत्तर को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि लोहे तथा इस्पात की कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से पग, यदि कोई हों, उठाये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने कहा है, जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को ज्ञात है, कोई स्थानापन्न लोहे तथा इस्पात का स्थान नहीं ले सकता । यदि लोहे तथा इस्पात के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग के बारे में, उदाहरणार्थ, गृह-निर्माण के बारे में प्रश्न पूछना है तो वह गृह-व्यवस्था के प्रभारी मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि टेलिग्राफ के तारों के खम्बों के लिए लोहे तथा इस्पात के स्थान में लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी राय में इस काम के लिए लकड़ी का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसी प्रकार पक्का किया हुआ कंकरीट भी, जिस में लोहे तथा इस्पात का प्रमाण अत्यल्प रहता है, उपयोग में लाया जा रहा है ।

कपड़े का उत्पादन

*८८३. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ की तुलना में सन् १९५२ में कपड़े के उत्पादन में हुई सुधार की मात्रा; तथा

(ख) उस वर्ष में कपड़े के भावों के स्तर में हुआ हुआ परिवर्तन ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५१ के ४०७६० लाख गजों की तुलना में सन् १९५२ में ४६०८० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री झूलन सिन्हा : इस समय कपड़े का उत्पादन कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सन् १९५२ में कपड़े का उत्पादन ४६०८० लाख गज था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस में हाथ करघे का बनाया हुआ कपड़ा भी स्माविष्ट है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं । यह तो केवल मिलों का उत्पादन है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : धोतियों तथा साड़ियों का कुल उत्पादन कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कपड़े के उपयोग में कोई वृद्धि हुई है ? यदि है, तो कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि कैलिफोर्निया के कुछ व्यापारियों द्वारा लगभग १ करोड़ रुपए की दूषित रुई भेजी जाने के कारण क्या सूती कपड़े की कीमतों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ऐसा नहीं लगता ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष कपड़े के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : गत वर्ष कपड़े के निर्यात की राशि ६००० लाख गजों से कुछ कम थी । यह इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता कि इस वर्ष कितना कपड़ा निर्यात होगा ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विदित है कि कुछ कपड़ा उत्पादकों ने कुछ अमरीकी फर्मों तथा जहाज़ कंपनियों के विरुद्ध १० लाख डालर मूल्य की दूषित रुई भेजने के सम्बन्ध में दावे दाखिल किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, वास्तव में ये दावे मिल मालिकों द्वारा नहीं दाखिल किये गये हैं बल्कि बीमा कम्पनियों द्वारा । कुछ भारतीय तथा विदेशी बीमा कम्पनियों ने जिन्होंने अमरीका से कपड़े के आयात का बीमा किया था, मूल व्यापारियों के विरुद्ध दावे दाखिल किये है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बताया कि कपड़े के उत्पादन की वृद्धि के विषय में उन्होंने जो आंकड़ा बताया उस में हाथ करघे का उत्पादन समाविष्ट नहीं है । क्या मैं उन से जान सकता हूं कि कपड़े में हाथ करघे के कपड़े का समावेश क्यों नहीं होता ? क्या इस का कारण यह नही हैं कि कुल उत्पादन घट गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मेरे दिये हुए आंकड़ों में केवल मिलों के उत्पादन का समावेश होता है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं इसी वर्ष, अर्थात् १९५१–५२, के हाथ करघे के कपड़े के उत्पादन की राशि जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं । बेचे गए सूत के आधार पर मैं कुछ अनुमान कर सकता हूं । प्राक्कलन जोड़ना भी कुछ कठिन सा है । यदि माननीय सदस्य प्रश्न लिख भेजेंगे, तो मैं उस का उत्तर दूंगा ।

समाचार पत्रों का कागज़

***८८५. श्री एल० जे० सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सन् १९५३–५४ में भारत में समाचार पत्रों के कागज़ की प्राक्कलित आवश्यकता की राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : ६० से ७० हज़ार टनों के बीच ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि समाचार पत्र के कागज़ की प्राक्कलित आवश्यकता से कितना आयात किया जाएगा तथा कितना भारत में बनेगा ?

श्री करमरकर: इस समय तो सारी आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है किन्तु आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक नेपा मिल में कागज़ का उत्पादन कुछ हद तक शुरू हो जाएगा ।

श्री एल० जे० सिंह : समाचार पत्र के उस कागज़ का मूल्य क्या होगा जो बाहर से लाया जाएगा ।

श्री करमरकर: मुझे बताया गया है कि उक्त कागज़ की विद्यमान कीमतें लगभग प्रति टन ५३ पौंड (रीलों की) तथा प्रति टन ५८ पौंड (तख्तों की) हैं ।

श्री एल० जे० सिंह: क्या देश को समाचार पत्र के कागज़ के बारे में स्वयंपूर्ण बनाने का विचार किया जा रहा है ? इस विषय में सरकार की नीति क्या है ?

श्री करमरकर : हम एक मिल को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और, जैसा कि मैंने कहा है, इस वर्ष के अन्त तक वहां कुछ उत्पादन शुरू होने की संभावना है। हम ने उसे कुछ सहायता दी है और मध्य प्रदेश की सरकार इस योजना को चला रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम अभी डालर क्षेत्र से समाचार पत्र का कागज़ आयात कर रहे हैं और क्या अब रूस से इस कागज़ का आयात किये जाने की संभावना है जहां वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ?

श्री करमरकर: समाचार पत्र के कागज़ के आयात की अनुज्ञप्तियां सब क्षेत्रों के लिए दी जाती हैं । इस समय अधिकतर कागज़ सुलभ मुद्रा क्षेत्र से आता है, किन्तु समाचार पत्र का कागज़ किसी क्षत्र से आया तो हम उस के स्वागत के लिए तैयार हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष समाचार पत्र के कागज़ की कीमतों में वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर: सितम्बर १९५१ में वह प्रति टन ११५ से १२० पौंड थी जब कि १९५० की तत्स्थानीय अवधि में वह प्रति टन ४० से ५० टन थी । किन्तु अब कीमतें कम हो रही हैं।

श्री एल० जे० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि १९५३–५४ में आयात किये जाने वाला कागज़ १९५२–५३ से कम होगा या अधिक ?

श्री करमरकर: वह अधिक होने की संभावना है; किन्तु रसद अपर्याप्त होने पर हम उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

यंत्रों के औजारों का कारखाना

*८८६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **उत्पादन** मंत्री बंगलोर के निकट जलाहाली में यंत्रों के औजारों का कारखाना खोलने के बारे में भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति तथा एक स्विस फर्म के बीच हुए करार की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कारखाने के लिए इमारतें बन गई है;

(ख) क्या इस कारखाने के लिए जो प्रांगण तथा इमारतें बनाई गई हैं उन पर किया गया खर्च पूंजी में जमा कर लिया गया है;

(ग) उक्त फर्म के नाम जो १५ प्रति शत शेअर रखे जाने वाले हैं उनका पैसा क्या सरकार उस फर्म को देने वाली है;

(घ) क्या आवश्यक यंत्रसामग्री आयात की गई है; तथा

(ङ) यदि हां, तो उस की आयात लागत क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): स्विस फर्म के साथ किये गये करार की प्रधान शर्तें बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

करार की प्रति लिपि संसद् के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है।

(क) उक्त कारखाना अभी हाल में उन गोदामों में खड़ा किया जाएगा जिन का निर्माण अभी पूरा हो रहा है।

(ख) हां।

(ग) कम्पनी की निर्गमित तथा प्रार्भित पूंजी के १० प्रतिशत शेअर ओयरलिकन की फर्म द्वारा खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, कारखाने में उत्पादन शुरू हो जाने पर कंपनी के ५ प्रति शत शेअर सरकार द्वारा ओयरलिकन को उस के यंत्रों के औजारों के निर्माण की अनुज्ञप्ति हस्तांतरित कर देने के बदले में बिना मूल्य दिये जाएंगे।

(घ) तथा (ङ). कारखाने के लिए लगभग १ करोड़ रुपए की यंत्रसामग्री का आर्डर विदेशों में दे दिया गया है। यंत्रसामग्री का जहाजों पर चढ़ाना शुरू हो गया है और कुछ तो जलहाली में पहुंच चुकी है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: इस बात को देखते हुए कि इसी प्रकार की शलीरेन्स नामक कंपनी के साथ किए गए करार की शर्तें इस देश में नहीं अपितु स्वित्जरलैंड में प्रवर्तनीय थीं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस करार की शर्तें इस देश में प्रवर्तनीय हैं अथवा उन के देश में ?

श्री के० सी० रेड्डी: वे इस देश में प्रवर्तनीय हैं; किन्तु यदि हमारे तथा उन के बीच कोई झगड़ा खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थ को सौंपने का उपबन्ध करार में रखा गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: इस उद्योग में सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई जाएगी ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं; फिर भी मैं उत्तर देने का साहस कर सकता हूं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस कारखाने के निर्माण में सरकार द्वारा अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है, तो इस कम्पनी की निर्गमित पूंजी ३ करोड़ की है और अब तक सरकार द्वारा यंत्रसामग्री के वास्ते १ करोड़ रुपए का आर्डर दिया गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी खड़े हुए.....

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सौ सवाल पूछना चाहते होंगे। मुझे तो प्रश्न पूछने का अवसर सारे सदस्यों में बांटना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि जलहाली को आये हुए विशेषज्ञों के लिए क्या इस समय कोई काम नहीं है और क्या उन्हें समय से पूर्व बुलाया गया है और क्या वह निमंत्रण कुछ दिन के लिए लम्बित रखा जा सकता था ? क्या यह तथ्य है कि इन में से अनेक विशेषज्ञों के लिए पर्याप्त काम नहीं है और वे अपना समय आलस्य में गंवा रहे हैं।

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे भय है कि माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है।

श्री के० के० बसु: प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के बारे में क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जिन से माल आयात हुआ तथा क्या मैं जान सकता हूं कि माल की अच्छाई का प्रमाणपत्र किसने दिया ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रश्न के उत्तरार्द्ध के जवाब में यह बताया जा सकता है कि ओयरलिकन कंपनी ने माल की अच्छाई का प्रमाणपत्र दिया है। जिन देशों से माल आयात किया गया उन के बारे में यह बताया जा सकता है कि वह यूरोप के तथा अन्य विभिन्न देशों से मंगवाया गया।

श्री एम० एल० द्विवेदी : विवरण में कहा गया है कि कारखाने में होने वाले उत्पादन के संचालन तथा अधीक्षण के लिए ओयरलिकन फर्म उत्तरदायी होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि कम्पनी के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : संचालक मण्डली के हाथ में प्रबन्ध होगा।

श्री जोशिम अलवा : क्या सरकार को मालूम है अथवा उस ने मालूम करने की कोशिश की है कि इजराइली सेना के मुकाबले में मिस्र की सेना की जो हार हुई उस के बारे में मिस्र की सरकार को हथियार बेचने वाली इस प्रधान फर्म की क्या चालें थीं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस फर्म के मिश्री सरकार के साथ के सम्बन्ध विदित नहीं हैं। किंतु यंत्रों के औजारों के उत्पादन के क्षेत्र में यह फर्म अग्रगण्य फर्मों में से एक है।

श्री के० के० बसु : मध्यस्थ का उपबन्ध अनुपयुक्त साबित होने पर करार में किस कार्यवाही का प्रबन्ध किया गया है ? विवाद्य विषय में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार किस देश को होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : यदि माननीय सदस्य सदन के पुस्तकालय में रखी गई करार की प्रतिलिपि देखेंगे तो उन्हें उत्तर मिल जाएगा। किन्तु मैं नहीं समझता कि जहां तक मुझे मालूम है, यह मामला किसी न्यायालय को सौंपा जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के बारे में, क्या मैं जान सकता हूं कि आयातित यंत्रसामग्री के अलावा क्या कोई स्थानीय यंत्रसामग्री भी प्राप्त की गई है और क्या कुछ स्थानीय फर्मों ने अपनी यंत्रसामग्री सरकार को बेचने की इच्छा प्रगट की है क्योंकि अब वे नष्ट हो जाने वाली हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे किसी विशिष्ट प्रस्ताव का पता नहीं है। किन्तु इसी देश में उपलब्ध सारी यंत्रसामग्री की परीक्षा की गई है, और सदन की जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि कारखाने के लिए मरम्मत के कुछ यंत्र यहां खरीदे गये हैं।

निलोखेरी विकास मण्डली

*८८७. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में निलोखेरी विकास मण्डली को कितने अनुदान तथा ऋण दिये गये हैं ?

(ख) गत दो वर्षों में इस संस्था का वार्षिक आयव्ययक क्या था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) निलोखेरी के लिए कोई विकास मण्डली नहीं है। यह बस्ती सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है।

(ख) १९५१-५२ १२,२९,७१० रुपये
१९५२-५३ ८,५२,००० रुपये

श्री के० सी० सोधिया : इस बस्ती की कुल आबादी क्या है ?

श्री हाथी : लगभग ५०००.

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि निलोखेरी में चलने वाले अनेक उद्योग अब बन्द हो गये हैं ?

श्री हाथी : मैं प्रश्न का अर्थ समझ नहीं पाया।

श्री नम्बियार: क्या निलोखेरी में चलने वाले अनेक उद्योग अब बन्द हो गये हैं ?

श्री हाथी : वे चलते ही आये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : निलोखेरी में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

श्री हाथी : ९५ लाख रुपए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि निलोखेरी से सरकार के अलावा अन्य कोई व्यक्ति माल खरीद सकता है ?

श्री हाथी: मेरी राय में अन्य अनेक लोग भी वहां माल खरीदते हैं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि अनेक उद्योगों के बन्द हो जाने से क्या निलोखेरी में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो साधारण प्रशासन का प्रश्न है, जिस की समीक्षा यहां नहीं हो रही है ।

यंत्र आदि को चिकनाने के तेल (ल्युब्रिकेंट्स)

*८८८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में यंत्र आदि को चिकनाने के तेल बनाने वाली फर्में कितनी हैं ?

(ख) उन में से कितनों में विदेशी पूंजी लगी हुई है और प्रत्येक में विदेशी पूंजी की राशि क्या है ?

(ग) उन में से कितनी फर्में अपने उत्पादन कार्य में वनस्पती जन्य तेलों का उपयोग करती हैं ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) से (ग). आसाम ऑइल कंपनी यह यंत्र आदि को चिकनाने के तेल बनाने वाली एकमेव संस्था है। वह अपने उत्पादन कार्य में अल्प मात्रा में वनस्पति जन्य तेल का उपयोग करती है। उस में लगी हुई ४ लाख पौंड की निर्गमित पूंजी पूरी तौर पर विदेशी है। परन्तु इस के अलावा कुछ फर्में विदेशों से आधारभूत तेल आयात करती हैं और वनस्पतीजन्य तेल आदि स्थानीय उपलब्ध वस्तुओं से उस की मिलावट कर के विभिन्न प्रकारों के चिकनाने के तेल बनाती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि विदेशों से कितनी राशि आयात की जाती है और उस के लिये कितना विदेशीय विनिमय लगता है ?

श्री बुरागोहिन: १९५१-५२ में चिकनाने के तेल के ३४० लाख गैलन आयात किये गये और उस में २१७ लाख रुपए खर्च हुए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस उत्तर से स्पष्ट है कि यहां कोई चिकनाने का तेल पैदा नहीं होता है; किन्तु क्या मैं जान सकती हूं कि इस उद्योग के बारे में योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए, क्या वनस्पती तेल से चिकनाने के तेल बनाने की दिशा में कोई कदम उठाया गया है ?

श्री बुरागोहिन: मैं ने बताया है कि आसाम ऑइल कंपनी इस देश में चिकनाने के तेल बनाती है किन्तु अधिक मात्रा में नहीं। यह स्पष्ट है कि शेष राशि आयात की जाती है। जहां तक वनस्पतीजन्य तेल के उपयोग का सवाल है, आधारभूत तेल आयात कर उस के साथ वनस्पतीजन्य तेल की मिलावट करना अधिक सस्ता पड़ता है। वस्तुतः, युद्ध काल में इस का प्रयोग किया था और वनस्पतीजन्य तेल को स्थानापन्न के रूप में उपयोग में लाया गया था किन्तु युद्ध के बाद यह प्रयोग बन्द कर दिया गया।

श्री आर० के० चौधरी: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में चिकनाने के तेल बनाने

वाली फर्मों में क्या कुछ भारतीय अंशभागी हैं और उन का प्रति शत प्रमाण क्या है ?

श्री बुरागोहिन : आसाम ऑइल कम्पनी ही एकमेव संस्था है जो ये तेल बनाती है और उसकी सारी पूंजी विदेशी है। यह मैं बतला चुका हूं।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी बीच उहोंने देशी पूंजी को आमंत्रण दिया है। क्या वे अपनी संस्था में भारतीय अंशभागियों को प्रवेश देने के लिए तैयार हैं ?

श्री बुरागोहिन : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में चिकनाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा चुकी है अथवा उठाने का विचार कर रही है ?

श्री बुरागोहिन : सरकार भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा तथा इस कार्य में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों द्वारा तेल के नये स्रोत खोजने की पूरी कोशिश कर रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार पंच वर्षीय योजना के इस अंग में परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि मंत्री ने कहा है चिकनाने के तेल देश में बनाना मेहंगा पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही का सुझाव है।

श्री वी० पी० नायर : क्या आसाम ऑइल कंपनी चिकनाने के खनिज तेल भी बना रही है ?

श्री बुरागोहिन : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य चिकनाने के खनिज तेल का अर्थ क्या करते हैं ?

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, माननीय मन्त्री को इस के अर्थ का पता लगाना चाहिए। चिकनाने के सारे तेलों में, खनिज तेलों से बने हुए चिकनाने के तेलों का उपयोग सब से अधिक किया जाता है। किसी वैज्ञानिक ज्ञानकोश से उन्हें चिकनाने के खनिज तेलों का अर्थ मालूम हो सकता है।

श्री बुरागोहिन : यदि मुझे स्पष्टीकरण करने दिया जाय, तो चिकनाने का तेल यह कोई स्वयंभू वस्तु नहीं है। यह पेट्रोलियम से नहीं बनती। अन्य वस्तुओं की उत्पादन-प्रक्रिया में पैदा होने वाली यह एक गौण वस्तु है। इसी रूप में वह डिग्बोई में बनती है और वह चिकनाने का खनिज तेल ही है।

केन्द्रीय लोक कर्म विभाग की एंजीनीयरिंग स्थापनाओं की वर्गीकृत सूची

*८८९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९५० में १ जनवरी १९४९ तक सुधारी हुई केन्द्रीय लोक कर्म विभाग की एंजीनीयरिंग स्थापनाओं की वर्गीकृत सूची प्रकाशित हुई थी;

(ख) केन्द्रीय एंजीनियरिंग सेवा की दूसरी श्रेणी में अस्थायी सहायक एंजीनीयर नियुक्त किये गये विस्थापित अधिकारियों का अलग वर्गीकरण क्यों किया गया था;

(ग) क्या यह सूची अद्यावत् थी;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, ऐसी सूची प्रकाशित करने के क्या कारण थे जो अद्यावत् नहीं थी; तथा

(ङ) अद्यावत् सूची कब प्रकाशित की जाने की अपेक्षा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : क) जी हां।

(ख) इन अधिकारियों का अलग वर्गीकरण किया गया क्योंकि सूची मुद्रणालय में भेजने के समय तक उक्त अधिकारियों की वरिष्ठता तय करने के तत्व निश्चित नहीं हुए थे ।

(ग) उक्त सूची १ जनवरी १९४९ तक सुधारी हुई थी जैसा कि सूची में ही बताया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अप्रैल, १९५३ के अन्त तक ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने दर्जा, सेवा की शर्तें, वेतन आदि के बारे में इन अधिकारियों द्वारा किये गये दावों का निर्णय किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सूची अद्यावत् होगी । सूची के प्रकाशन का दावों के निर्णय के साथ वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन सूचियों के प्रकाशन में अमर्यादित विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को स्मरण दिलाऊंगा, कि कुछ समय के पूर्व एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मैं ने ये कारण उन्हें बताये हैं । यदि वे उन का पुनरुच्चारण चाहते हैं तो मुझे वैसा करने में कोई आपत्ति नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : पिछले समय इसी विषय में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि इस सूची में जो अनियमितताएं तथा गलतियां रह गई हैं उन्हें हटाने के लिए सूक्ष्म परीक्षा की जाएगी । मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हों ने वह कर ली है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां । इसी कारण से इस काम में विलम्ब हुआ है और जनवरी में यह सूची प्रकाशित करने के मेरे आश्वासन के बावजूद वह अब अप्रैल में प्रकाशित हो रही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : भाग (ख) के उत्तर के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न बहुत व्यापक है । अनेक शिकायतें की गई होंगी । प्रत्येक शिकायत के निबटारे के बारे में मुझ से जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब तक वे कुछ विशिष्ट शिकायतों का उल्लेख नहीं करते ।

गंडक घाटी परियोजना

*८९०. **श्री बी० एन० राय :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक घाटी योजना का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जाएगा; तथा

(ख) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस परियोजना के लिए विशेष अनुदान देने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पंच वर्षीय योजना में इस परियोजना का समावेश नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार का यह आग्रह था कि बिहार सरकार पंच वर्षीय योजना में गंडक घाटी परियोजना या कोसी परियोजना में से किसी एक का समावेश करें ?

श्री हाथी : यह विवशता का प्रश्न था। दो में से किसी एक को समावेश के लिए पसन्द करने को उन्हें कहा गया था।

श्री बी० एन० राय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस परियोजना के लिए भाखरा-नांगल, दामोदर, आदि प्रमुख परियोजनाओं की अपेक्षा कम पूंजी की आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इस योजना का समावेश किया जाना चाहिये ?

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि भारत की सारी परियोजनाओं में से यह सब से सस्ती है ?

श्री हाथी : हो सकती है ।

भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की वस्तुयें

*८९२. **श्री एच० एस० प्रसाद :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नेपाल से भारत में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं ।

(ख) नेपाल भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९**]

हाथ करघा उद्योग

*८९४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाथ करघा उद्योग के विकास के लिए हाथ करघा निधि से पंजाब सरकार को दी गई राशि; तथा

(ख) अखिल भारतीय हाथ करघा मण्डली पर पंजाब राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पंजाब सरकार को इस उद्देश्य के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया। आगे चल कर मैं यह बता सकता हूं कि सन् १९४९–५० में हाथ करघा विकास निधि से पंजाब सरकार को देने के लिये ३९,५५५ रुपए की राशि मंजूर की गई थी किन्तु उक्त राशि का भुगतान नहीं हुआ क्योंकि संबन्धित राज्य सरकार द्वारा कोई मांग नहीं की गई ।

(ख) विद्यमान अखिल भारतीय हाथ करघा मण्डली में पंजाब का कोई सदस्य नहीं है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि हाथ करघा मण्डली के सदस्य कैसे नियुक्त किये जाते हैं ? क्या राज्य सरकारों द्वारा उन का नाम निर्देशन होता है अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन का नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। उन्हें अपने हाथ करघा उद्योग विषयक ज्ञान के आधार पर भर्ती किया जाता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं यदि माननीय मंत्री को जलंधर ज़िले के आदमपुर स्थित अखिल भारतीय चरखा संघ से किसी अनुदान के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि मण्डली में हाथ करघे के बुनकरों की संगठित संथाओं के कुछ प्रतिनिधि समाविष्ट किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मण्डली में जो गैर-सरकारी सदस्य हैं वे हाथ करघा उद्योग के क्षेत्र में ख्यातनाम कार्यकर्ता हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या पंजाब हाथ करघा उद्योग के लिए कोई निधि न पाने वाला एकमेव राज्य है; अथवा आसाम का भी वही भाग्य है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य कृपया आसाम के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पंजाब के बारे में है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जानना चाहता था कि क्या पंजाब हाथ करघा उद्योग के लिए कोई निधि न पाने वाला एकमेव राज्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैलायुधन ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाथ करघा मण्डली ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हाथ करघे का कपड़ा बेचे जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वहां कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निश्चय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न उठता नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य में हाथ करघे के बुनकरों को अथवा उन की संस्थाओं को कोई धनराशि दी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री से स्वतंत्र प्रश्न पूछा जा सकता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित निधि न मांगे जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कुछ कठिन सा है । सरकार बटवारा करती है । जिस उद्देश्य के लिए बटवारा किया गया है वह यदि प्रवर्तन में नहीं आया तो राज्य सरकार निर्धारित राशि की मांग नहीं करती है । संभवतः पंजाब सरकार ने वह कार्य आरम्भ नहीं किया जिस के लिए उन्होंने बटवारे की प्रार्थना की थी ।

नमक निर्माण केन्द्रों के लिये आयव्ययक में प्रबन्ध

*८९५. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आयव्ययक में 'नमक निर्माण केन्द्रों पर पूंजीगत व्यय' के नाम जो राशि रखी गई है वह १९५३–५४ में किस प्रकार खर्च की जाने वाली है ?

(ख) उस में से कितनी राशि, यदि कोई हो, नमक की किस्म सुधारने पर खर्च की जाने वाली है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) विद्यमान नमक निर्माण केन्द्रों के विकास के लिए ८ लाख रुपए का प्रबन्ध किया गया है । जिन केन्द्रों पर यह राशि खर्च करने का विचार है उन की प्रायोगिक सूची सदन पटल पर रख दी है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]**

इस के अतिरिक्त, मंडी की सेंधा नमक की खदानों के लिए एक लाख रुपए का लाक्षणिक प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) नमक की किस्म का सुधार किसी एक बात पर निर्भर नहीं है । इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि नमक की किस्म सुधारने के विशिष्ट काम पर निश्चित कितनी राशि खर्च होगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस वर्ष कोई नमक गवेषणा केन्द्र खोला गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस सवाल का ताल्लुक नेचुरल रिसोसर्स और सायन्टिफिक रिसर्च से है । काठियावाड़ में एक साल्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट खोल रहे हैं मगर इस की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री जोशिम अलवा : क्या नमक निर्माताओं को, विशेषत: मेरे चुनावक्षेत्र उत्तर कनारा में, नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए शतप्रतिशत सहकारी मण्डलियां बनाने में प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि नमक निर्माण के लिए सहकारी मण्डलियां बनाने में हर प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है ।

इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ़ आर्टस एण्ड इण्डस्ट्री

*८९६. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ आर्टस् एण्ड इंडस्ट्री किस स्थान पर स्थापित हुई है ?

(ख) उस के लिए १९५३-५४ के आयव्ययक में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

(ग) कौन कौन सी कलाओं तथा उद्योगों की शिक्षा का वहां विशेष प्रबन्ध है ?

(घ) वहां कौन कौन से विषयों के लिए कितने विद्यार्थी हैं ?

(ङ) इस इस्टिट्यूट में प्रवेश मिलने के लिए क्या अर्हताएं रखी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कलकत्ता ।

(ख) इस इंस्टिट्यूट को सहायक अनुदान देने के लिए १९५३-५४ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में ५०,००० रुपए का प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) इस इन्स्टिट्यूट में व्यावहारिक कला तथा औद्योगिक नक़शों के विकास का विशेष प्रबन्ध है ।

(घ) तथा (ङ) । इस समय इन्स्टिट्यूट में शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं । किन्तु अगले वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक नक़शों का पाठ्यक्रम आरम्भ करने का इन्स्टिट्यूट का इरादा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या छोटे तथा कुटीर उद्योगों के नए नक़शे बुलाने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी राय में छोटे उद्योगों के लिये वहां कुछ विशेष प्रबन्ध नहीं है । किन्तु मुझे निश्चित जानकारी नहीं है कि क्या उन के द्वारा पुरस्कृत कुछ नक़शे कुटीर उद्योगों के लिये भी काम में नहीं लाए जा सकते ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास की विक्टोरिया टेक्निकल इन्स्टिट्यूट भी औद्योगिक नक़शों का प्रशिक्षण देती है तथा क्या भारत सरकार ने उस संस्था को कुछ अनुदान दिये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या असत्य को सत्य का रूप देने की वाणिज्यिक कला का, अर्थात् विज्ञापन कला का, शिक्षण देने का भी इरादा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इस इंडियन इन्स्टिट्यूट तथा कलकत्ता के आर्टस् स्कूल के वाणिज्यक कला विभाग के बीच कोई जोड़ है ? क्या उन के बीच कोई सम्बन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं, नहीं समझता कि इस समय इन दो संस्थाओं को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री के० के० बसु: औद्योगिक कम्पनियां इस संख्या के साथ किस प्रकार सहकार्य करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रधानत: पैसा दे कर ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न समाप्त हुए । किन्तु समय बाकी है । मैं दुबारा नाम पुकारता हूं । डा० राम सुभग सिंह; नहीं, ८७२ तो वापिस लिया गया है । सर्वश्री हुक्म सिंह, माधव रेड्डी, के० जी० देशमुख, रिशांग किशिंग, अनुपस्थित । श्री रघुवीर सिंह, अनुपस्थित ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या आप इस प्रश्न के बारे में अपवाद करने की कृपा करेंगे ?

सरदार ए० एस० सहगल : सारे सदस्यों को इस में दिलचस्पी है ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य वापिस आने पर उन्हें भी तो दिलचस्पी होगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, यह निवेदन है ।

सरदार ए० एस० सहगल: वह सारे सदस्यों के लाभ के लिये किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय मंत्री को पूछना चाहिये कि क्या उन्हें यह सुझाव पसन्द है । प्रतीत होता है कि सदन को इस में दिलचस्पी है ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): मझे कोई आपत्ति नहीं है ।

संसद सदस्यों के लिये नये फ्लैट

*८९३. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नार्थ तथा साउथ एव्हैन्यु पर नये फ्लैट बन जाने पर संसद् सदस्यों के लिए पर्याप्त निवासस्थान उपलब्ध हो जाएंगे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): जी हां, यदि जो सदस्य आसानी से एकत्र रह सकते हैं अथवा वेस्टर्न कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में रह सकते हैं वे वैसा करने के लिए तैयार हो जायं ।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नार्थ तथा साउथ एव्हैन्यु के एक फ्लैट में तीन संसद् सदस्य आसानी से एकत्र रह सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: काल्पनिक प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ? यदि वे अविवाहित हैं तो रह सकते हैं ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मुझे इस बारे में कुछ कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इन बातों का विचार गृह समिति में होता है । और किसी को कुछ कहना है ?

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जो संसद् सदस्य अब मंत्री हैं उन्हें भी इसी प्रकार एकत्र रहने को कहा जाएगा और यदि नहीं तो क्यों ?

सरदार स्वर्ण सिंह: जी नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या पुराने फ्लैटों में परिवेष्ठित आंगन बनाने का सरकार का इरादा है क्योंकि अभी सदस्यों के लिये बाहर बैठना या सोना असुविधा-जनक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सारी चर्चा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : नय गृहों में आवेष्ठित आंगन हैं ।

सरदार स्वण सिंह : अभी जो नये गृह बन रहे हैं उन के पीछे हम आवेष्ठित आंगन रख रहे हैं । पुराने गृहों के बारे में यह परीक्षा करनी होगी कि पुराने गृहों की रचना के नक़शे देखते हुए क्या वहां आवेष्ठित आंगन बनाने की कोई गुंजाइश है ? यदि वह हो सकता है तो मैं उस की परीक्षा करूंगा और माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा ।

श्री नामधारी : क्या मैं जान सकता हूं कि सदस्यों को निवासस्थान किस आधार पर दिये जाने हैं ? क्या एक सदस्य को एक फ्लैट दिया जाता है अथवा उस के परिवारियों की संख्या पर यह निर्भर रहता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्यों के सामान्य परिवार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां; अल्पसूचना प्रश्न ।

श्री जोशिम अलवा : मुझे एक प्रश्न पूछना है, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं; मैंने अल्पसूचना प्रश्न पूछने के लिए संकेत कर दिया है ।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

रंगने के द्रव्यों के लिये अनुज्ञप्तियां

श्री राजगोपाल राव : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आयात के बम्बई स्थित सह प्रमुख नियंत्रक ने गत फरवरी में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ५० लाख रुपए के रंगने के द्रव्य आयात करने के लिए एक तदर्थ अनुज्ञप्ति दे दी ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि रंगने के द्रव्यों के भारतीय आयातकों के प्रार्थना करने पर भी उन्हें इस प्रकार की तदर्थ अथवा नियमित अनुज्ञप्तियां नहीं दी गईं ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर रंगने के द्रव्यों का लदान इस हफ्ते में जहाज़ द्वारा बम्बई में आ रहा है ?

(घ) यदि हां, तो क्या इस का यह अर्थ नहीं होगा कि अपने भारतीय समव्यवसायिकों के मुकाबले में इस विदेशी कंपनी के हाथ में बेचने का माल एक महीना पहले ही आ पड़ेगा क्योंकि अन्य भारतीय आयातकों को नियमित अनुज्ञप्तियां मिलने म एक महीना सहज बीतेगा ?

(ङ) क्या सरकार को रंगने के द्रव्यों के भारतीय आयातकों की संथा के सचिव की ओर से बम्बई से इस विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(च) यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के अभ्यंश प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा रहा था । अर्हतादायी अवधि में उन के पास कुल २१९ लाख रुपए के अभ्यंश के प्रमाणपत्र थे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने प्रार्थना की थी कि सत्यापनजन्य सुधार के अधीन उन्हें ५० लाख रुपए की तदर्थ अनुज्ञप्ति दी जाए । उन्हें ३० जनवरी, १९५३ को अनुज्ञप्ति दी गई ।

(ख) जी नहीं । १३ जनवरी से २७ फरवरी, १९५३ तक आयात के बम्बई स्थित सह प्रमुख नियंत्रक द्वारा रंगने के द्रव्यों के लिए १०८ अनुज्ञप्तियां दी गईं जिन का कुल मूल्य १०५ लाख रुपए था । ४ मार्च, १९५३ से १४ मार्च १९५३ तक २७ अनु-

ज्ञप्तियां दी गई जिन का कुल मूल्य १३१ लाख रुपए था ।

(ग) तथा (घ)। सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) तथा (च)। २७ फरवरी, '१९५३ का रंगने के द्रव्यों के भारतीय आयातकों की संथा द्वारा अभ्यावेदन पेश किया गया कि कुछ आयातक चाहते हैं कि उन्हें भी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के समान सुविधाएं, दी जाएं, अर्थात् उन के पास के प्रमाणपत्रों की मर्यादा के अधीन उन्हें तदर्थ अनुज्ञप्तियां दे दी जाएं। ४ मार्च को ऐसी अनुज्ञप्तियां दे देने का आदेश निकाला गया है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब यह खत्म हो चुका है। मैं ने काफी देर तक प्रतीक्षा की ।

श्री वैलायुधन : कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा ही नहीं गया। तो फिर यह प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता ही क्या थी ?

क्या मैं जान सकता हूं कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज को अभी दिया गया तदर्थ अभ्यंश उन के नियमित अभ्यंश में से कम किया जाएगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कार्यवाही कुछ जटिल सी है। जून १९५२ तक रंगने के द्रव्यों का आयात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति पर होता था। उस के बाद उन के आयातों के ७५ प्रतिशत का अभ्यंश निर्धारित किया गया। गत वर्ष में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने अपने प्रारंभिक आयातों से अधिक माल, अर्थात् २१९ लाख रुपए का माल आयात किया। अतः वे चाहते थे कि उन के प्रमाणपत्रों का फिर से जोड़ लगाया जाय। अन्य लोगों ने भी यही मांग की है क्यों कि उन्हें उम्मीद है कि इस से उन के अभ्यंश भी बढ़ जाएंगे। इस कार्यवाही में समय लगता है। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने प्रार्थना की थी कि प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा होने के पहले उन्हें एक ऐसी तदर्थ अनुज्ञप्ति दे दी जाए जिस की राशि उन की कानूनी अनुज्ञप्ति से बहुत कम हो। अतः उन्हें ५० लाख रुपए की अनुज्ञप्ति दे दी गई। जब अन्य लोगों ने आयात के प्रमुख संचालक को इसी प्रकार की प्राथना की तो उसे स्वीकार कर लिया गया। यही कारण है कि ४ मार्च से १४ मार्च की अवधि में १३१ लाख रुपए की अनुज्ञप्तियां दे दी गईं ।

श्री जोशिम अलवा : मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। रंगने के तथा अन्य रासायनिक द्रव्यों के भारतीय आयातकों की कड़ी शिकायतों के बावजूद इंपीरियल केमिकल्स को आयात का जो बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया .....

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर के पढ़े जाने के बाद मैं ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की। परन्तु बाद में मैं ने उन्हें एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी क्योंकि एक भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया था। यदि हम अब फिर से प्रश्नमालिका शुरू करते हैं तो उस में अत्यधिक समय खर्च होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विज्ञापन परामर्शदाता की शाखा

*८७६. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री उन के मंत्रालय के अधीन जो विज्ञापन परामर्शदाता की शाखा है उस के द्वारा १९५२ में चलाये गये कुछ प्रमुख विज्ञापन आन्दोलनों का निर्देश करने की कृपा करेंगे ?

(ख) उक्त शाखा को इस अवधि में विज्ञापनों के जरिये क्या आमदनी हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) : (क) विज्ञापन परामर्शदाता की शाखा द्वारा

१९५२–५३ में चलाय गय आन्दोलनों में से प्रमुख आन्दोलन ये हैं : अल्प बचत योजना आय कर अधिसूचनाएं, डिस्पोजल्स, प्रतिरक्षा सेवा तथा प्रादेशिक सेना में भर्ती, पर्यटन, कर्मचारियों का सरकारी बीमा, कारखानों में सुरक्षितता तथा खाद्य एवं कृषि ।

(ख) शाखा को विज्ञापनों के जरिये कोई आमदनी नहीं होती ।

सरकारी मुद्रणालय का फरीदाबाद को स्थानान्तर

*८८०. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सिमला स्थित गवर्नमैंट आफ इण्डिया प्रेस को फरीदाबाद ले जाने का विचार हो रहा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी हां ।

मिस्र से रूई

*८८४. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मिश्र की सरकार ने अपने देश की रुई भारत को बेचने पर कुछ निर्बन्धन लगाये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन निर्बन्धनों का क्या स्वरूप है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि मिस्र की सरकार ने इस दुरवस्था से रास्ता निकालने के लिये 'रुई मध्यस्थ मण्डली' पर दो भारतीय प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले के बारे में अभी बातचीत जारी है ।

उत्तर-पूर्व सीमा एजैन्सी में सामूहिक परियोजना

*८९१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर-पूर्व सीमा एजैन्सी स्थित विकास क्षेत्रों की संख्या तथा प्रत्येक के नाम से दी गई निधि की राशि ;

(ख) प्रत्येक विकास क्षेत्रांतर्गत देहातों की संख्या;

(ग) क्या स्थानीय लोगों का इच्छापूर्ण सहकार्य प्राप्त हुआ है और अब तक कितनी प्रगति हुई है; तथा

(घ) पंच वर्षीय योजना के अवशिष्ट तीन वर्षों में उत्तर-पूर्व सीमा एजैन्सी में स्थापित किये जाने वाले विकास क्षेत्रों की संख्या ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक । तीन वर्षों के लिए २१६७ हजार रूपए ।

(ख) ३० ।

(ग) पुर्वार्ध—हां । उत्तरार्ध—एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१**]

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

युक्त प्रदेश को ट्रैक्टरों का संभरण

६२३. **श्री गणपति राम** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युक्त प्रदेश की सरकार ने अपने को अधिक ट्रैक्टर दिये जाने के विषय में भारत सरकार को कोई प्रार्थना की है;

(ख) उन सामूहिक परियोजना केन्द्रों के नाम जहां ये ट्रैक्टर उपयोग में लाये जाएंगे;

(ग) युक्त प्रदेश को दिये गये ट्रैक्टरों का मूल्य; तथा

(घ) इन केन्द्रों की उस बिना जोती हुई जमीन का विस्तार जो जोती जाने वाली है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, सामूहिक परियोजनाओं के लिये।

(ख) मैनपुरी, झांसी, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया तथा गाजीपुर।

(ग) युक्त प्रदेश सरकार को अभी तक कोई ट्रैक्टर नहीं दिया गया है।

(घ) लगभग १,६८,००० एकड़।

कपड़ा और पटसन मिलें

६२४. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में इस समय कहां कहां और कितनी कपड़ा तथा पटसन मिलें हैं; और

(ख) भारत में १९५२ में पटसन का कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२**]

यकृतसार जन्य औषधियां

६२५. **डा० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८, १९४९, १९५० १९५१ तथा १९५२ में पिचकारी द्वारा अथवा मौखिक सेवन की यकृतसार जन्य औषधियों की हमारे देश की कुल वार्षिक आवश्यकताएं;

(ख) उपर्युक्त अवधियों में इन औषधियों का स्थानीय उत्पादन करने की हमारे देश की शक्ति; तथा

(ग) उपर्युक्त अवधियों में आयात की गई उक्त औषधियों में से प्रत्येक की राशि तथा मूल्य और जिन देशों से वे आयात की गई उन के नाम ?

वाणिज्यत था उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३**]

औषधियों तथा रसायनों पर तटकर शुल्क

६२६. **डा० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि औषधियों एवं रसायनों पर तथा औषधियों एवं रसायनों के स्वदेशीय उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल पर एक सी दर से तटकर शुल्क लगाया जाता है;

(ख) औषधियों तथा रसायनों के भारतीय उत्पादन पर इतनी अधिक लागत क्यों होती है; तथा

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार औषधि उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल पर लगाए जाने वाले तटकर शुल्क की दर कम करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हर बार नहीं, श्रीमान्। रसायनों तथा औषधियों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुएं हैं जिन पर तैयार वस्तुओं की अपेक्षा कम दर से शुल्क लगाया जाता है।

(ख) सामान्यतः इस के निम्न कारण बताये जाते हैं :

(१) यंत्र सामग्री का मितव्यय शून्य आकार।

(२) आयातित कच्चे तथा अर्ध कच्चे मालों पर अवलम्बन।

किन्तु, औषधि उद्योग की सर्वांगपूर्ण जांच करने के लिये अभी अभी एक समिति नियुक्त की गई है ।

(ग) यदि अवव्यवस्था के कारण किसी औषधि उद्योग के विकास में बाधा आती होगी तो सरकार इस उपाय का विचार करेगी ।

शार्क के यकृत का तेल

६२७. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हमारे देश में सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में शार्क के यकृत के तेल की प्रत्यक्ष वार्षिक आवश्यकता;

(ख) उपर्युक्त अवधि में भारत में बड़ी मात्रा में अथवा बनी बनायी बोतलों के रूप में आयातित कॉड के यकृत के तेल की राशि तथा मूल्य और प्रत्येक देश से लाये गये तेल की राशि तथा मूल्य;

(ग) कांड के यकृत के तेल से मिश्रित औषधियों के नाम जिन्हें उपर्युक्त अवधि में बड़ी मात्रा में अथवा बनी बनाई बोतलों के रुप में भारत में लाने की अनुमति दी गई; और प्रत्येक देश से लायी गयी इन औषधियों का अलग अलग मूल्य तथा राशि; तथा

(घ) उपर्युक्त अवधि में निर्यात के लिये अनुमित शार्क के यकृत के तेल की राशि तथा मूल्य और उन देशों के नाम जहां यह तेल भेजा गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ) । एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४**]

भारत में यहूदियों की वापसी

६२८. **सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** उन यहूदियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने इज़रएल राज्य की निर्मिति के समय वहां प्रव्रजन करने के बाद १९५२ में भारत में वापस आने की अनुमति मांगी ?

(ख) भाग (क) के उत्तर में बताये गये व्यक्तियों में से कितनों को वापस आने की अनुमति दे दी गई ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) लगभग १७०.

(ख) लगभग १५५.

कोयले का निर्यात

६२९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में भारत से निर्यातित कोयले की कुल राशियां;

(ख) जिन दशों को कोयला भेजा गया उन के नाम तथा वहां भेजे गये कोयले की राशियां;

(ग) क्या भारतीय कोयले की कुछ राशियां कोरिया को भजी गईं;

(घ) यदि हां, तो १९५०, १९५१ तथा १९५२ में वहां भेजे गये कोयले की राशि तथा मूल्य, तथा

(ङ) क्या कोरिया को भेजा गया कोयला निजी आयातकों के नाम भेजा गया था अथवा सैनिक मांग पूरी करने के लिये ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) तथा (ख) । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण जोड़ दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) तथा (घ). हां । निम्न राशियां :

वर्ष	राशि (टनों में)
१९५०	६९२७
१९५१	कोई नहीं
१९५२	१०१२९६

१९५० में प्रति टन ६·३० अमरीकी डालर एफ० ओ० बी० कलकत्ता; और १९५२ में

प्रति टन ६·९६ अमरीकी डालर एफ० ओ० बी० कलकत्ता, की दर से कीमत लगाई गई थी।

(ङ) कोयला निजी आयातकों के नाम भेजा गया था।

केन्द्रीय लोक कर्म विभाग में भर्ती

६३०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री निम्न जानकारी बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय लोक कर्म विभाग में श्रेणी २ तथा ३ की प्रशिल्पिक सेवाओं तथा पदों में

(१) सीधी भर्ती,

(२) पदोन्नति द्वारा भर्ती, तथा

(३) अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों से स्थानान्तर द्वारा भर्ती;

होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक तथा प्रशिल्पिक अर्हताएं; तथा

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में निर्देशित सेवाओं, तथा पदों में भर्ती करने की रीति ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख). निम्न पत्र सदन पटल रख दिये हैं—(१) केन्द्रीय एंजीनीयरिंग सेवा, श्रेणी २, तथा केन्द्रीय विद्युत एंजीनीयरिंग सेवा, श्रेणी २, के भर्ती-नियमों की प्रतिलिपियां, जिन में केन्द्री लोक कर्म विभाग के सहायक एंजीनीयर तथा सहायक एंजीनीयर (विद्युत) श्रेणी २ के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है, तथा (२) उसी विभाग के श्रेणी २ तथा ३ के प्रशिल्पिक पदों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण संख्या १ से ३। **[प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये संख्या** S-19/53]

औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह-व्यवस्था की योजना

६३१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में औद्योगिक श्रमिकों के घर बनाने के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी राशियां दी गई हैं ?

(ख) पांच वर्षों की पूरी अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) राज्य सरकारों को कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष की अपनी आवश्यकताएं हमें बता दें। उन से यह जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् बटवारा किया जाएगा।

(ख) पंच वर्षीय योजना में सर्व प्रकार के घरों के निर्माण की योजनाओं पर ३८·५ करोड़ रुपए खर्च करने की सिपारिश की गई है।

उत्तर पूर्वीय सीमा एजैन्सी

६३२. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर-पूर्वीय सीमा एजैन्सी के उप-विभागों के नाम तथा उन के प्रधान कार्यालयों के स्थान;

(ख) उत्तर-पूर्वीय सीमा एजैन्सी की आदिम-जातियों के नाम तथा उन की जन-संख्या;

(ग) उत्तर-पूर्वीय सीमा एजैन्सी में सरकारी तौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा अथवा भाषाएं; तथा

(घ) क्या भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वीय सीमा एजैन्सी का प्रशासन करने के लिए अपने अधिकारियों को कुछ यातायात की सुविधाएं दी हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) उत्तर-पूर्वीय सीमा एजैन्सी के प्रत्येक ज़िले के प्रशासकीय केन्द्र का नाम बताने वाला विवरण जोड़ दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ख) उत्तर-पूर्वीय सीमा एजैन्सी की आदिम जातियों के नाम तथा उन की कुल जन संख्या की ज़िला वार जानकारी देने वाला विवरण भी जोड़ दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ग) जहां आदिम-जाति के लोग आसामी भाषा समझ लेते हैं वहां उसी का उपयोग किया जाता है। सारे अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र की स्थानीय आदिम-जाति की भाषाएं सीखने का आदेश दिय गया है और उस का पालन भी हो रहा है।

(घ) बढ़ी हुई प्रशासकीय आवश्यकताओं को निभाने के लिये हमालों के 'एजैन्सी सर्विस कोर' का विस्तार किया गया है। जहां खच्चरों के मार्ग मौजूद हैं वहां खच्चर यातायात का प्रबन्ध किया गया है। वायु तथा भू परिवहन साधनों का भी शीघ्र विकास किया जा रहा है।

GIPD—HS—176 PSD—22-10-53—285

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
१९ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

३-३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

भारत के पश्चिमी तट के नारियल उगाने वालों को कठिनाई

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एन० श्रीकान्तन नायर की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना मिली है जिस में कहा गया है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक १३, जिस द्वारा नारियल व कोपरा आदि से सीमा शुल्क हटा लिया गया है, के फलस्वरूप नारियल कोपरा और नारियल के तेल के बाज़ार में पूर्णतया गतिरोध हो गया है जिस के कारण सारे पश्चिमी घाट विशेषकर करेल के नारियल उगाने वालों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मुझे एक अल्प सूचना प्रश्न की भी पूर्वसूचना मिली है जोकि सदन के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, परन्तु क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में अल्प सूचना प्रश्न की सारी बातें शामिल नहीं हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को कुछ कहना है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो रहा है। कोपरा नारियल और नारियल के तेल से सीमा शुल्क हटाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। १९५२-५३ के वित्त अधिनियम के अधीन कोपरा तथा नारियल के तेल पर कुछ अधिभार लगाए गए थे। एक शासनादेश द्वारा यह अधिभार हटा दिया गया। १९५३-५४ के वित्त अधिनियम के रखे जाने से, १९५२-५३ के वित्त अधिनियम की कालावधि समाप्त होने के बाद ये अधिभार फिर लगने लगेंगे। २८ फरवरी १९५३ की अधिसूचना क्रमांक १३ के द्वारा कोपरा तथा नारियल के तेल पर अधिभार से विमुक्त रहेगी। दूसरे शब्दों में इस अधिसूचना का प्रभाव यह होगा कि कोपरा तथा नारियल के तेल पर शुल्क की प्रस्तुत दर ही रहेगी और अतिरिक्त अधिभार कोई नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर और विचार करना आवश्यक नहीं, इस के लिए किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं है।

श्री बनारसी प्रसाद सिन्हा. संसद् सदस्य पर मुकद्दमा

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि मुझे मुंघेर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट (न्यायिक दण्डाधिकारी) की १२ मार्च की चिट्ठी मिली है जिस में उन्हों ने सूचना दी है कि ज़िला बोर्ड के अध्यक्ष तथा संसद् सदस्य श्री बनारसी प्रसाद सिन्हा के विरुद्ध मुकद्दमा उन की अदालत में आया और श्री सिन्हा ९-६-५२ को अदालत में उपस्थित हुए। उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं १४७, ३७९, ३५३ के अधीन अभियोग लगाए गए थे और उन्हें फौरन ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। दण्डाधिकारी ने लिखा है कि वे यह सूचना इसलिए पहले नहीं दे सके कि बिहार सरकार की २ फरवरी १९५३ की अधिसूचना ३/१२-१०२३/५१/ए १००७ उन्हें उसी दिन मिली जिस दिन कि उन्होंने यह पत्र लिखा।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि मुझे डा० सत्यवान राय की एक चिट्ठी मिली है जिस में उन्होंने लिखा है कि वे बीमारी के कारण सदन की बैठकों में नहीं आ सके चूंकि वे चुनाव के कुछ ही समय बाद बीमार पड़ गए थे। अब वे ठीक हैं परन्तु आराम कर रहे हैं। उन्होंने अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है।

क्या सदन उन्हें यह अनुमति देने को तैयार है ?

माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

अनुमति दे दी गई।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

दामोदर घाटी निगम के १९५३-५४ के आयव्ययक के प्राक्कलन

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अधीन, दामोदर घाटी निगम के १९५३-५४ के आयव्ययक के प्राक्कलनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए नम्बर ४. एम० ४ (९)]**

सामान्य आयव्ययक— अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगें, जो १८ मार्च, १९५३ को रखी गई थीं, पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : सूचना के हेतु जो १२ मार्च की पार्लियामेन्टरी बुलेटिन है उस के पार्ट २ में डिमान्ड्स के डिस्कशन का रिवाइज्ड प्रोग्राम दिया हुआ है। उस में मिनिस्ट्री आफ प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री आफ हेल्थ और मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग के लिये कोई समय नहीं दिया गया है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन के लिये केवल ढाई घंटे दिये गए हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन मिनिस्ट्रीज की डिमान्ड्स को डिस्कस करने के लिये हाउस को समय क्यों नहीं दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभी दलों के नेताओं के सम्मेलन के फलस्वरूप सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम के समायोजन के लिए सभी दलों के नेताओं को बुला लिया जाता है, मैं आशा करता हूं कि आगे से वे अपने अनुयाइयों को ऐसी बातों की सूचना दे देंगे।

मैं कुछ ऐसे सदस्यों को समय दूंगा जिन्हों ने अभी तक सदन में भाषण नहीं दिया है। श्री काचिरोयर।

सारी मांगों पर चर्चा ५ बजे तक समाप्त हो जायेगी। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री को सवा चार बजे बोलने के लिए कहूं।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई और माननीय मंत्री बोलना चाहते हैं? जो माननीय मंत्री अन्त में बहस का उत्तर देंगे वे कब बोलेंगे और कितना समय लेंगे?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वे १५ मिनट लेंगे।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पहले बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस सदस्य के भाषण के बाद मैं इन मंत्री महोदय को समय दूंगा।

श्री काचिरोयर (कुडलूर) : श्रीमान् मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे इस सदन में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है.....

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति शान्ति। माननीय सदस्यों को अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ कर के खड़े नहीं होना चाहिए। यह बहुत बुरी बात है। मैं पीछे बैठने वाले सभी सदस्यों से कहूंगा कि वे बातें न करें।

श्री काचिरोयर: भारत बहुत प्राचीन समय से कृषिप्रधान देश रहा है। यहां कृषि योग्य भूमि भी है और बहुत सी नदियां भी हैं जो सारा वर्ष बहती हैं परन्तु इस के बावजूद यहां अन्न की कमी तथा अकाल पड़ते रहे हैं। किसी हद तक वर्षा का न होना तथा जनसंख्या में वृद्धि अनाज की कमी के कारण कहे जा सकते हैं। हर वर्ष सरकार को विदेशों से बड़ी मात्रा में अनाज मंगाती है। इस के अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ किया गया और पंच वर्षीय योजना में भी कहा गया है कि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जायगा। लेकिन अनाज की कमी फिर भी है। अधिक-अन्न-उपजाओ-जांच समिति ने इस का कारण यह बताया है कि इस के प्रति लोगों में उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ।

अनाज के नियंत्रण की नीति को ही लीजिए। यह असफल रही है क्योंकि इस का प्रबन्ध ठीक से नहीं हुआ। इस से तो केवल भ्रष्टाचारी कर्मचारियों तथा बीच वालों को ही लाभ पहुंचा है। ज़मींदारों से समाहार करते समय कम अनाज लिया जाता है और अन्न का समाहार करने वाले अधिकारी गरीब किसानों के पास उन की अपनी आवश्यकता का भी अनाज नहीं छोड़ते। इसलिए तंग आ कर छोटे छोटे किसानों ने अनाज की फसलें उगानी छोड़ दी हैं और ऐसी फसलें उगाने लगे हैं जिन से धन कमाया जा सकता हो।

[**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अनाज के वितरण के सम्बन्ध में भी काम ठीक से नहीं हुआ। देश में जो अनाज था, वह भी ठीक से नहीं बांटा गया। इस का कारण यह है कि समाहार तथा वितरण का काम गैर जिम्मेदार, बेहूदा तथा भ्रष्ट कर्मचारियों को दिया गया। इसलिए नियंत्रण की नीति सर्वथा असफल रही है।

कृषि के सम्बन्ध में भी सरकार की नीति ठीक नहीं है। किसानों में अनुभव या बुद्धि का अभाव नहीं है। परन्तु चूंकि वे

[श्री काचिरोयर]

गरीब हैं, इसलिए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि उन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाए उन्हें ठीक समय पर धन, खेती के उपकरण और खाद मिल जानी चाहिए। किसानों में भूमि का फिर से वितरण किया जाय। तभी उस में यह भावना उत्पन्न होगी कि वह अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए खेती कर रहा है।

सहकारिता आन्दोलन से किसान की दशा सुधारने में सहायता मिल सकती है। सरकार को चाहिए कि प्रत्येक गांव या कुछ गांव के लिए एक बहुमुखी सहकारी समिति खोले जो किसानों को उधार दे।

सरकार को चाहिए कि सिंचाई के सम्बन्ध म छोटी छोटी योजनाओं को अधिक महत्व दे क्योंकि इन का फल शीघ्र मिलता ह। उसे चाहिए कि दक्षिण भारत में जहां नदी घाटी योजनाएं सम्भव नहीं, तालाबों को सुधारने, और कुएं खोदने आदि का व्यापक कार्यक्रम बनाए। कृषि मजदूरों की हालत भी सुधारनी चाहिए। गांव में अधिक डाक्टर हों, दवाखाने खोले जायं और गरीब किसानों तथा मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। साथ ही गरीब मजदूरों के लिए कुटीर उद्योग द्वारा और काम की व्यवस्था की जाय।

डा० पी० एस० देशमुख : कल सारा दिन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सम्बन्ध में भाषण होते रहे। १५ माननीय सदस्य बोले और मुझ इस बात पर बड़ी प्रसन्नता है कि उनमें से अधिकतर—९ सदस्यों ने—हमारे काम की सराहना की और संयत भाषा से काम लिया। अधिकतर ने कई रचनात्मक सुझाव दिए। चार ऐसे भाषण थे जिनमें आशीर्वाद की बजाय शाप अधिक था। उन्होंने बड़ा निराशाजनक चित्र खींचा। दो भाषण ऐसे थे जो इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। जहां तक रचनात्मक सुझाव का सम्बन्ध है उन की उपेक्षा ही की गई है लेकिन जहां तक आलोचना का सम्बन्ध है वे वैसे ही थे जो कि विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने दिए।

जितनी बातें कही गई हैं यद्यपि मैं उन सब का उत्तर देने के लिए तैयार हूं परन्तु यह सम्भव नहीं है। मैं यही कर सकता हूं कि मेरे पास जितना समय है उसमें मोटी मोटी बातों का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करूं। कल पहले पहल मेरे माननीय मित्र सरदार लाल सिंह बोले थे—पता नहीं प्रारम्भ में ह उनके विचारों की कड़ी टूट गई या क्या हुआ—उनके भाषण में अधिकतर प्रश्न ही थे। इस दशा में मेरे साथी के लिए यह कहना स्वाभाविक ही था कि यदि स्थिति इतनी ही निराशापूर्ण है तो उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कभी २ सरकारी बैंचों पर बैठते हैं, वे तो सारा आयु सरकार का अंग रहे हैं। यदि सरकारें इतनी बुरी हैं, कृषि की स्थिति इतनी खराब है, कृषि मंत्रालय तथा विभाग कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने आयुपर्यन्त क्या किया है जबकि वे कृषि के निदेशक आदि के पदों पर थे।

सरदार लाल सिंह (फिरोज़पुर-लुधियाना) : मैं ने कमी वाले प्रान्त को अधिक अनाज उगाने वाला बना दिया। पंजाब में मैं ने यह किया था और मुझे इस पर गर्व है।

श्री किदवई : हमें यह भी मालूम है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं तो केवल उस प्रश्न का औचित्य स्पष्ट कर रहा हूं जो मेरे सहयोगी ने पूछा कि जिस समय वह देश में कृषिसम्बन्धी नीति के लिए उत्तरदायी था उस समय उसने क्या किया था ।

अपने भाषण में कदाचित् उन्हें हमें अपने रचनात्मक विचार बताने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि समयाभाव के कारण उन के भाषण को कम कर दिया जाता, किन्तु उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए और ऐसी समालोचनायें कीं जो प्रतिवादात्मक थीं, एक ओर उन्होंने कृषक के रूप में इस बात की शिकायत की कि कृषकों को उचित दाम नहीं मिलते । और दूसरी ओर उसी सांस में उन्होंने यह शिकायत की कि मूल्य ऊंचे हैं । इसी प्रकार उन्होंने यह भी शिकायत की कि कृषिसम्बन्धी शिक्षा असंतोषजनक है और नये ग्रेजूएटों (स्नातकों) को कोई सक्रिय शिक्षा नहीं मिलती, बल्कि उन की शिक्षा बहुत ही सिद्धान्तवादी है । इधर उन्होंने यह शिकायत की कि हम इन लोगों को पर्याप्त नौकरी नहीं देते । यदि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा पर्याप्त नही थी और यदि उन्हें उचित तथा उपयोगी ग्रेजूएट नहीं बनाया जा सका तो इन कार्यकौशलहीन लोगों को नियुक्त करने का क्या तुक है ? इस प्रकार मामला और भी उलझ जाएगा । इसी प्रकार उन्होंने यह शिकायत की कि सरकार ने भी कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु जब कई अच्छी बातें की जा चुकी है—जैसा कि एक छोटी रिपोर्ट सदन के प्रत्येक सदस्य को इसलिए दी जा चुकी है ताकि वे इसे सुगमतापूर्वक पचा लें और उस पर ज्यादा समय व्ययन करें यानी दिए गए काम की एक रूपरेखा है—तो मैं यह नहीं समझता कि मेरे सरदार मित्र को इसे देखने के लिए अधिक समय मिला होगा इसीलिए वह हमें इस बात के लिए श्रेय देने को तैयार भी नहीं था । जहां कहीं भी हमें सफलता प्राप्त हुई है उन के विचार में उसका श्रेय और कहीं है । उदाहरण के तौर पर उन्हें यह मानना पड़ा कि कपास के उत्पादन में बहुत अधिक प्रगति हुई है जो बहुत हद तक हमारे लिए संतोषजनक है; जूट में हम ने लक्ष्य प्राप्त किया है तथा शकर के उत्पादन में हमने लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त किया है । मैं इन के साथ और भी कई एक प्राप्तियां जोड़ना चाहता हूं । लोगों को खाद, कृषिसार आदि मुहैय्या करने में हमने बहुत प्रगति की है । शायद है कि मेरे मित्र कृषिसारों को पसन्द न करें और अन्य मित्र इस विषय को बिल्कुल पसन्द न करें, किन्तु कुछ भी हो, जहां तक खाद, मल-मूत्र के अधिक प्रयोग, अधिक अच्छे बीज का प्रश्न है, और जहां तक कृषक को लोहा-इस्पात उपलब्ध करने का प्रश्न है, तथा इस अपकीर्ति-प्राप्त केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था की प्राप्तियों का प्रश्न है, हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है । विगत वर्ष में ट्रैक्टर संस्था ने सात लाख एकड़ भूमि की कृषि पूरी की, और उसी वर्ष में हम ने २·३५ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया । १९०० एकड़ भूमि में हल चलाया गया तथा मेड़ें बनाई गईं । जम्मू में भी एक और केन्द्रीय सरकार का फार्म खोला गया है जो आने वाले दो एक वर्षों में लगभग दस-बारह हज़ार एकड़ भूमि का पुनरुद्धार करेगा । स्वाभाविक है कि उन्हें इन बातों की ओर जिन

[डा० पी० एस० देशमुख]

का श्रेय मंत्रालय को प्राप्त है निर्देश करने का कोई समय नहीं मिला, और यदि श्रेय मिलना भी चाहिए था तो उन्होंने ऐसी कोई भी इच्छा प्रगट भी नहीं की ।

जहां तक फल-उत्पादन तथा फल-परिरक्षण में उनकी रुचि का प्रश्न है मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं मैं जानता हूं कि वे स्वयं शालिहोत्र में रुचि रखते हैं । उन्होंने इस दिशा में बहुत रुचि दिखाई है, और अब भी वह जो रुचि लेते हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहता हूं तथा जहां तक फल-उत्पादन और फल परिरक्षण की रुचियों की सुरक्षा का प्रश्न है, मैं उन के साथ ही अपने प्रयत्न जोड़ना चाहता हूं । एक और हमारे यहां खाद्य की कमी है और यदि हम किसी हद तक फलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो अनाज की मांग अधिक नहीं रहेगी और दूसरी ओर हम अधिक खाद्य तथा फल का उत्पादन करने तक ही अपनी गतिविधियां सीमित नहीं रख सकते । स्पष्ट है कि कपास और जूट भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं । इन दो परस्परविरोधी दृष्टिकोणों से बचकर सरकार को आगे बढ़ना है । एक यह दृष्टिकोण है जिसमें इस बात का आरोप तथा अनुरोध है कि प्रत्येक संभव भूमिखंड पर अनाज की काश्त की जानी चाहिए । इस के साथ ही हमें वस्त्र उद्योग की मांग को पूरा करना पड़ता है, यानी उन्हें कपास देनी पड़ती है तथा जूट उद्योग को जूट देना पड़ता है । इसी कारण से कुछ समय पहले उत्पादन का एक एकीकृत कार्यक्रम बनाया गया था, और हमें यह कह हर्ष होता है कि हमें कुल पर बहुत सफलता मिली है ।

श्री अमजद अली (ग्वलपाड़ा-गारो पहाड़ियां) : क्या मैं आसाम की गारो पहाड़ियों में उगने वाली छोटे रेशे की कपास के बारे में पूछ सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिस विशेष राज्य से मेरे मित्र का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं कोई भी उत्तर नहीं दे सकता । किन्तु जितना अधिक संभव हो सकता है हम छोटे रेशे की कपास का निर्यात बढ़ा रहे हैं ताकि छोटे रेशे की कपास के उगाने वालों को यथासंभव अधिक दाम दिए जा सकें, और मेरे विचार में यह बात बहुत हद तक सफल भी रही है । सच तो यह है कि छोटे रेशे की कपास के निर्यात पर बहुत अधिक कर लगा करता था; उसे पहले कम किया गया, और अब उसे पूरी तरह से उड़ा दिया गया है । मेरे विचार में मध्य प्रदेश से एक यह शिकायत पहुंची है कि उन की छोटे रेशे की कपास पर वह रियायतें नहीं दी गई हैं जो हम ने बंगाल की कपास पर दी हैं ।

श्री अमजद अली : आसाम की उस जनता को शिक्षा देने के सम्बन्ध में आप ने क्या सोच रखा है, ताकि आसाम की गारो पहाड़ियों के कपास उगाने वाले अपनी छोटे रेशे की कपास से अधिक पैसे कमा सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक अधिक अच्छी कपास के उगाये जाने का प्रश्न है केन्द्रीय कपास कमेटी तथा

राज्य सरकारें सक्रिय रूप से दिलचस्पी ले रही हैं और जहां तक भी संभव हो सकता है, इस दिशा में काम भी बढ़ाया जा रहा है। मैं अपने मान्य मित्र को यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं कपास उगाने वालों में बहुत ही अधिक दिलचस्पी लेता हूं, और इस स्थिति में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अधिक अच्छी प्रकार की कपास की ही कृषि की जाय और लोग भी इसमें दिलचस्पी लेते रहें।

इसके पश्चात कुछ यह साधारण शिकायतें भी हैं कि हमारी प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अनुसन्धान कृषकों तक नहीं पहुंच पाते, आदि। इन मामलों में भी, मेरा यही विचार था कि सरदार लाल सिंह सरकार द्वारा किए गए काम को जानते होंगे। मैं नहीं समझता कि सदन में और कोई सदस्य कृषि मंत्रालय की गतिविधियों के इतने निकट सम्पर्क में होगा जितना कि सरदार लाल सिंह हैं।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : यही कारण है कि वह इतने अनभिज्ञ हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : तो मुझे निराशा भी हुई और कुछ आश्चर्य भी हुआ कि मेरे मित्र ने इस प्रकार का भाषण क्यों दिया। निस्संदेह, यदि वह यहां सदन में रचनात्मक सुझाव भी नहीं रख सकते थे, उन्हें यह मालूम है कि मैं उनके तथा सदन के अन्य सदस्यों के सुझावों पर कितना ध्यान देता हूं और उन्हें क्रियान्वित करने में मैं सब से अधिक परिश्रम करूंगा।

कई एक प्रश्न हैं जिन का कि मैं उत्तर देना चाहूंगा, चूनाचि ये प्रश्न मेरे मित्र सरदार लाल सिंह के भाषण में भी समाये थे। यह स्वाभाविक है कि जो कोई भी व्यक्ति देश में के कृषक की स्थिति पर विचार करना चाहता है, यह इस बात से चिन्तित है कि उसकी फसल पर्याप्त होनी चाहिए। इस वान्छनीय बात में मेरा जितना विश्वास है उतना और किसी का नहीं है, क्योंकि स्वयं मेरा सदा से यह विश्वास रहा है और अब भी है—मेरे मंत्री होने के बावजूद भी—कि कृषकों को जो भी लाभ होगा यह देश में की समृद्धि का अग्रस्रोत है। यदि कृषक प्रसन्न तथा समृद्ध हों, तो भूमि के और सभी हित समृद्ध होंगे। यदि कृषक आपत्तिग्रस्त हैं, निर्धन है, और उसकें पास कोई संसाधन नहीं हैं तो अन्य सभी लोगों के हित, वह चाहे हकीम-डाक्टर, वकील, साहूकार, उद्योगपति अथवा भारत भर का और कोई व्यवसायी हो, पल नहीं सकते और वह समृद्ध नहीं हो सकते। अतः उस दृष्टिकोण से, तब से जब मैं ने मंत्रालय का काम संभाला और मुझ से पहले भी, क्योंकि मेरा विचार है कि मेरे सरदार रफी साहेब इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में मेरे ही दृष्टिकोण के हैं,—मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस बात को देख कर कि कृषक को उचित पारिश्रमिक, आदि मिलते हैं और अधिक अच्छी कृषि करने का प्रोत्साहन मिलता है, मुझ से अधिक प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। हम उन कारणों को भी जानते हैं जो इस वान्छनीय उद्देश्य के विरुद्ध चलते हैं, और हमें और कठिनाइयों पर भी विचार करना पड़ता है। मुझे इस बात का निश्चय है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान होगा कि कृषि वस्तुओं के लिए अधिक दाम देने का प्रयत्न तो कोई आसान कार्य नहीं, और

[डा० पी० एस० देशमु]

विशेषतः इसलिए कि हमें विदेशों से अनाज का आयात करना पड़ता है—और यह आयात, जहां तक चावल का प्रश्न है, बहुत अधिक दाम दे कर करना पड़ता है । एक ओर इस प्रकार के असंख्य लोग हैं जो अभाव से पीड़ित हैं जिन के यहां वर्षा नहीं होती और जहां फसलें उगाई नहीं जा सकी हैं । अतः हम पर यह उत्तरदायित्व आता है कि इन लोगों को पालें, और जितने भी सस्ते दामों पर संभव हो सकें, इन्हें खाद्य मुहैय्या करें । तो इसलिए कई बातों में हमारे हाथ बन्धे हुए हैं कि हम कृषकों को अधिक दाम दिलाने के लिए आनाज पर से नियंत्रण हटा रहे ह । हमें उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच के लोगों का संतुलन करना पड़ता है, और उस के बाद हस्तक्षेप कर के मूल्य-नीति का निश्चय करना पड़ता है । किन्तु कुल पर पिछले कई वर्षों से सरकार कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के दामों के निश्चय के सम्बन्ध में भूली नहीं है । सरकार कृषि की उपज के मूल्यों पर कड़ी निगरानी रख रही है । चनाचि समय समय पर उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों की कठिनाइयों को, जैसा भी समय की वस्तुस्थिति हो, दूर करन की कार्यवाही की गई है ।

जुआर, गेहूं, बाजरा, कपास और गन्ने के सीमान्त तथा निम्नतम मूल्य निर्धारित किए गए थ । अभी भी हम ने कपास के सीमान्त तथा निम्नतम मूल्य निधारित किए ह । जहां तक गन्ने के मूल्यों का प्रश्न ह हमारे यहां मूल्य-निर्धारण भी है, किन्तु इन मूल्यों को निर्धारित करते हुए अथवा उन मूल्यों में हस्तक्षेप करते हुए, हम मुख्य उद्देश्य को ही ध्यान में रखते हैं—यानी कृषक को अधिकतम मूल्य देते हैं, और उसके साथ ही उपभोक्ता को उत्पादक की दया पर नहीं छोड़ते । मैं सरकार की मूल्य नीति के विस्तार में नहीं जाना चाहता । मेरा विचार है कि हम में से प्रायः सभी तथ्य माननीय सदस्यों को ज्ञात हैं और मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि कृषक को अधिकतम दाम मिलते हैं और जब तक इस प्रकार की नीति से देश के अन्य परमावश्यक हितों को कोई क्षति नहीं पहुंचती तब तक हम कृषकों को अधिकतम मूल्य दिलाने का प्रयत्न करेंगे ।

मात्र मूल्य-निर्धारण अथवा मूल्य-घोषणा अपने में इस बात का कोई उपचार नहीं है । अन्य आवश्यक बातें भी हैं । उदाहरण के तौर पर, इस वर्ष कपास उगाने वालों ने यह मांग की थी कि निम्नतम मूल्यों को बढ़ा दिया जाय । इस सम्बन्ध में हम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को आश्वासन नहीं दे सकते, किन्तु हम ने इस पर विचार किया कि अन्य सहायक कार्यवाही करने से, अभ्यंशों को उठाने में सहायता के लिए रेल मंत्रालय को सिफारिश करने से तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को यह लिखने से कि वे कपास का अपना अपना अभ्यश उठायें, रुई के मूल्य एक विशेष स्तर पर बने रहें, और यह इसीलिए करना पड़ा कि व्यापारियों के हाथो पर से इस का बोझ हल्का हो जायगा और मूल्य में आसानी से कमी हो जायगी । जहां तक सरकार की मूल्य नीति का प्रश्न है, मेरे विचार में सदन को इस बात का पूरा संतोष

होना चाहिए कि हम इसे महत्त्वहीन मामला नहीं समझते और समय समय पर हम अपने कार्य को दोहराते रहते हैं तथा सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि अधिक उत्पादन में कृषकों के अधिक हित बने रहते हैं ।

मैं बहुत समय तक अकाल की स्थिति की ओर निर्देश नहीं करना चाहता । हमारा तभी सम्बन्ध हो सकता है जब राज्य सरकारें हम से सहायता मांग लें । वास्तव में इस बात का उत्तरदायित्व राज्यों पर ही है । किन्तु मैं समझता हूं कि आप सब इस बात को समझते होंगे कि राज्य सरकारों को सहायता देने में केन्द्रीय सरकार ने कभी भी सुस्ती नहीं की । हां, यह तो है कि विशेष रूप में और विशेष दिशाओं में सहायता दी जा सकती है । कई विशेष नीतियों और आपस की समझ से इस को नियमबद्ध किया जाता है, और जहां कहीं भी राज्य सरकार कोई प्रतिनिधान करती है अथवा कोई सहायता चाहती है, हम ने सदा अपनी ओर से अधिकतम सहायता दी है ।

मोटे तौर पर हम तीन तरीकों में राज्यों को सहायता देते हैं । अदानी सहायता पर किये गये व्यय के ५०% भाग तक हम अनुदान देते हैं; स्वीकृत सहायता निर्माण-कार्य पर के व्यय के ५०% भाग तक हम ऋण देते हैं और जहां तक भी संभव हो सके हम ऐसे सहायता कार्यों पर ज़ोर देते हैं जो पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हों; और विस्थापित व्यक्तियों को सहायतार्थ दिये गये राशन पर किये गए व्यय का ५०% घाटा पूरा किया जाता है ।

माननीय सदस्यों ने उन बहुत से क्षेत्रों की ओर निर्देश किया, जहां अभाव है । विरोधी दल के सदस्यों का स्वभाव-सा बना है कि ये हम पर संतुष्ट रहने का आरोप लगाते हैं । माननीय प्रधान मंत्री ने सारी सरकार की ओर इस दोषारोप का उत्तर दिया है । जहां तक हमारा प्रश्न है, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम पर आत्मतुष्टि का यह दोष लगाना बिलकुल गलत है । वह चाहे अभाव-क्षेत्रों की बात हो अथवा लोगों की मुसीबतें हों; अधिक कृषि-उत्पादन की बात हो या कृषक की प्राप्ति का प्रश्न हो, हम कभी भी आत्म-संतुष्ट नहीं रहे । हम अपना उत्तरदायित्व जानते हैं; हम लोगों की कठिनाइयां जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उन्हें कौन-सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । अतः मैं इस आरोप का प्रतिवाद करना चाहता हूं कि हम अपनी नीति के किसी भी अंग में आत्मसन्तुष्ट हैं, और यह अनुभव करते हैं कि यहां हर एक बात ठीक ढंग से हो रही है अतः हमें अधिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

जहां तक अकाल का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि हमारे मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार पर इस बात का आरोप लगाया जा सकता है कि उसने उन जगहों पर सहायता पहुंचाने में कोई पसोपेश की जहां सहायता भेजी जानी चाहिए थी, अथवा जहां से सहायता मांगी गई थी।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : महाराष्ट्र को कितना दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : महाराष्ट्र को भी काफी दिया गया है । जितना उन्होंने मांगा उतना उनको दिया गया ।

श्री पी० एन० राजभोज : फिगर बतलाइये कि कितना देना चाहते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : एक फिगर तो मुझे मालूम है कि एक करोड़ १६ लाख रुपया देने का करार किया गया है और उस के बाद एक कमेटी मुकर्रर की गई सो, उस की रिकमेन्डेशन गवर्नमेन्ट के सामने पेश हुई है, इस के बाद जो सिफारिश वह करेगी उस के मुताबिक कुछ न कुछ ज्यादा पैसा दिया जायगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं राममूर्ति कमीशन के बारे में जानना चाहता हूं कि उसका क्या नतीजा हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस का नतीजा पीछे मालूम होगा ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं रायलासीमा के बारे में यह सवाल पूछना चाहता हूं कि उस को कितना दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मैं नहीं समझता हूं कि उन की कोई उचित मांग रद्द की गई है । मेरा विश्वास है कि यह लाखों की बात नहीं अपितु करोड़ों की बात है ।

कहा गया है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कोई समन्वय नहीं । पूर्व स्थिति का मुझे कोई ज्ञान नहीं । परन्तु इस मामले में दोनों मंत्रालयों के बीच इस समय पूरा पूरा समन्वय है ।

मैं अपने तरुण मित्र श्री शंकर-पांडियन को उनके भाषण पर बधाई देता हूं । उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिये । उन का शायद यह ख्याल है कि हम ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का अनुदान ६० लाख रुपये से कम कर के २५ लाख रु० कर दिया है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि कोई भी कमी नहीं की गई है । इस परिषद् से हमारे पास जो भी परियोजनाएं आई हैं वह अधिकांश रूप से मंजूर की गई हैं; तथा वह २५ लाख रुपये कुल राशि नहीं जोकि इस पर व्यय की जायगी । परिषद् के काम में कोई भी अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया गया है । इसे उन सभी अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए धन दिया जायेगा जोकि यह पेश करेगी ।

श्री चौधरी एक तरफ उत्पादकों को अधिक कीमतें देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वह अर्थ सहायता देने के लिए सरकार का प्रवृत्त कर रहे हैं । यदि उत्पादकों को उनके अनाज के लिए अधिक कीमतें दी जायें तथा इधर से गरीबों के लिए अनाज खरीदना कठिन होगा, तो अर्थ सहायता देने की मांग और भी मजबूत हो जायगी । ऐसा करना सम्भव नहीं होगा, इस से जनता की मुसीबत बढ़ ही जायगी ।

मुझे सरदार अकरपुरी तथा कर्नल जैदी और आयर ऐसे व्यक्तियों के भाषण पसन्द आये जिन्होंने कि न केवल कृषि तथा खाद्य मंत्रालय की कोशिशों को सराहना की अपितु यह भी कहा कि देश में तथा सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के सम्बन्ध में काफी उत्साह है । विरोधी दल के सदस्यों का यह कहना गलत है कि हमारी योजनाएं केवल कागजी योजनाएं हैं तथा लोगों में उनके प्रति कोई उत्साह नहीं है ।

चावल उत्पादन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कुछ अधिक नहीं कहा । इसका मतलब ही यह है कि वह यह समझ हैं कि सरकार इस दिशा में सन्तोषजनक

काम कर रही है। जहां तक जापानी तरीके से चावल उगाने का सम्बन्ध है, इस की जांच विशेषज्ञों ने की है तथा उन्होंने इसे लाभकर समझा है। "जापानी तरीका" शब्दों पर क्रुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री कानूनगो ने पूछा है कि जापानी तरीके से धान उगाने पर जो अधिक व्यय होगा वह कैसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषक को इस तरीके से धान उगाने पर १५० रुपये प्रति एकड़ अधिक व्यय करना पड़ेगा। यह आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ कर बताया गया है। मेरे अनुमान के अनुसार यह १४४ रुपये ८ आने होगा। किन्तु इस प्रणाली से हमें बीज के सम्बन्ध में १२ रुपये प्रति एकड़ की बचत होगी। अर्थात् अतिरिक्त लागत लगभग १३२ रुपये प्रति एकड़ होगी। प्रत्येक सदस्य को मालूम है कि हम रासायनिक उर्वरक तकावी उधार के रूप में कृषकों को दे देते हैं। और भी चीजें जैसे कि बीज आदि जोकि हम कृषकों को दे देते हैं। कुल मिला कर ९० से लेकर ९५ रुपये तक आती है। तो इस तरह से कृषक को केवल ३५ रुपये अपने पल्ले से निकालना पड़ेगा। हम ने इस बात को ध्यान में रखा है कि कृषक पर इस अतिरिक्त व्यय का बोझ न पड़े। इसका अधिकांश भाग उसे अग्रिम धन के रूप में दिया जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि कृषक धनाभाव का शिकार हुए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जिन से कि यह प्रकट है कि कृषकों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने जो धन इस समय उपलब्ध किया है, वह १९३८–३९ से अथवा १९४७–४८ से भी कई गुना है। यह ठीक है कि यह पर्याप्त नहीं है और न यह कुछ समय के लिए पर्याप्त हो सकता है। इस विषय में योजना आयोग के भी कुछ अपने सुझाव हैं। हमें भी यह अच्छी तरह मालूम है कि कृषकों को सामयिक धन की आवश्यकता है।

बंगाल से आये मेरे माननीय मित्र ने शिकायत की है कि काफी जमीन बेकार पड़ी है। सरकार यथासम्भव कृषि-योग्य भूमि को अधिकाधिक रूप से काश्त में लाने का प्रयत्न कर रही है।

जहां तक श्री नायर तथा श्री ईश्वर रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणी का सम्बन्ध है, उनके तर्क, गिरते हुए उत्पादन के बारे में, एक फसल अथवा फसलों के एक गुट पर आधारित हैं तथा उन्होंने कुछेक वर्षों की ओर निर्देश किया है। राज्य परिषद् में मैं ने जो कुछ कहा वह गत ३६ वर्षों के उत्पादन के पर्यालोकन पर आधारित है। सभी लोग यह मानते हैं कि गत वर्ष कई क्षेत्रों में फसलें नहीं उगाई गईं तथा फसलें खराब रहीं। राज्य परिषद् में मैं ने केवल १९४८–४९ तथा १९४९–५० के सम्बन्ध में कहा। मैं ने १९५०–५१ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस काल के लिए अभी तक कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हो सकता है कि फसलों के अधीन क्षेत्र कम हुआ हो। मैं ने जो कुछ कहा है वह सही है।

अनुसूचित जातियों के लोगों को काफी जमीनें दी गई हैं, तथा जहां परिणाम भोपाल के जैसे निरुत्साहित न करने वाले हों, वहां हम उन्हें और जमीन देने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे।

खुश्क जमीनों में फसलें उगाने का जहां तक सम्बन्ध है, इस पर भारतीय कृषि

[डा० पी० एस० देशमुख]

अनुसन्धान परिषद् में चर्चा की गई है। श्री चिनारिया ने जो भी तर्क दिये हैं उन पर विचार किया जा रहा है। यह कहना ठीक नहीं कि हम ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। वास्तव में सारे कृषि मंत्रालय का इस बात से सम्बन्ध है। खाद से सम्बन्धित प्रयोग, अच्छे बीजों का उपबन्ध तथा भूमि का कटाव रोकने की व्यवस्था आदि यह सारी बातें इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए की जा रही हैं।

४ म० प०

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक — मध्य) : कटौती प्रस्तावों पर सरदार लाल सिंह के भाषण को सुन कर मुझे खेद हुआ। उनमें तबदीली आई है, गत वर्ष उनके रचनात्मक भाषणों को सुन कर कितनी प्रसन्नता होती थी। खाद्य तथा कृषि नीति पर बोलते समय भी वह उत्तेजित भाव में थे। उन्हों ने कहा कि उनके आधीन बहुत कुछ काम हुआ है। मुझे वैयक्तिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं किन्तु मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दूसरे प्रान्तों तथा राज्यों में जो इस सम्बन्ध में अच्छा काम हुआ है वह कैसे उनकी आंख से ओझल रहा है। यह बात मैं यहां ही समाप्त करता हूं।

मैं अब सदन का ध्यान महाराष्ट्र की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार ने अकाल ग्रस्त व्यक्तियों की पीड़ा का निवारण करने के लिए यथासम्भव प्रत्येक प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में बम्बई राज्य के मंत्री श्री हिरे की कोशिशें विशेष रूप से सराहनीय हैं। जो लोग कांग्रेस सरकार की नीति से सहमत नहीं, उन्हों ने भी श्री हिरे के काम की सराहना की है। कोल्हापुर के जिस माननीय सदस्य ने श्री हिरे के काम की आलोचना की है वह स्वयं महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जा कर वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं।

पिछली बार हमारी चीख पुकार से प्रभावित होकर सरकार ने अभाव वाले क्षेत्रों की जांच कराने के लिए रामामूर्ति आयोग नियुक्त किया था, इस ने विभिन्न क्षेत्रों का तथा मेरे जिले का भी दौरा किया। मैं ने अपने कुछ सुझाव इस आयोग के सामने रखे। पता चला है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की है परन्तु यह मालूम नहीं कि अब उसका क्या बना है। बम्बई राज्य की हालत अजीब है। वहां अन्य राज्यों के मुकाबले में नागरिक जनसंख्या का समानुपात अधिक है।

बम्बई राज्य के सम्बन्ध में और भी एक बात है। वहां सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। इस राज्य के महाराष्ट्र प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होती है। सारा क्षेत्र पहाड़ी है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हर दशाब्दी में कम से कम तीन बार अकाल पड़ जाता है। शोलापुर ज़िले को, अहमद नगर ज़िले को तथा पूना ज़िले के कुछ हिस्सों को ही लीजिये जहां कि अकाल पड़ा हुआ है। यहां कोई भी सिंचाई सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं। दोनों खान्देश ज़िले भी मुशकिल में पड़े हुए हैं। यही हालत मेरे अपने ज़िले की भी है। इन क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कुछ सिंचाई परियोजनाओं को विशेषकर गिरना परियोजना को क्रियान्वित किया जाये। इसी तरह गंगापुर परियोजना तथा कुकडी परियोजना को भी कार्यरूप दिया जाये। पूना ज़िले की आवश्यकताएं भी कुछ

कम नहीं । वहां भी वीर बांध तथा खड़कवसाला बांध का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाये । इन सभी परियोजनाओं को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिये । पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि हर प्रदेश में ऐसा कोई कार्य होना चाहिये जिस से कि वहां के निवासी आकर्षित हों तथा जिस से कि वह प्रोत्साहित हों । किन्तु आप देख लीजिये कि योजना में महाराष्ट्र के बारह ज़िलों के लिए सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध रखा गया है । राज्य सरकार की अपनी कठनाइयां होंगी । किन्तु मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर सहानुभूति से ध्यान दिया जाये । मैं विशेष कर वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालें जिस से कि बम्बई राज्य के इस अकालग्रस्त क्षेत्र में अधिक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हो सके ।

जहां तक कृषि तथा खाद्य मंत्रालय की कार्य प्रगति का सम्बन्ध है, हमें प्रसन्नता है कि नियंत्रण ढीला कर दिया गया है । इस से जनता में सन्तोष की भावना फैल गई है । वह चाहती है कि से और भी ढीला कर दिया जाये ।

रासायनिक खादों तथा उर्वरकों पर विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करके काफी धन खर्च किया जाता है । मैं सरकार का ध्यान उस उत्तम खाद की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि प्रति दिन मलमूत्र के रूप में नष्ट होती रहती है । शहरों में इसे संग्रहित करने की व्यवस्था तो है किन्तु देहात में यह खाद बिल्कुल नष्ट हो जाता है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह एक ऐसी स्कीम तैयार करे जिस से कि इस उपयोग खाद को खेतों में काम में लाया जा सके ।

श्री अब्दुस्सत्तार (कलना-कटवा) : मैं नई नीति के प्रतिपादन पर माननीय खाद्य मंत्री को बधाई देता हूं । पश्चिमी बंगाल में इस नीति ने बहुत थोड़ा से समय में ही चोरीछुपे माल लाने ले जाने वालों की कमर तोड़ दी है । दिन प्रति दिन मूल्य गिरते जा रहे हैं । पच्छिमी बंगाल में मेरे मित्र तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा कि गल्ला वसूली प्रथा से लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं । किन्तु में इससे सहमत नहीं हूं । । इस में केवल ५·४६ प्रतिशत लोग ही तो आते हैं । इस नवीन प्रथा के जारी होने से पूर्व समाहार में तो छोटे बड़े सभी किसान आते थे । अब वे लोग मुक्त कर दिए गए हैं जिनके पास कि तीस बीघा या उससे कम ज़मीन है और लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में खाद्यान्न ले जाने की आज़ादी है । इस प्रतिबंध को उठाने से बड़ा लाभ हुआ है । गत वर्ष कलना तहसील में चावल का भाव ३५ से ४० रुपए मन था । आज यह मूल्य १६ से १७ रुपए मन है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने फेयर प्राइस दूकानों में भी चावल का मूल्य ३ आने प्रति सेर कम कर दिया है । मैं समझता हूं कि नवीन नीति विनियंत्रण की ओर एक कदम है । मैं उन लोगों में से हूं जो विनियंत्रण के हामी हैं । तीन मास से कम ही हुए हैं और यह नीति सफल हुई है ।

मैं एक किसान हूं । 'अधिक अन्य उपजाओ' आन्दोलन की इधर उधर आलोचना की गई है । वांच्छित परिणाम भले ही न प्राप्त हुए हों; किन्तु यह बिलकुल असफल नहीं हुआ है । इसने लोगों में 'अधिक अन्य उपजाओ' भावना जाग्रत कर

[श्री अब्दुस्सत्तार]

दी है । बहुत सी नई जमीन खेती के अंतर्गत लाई गई है । मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो कि दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत आता है । वहां के किसान अपने धान के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं। सिंचाई के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । मुझे खुशी है कि परियोजना में तेजी से प्रगति हो रही है। अब कई जिलों में सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा तथा अधिक धान उगाया जा सकेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारा कृषि विभाग जापानी प्रणाली जारी करने का प्रयत्न कर रहा है ।

मैं सदन का अधिक समय न लेकर अंत में माननीय मंत्री जी को फिर बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने हमें यह जो नया आशावादी नारा दिया है कि हम आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, यह उत्साहवर्धक है । इस से नाज जमा करने वालों को धक्का पहुंचेगा । मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं तथा सब कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

श्री बंसल : श्रीमान्, क्या मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय : यह प्रश्न पूछने का अवसर नहीं है । माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। और उनके बाद एक सदस्य बोल भी चुके हैं। प्रश्न मंत्री जी के बोलने के ठीक बाद ही पूछने चाहिए । अब जब वह बोल चुकें तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर --पूर्व व जिला बलिया---दक्षिण पश्चिम) : सभापति जी, सब से पहले मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कंट्रोल के सम्बन्ध में अपना पैर आगे बढ़ाया, लेकिन फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आगे बढ़ कर भी आप पीछे चले गये हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़---पूर्व व जिला बलिया---पश्चिम): यह आदत के खिलाफ बात है ।

श्री आर० एन० सिंह : इस से भी देश का कुछ कल्याण ही हुआ । हमारे देश में चावल की कमी तो बराबर चली ही आती है । माननीय मंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि ईख न पैदा करो, चावल पैदा करो । लेकिन मुझे इस के सम्बन्ध में कहना पड़ता है कि जिस खेत में ईख पैदा होती है, उस में चावल नहीं पैदा होता । चावल हमारे देश में अंगरेजों के समय में भी बाहर से आता था ।

श्री किदवई : जरूर आता रहा है ।

श्री आर० एन० सिंह : और अब भी मंगाते हैं ।

श्री किदवई : अब नहीं मंगावेंगे ।

श्री आर० एन० सिंह : बहुत अच्छा है, इस के लिये आप को धन्यवाद ।

जो आंकड़े हमारे खेती के प्राप्त हैं उस में ३२४ करोड़ एकड़ पर ही अभी खेती होती है। उस के बाद अब जितनी आबादी बढ़ी उस हिसाब से खेती की बढ़ती नहीं हुई ।

श्री किदवई : पैदावार भी बढ़ी ।

श्री आर० एन० सिंह : पैदावार नहीं बढ़ी । सिर्फ कहने मात्र को, रेकार्डों में । दूसरी बात यह है कि आप हमेशा बड़ी बड़ी स्कीमें, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स की ही तरफ ध्यान देते हैं । आप की वह स्कीमें पूरी नहीं होतीं । आप उस में करोड़ों

रुपया व्यय कर देते हैं। अगर कभी आप छोटी छोटी सिंचाई की स्कीमों की तरफ ध्यान देते हैं तो भूल कर ही।

डा० पी० एस० देशमुख : उस की तरफ ध्यान देने की पालिसी है।

श्री आर० एन० सिंह : धन्यवाद। तीसरी बात यह है कि आप कृषि की ट्रेनिंग देने के लिये जिन आदमियों को भेजते हैं उन में से अधिकतर आप अपने एस० डी० ओ० और तहसीलदारों को ही भेजते हैं। वह तहसीलदार और एस० डी० ओ० खुद ट्रेनिंग सेन्टर पर जा कर के सिर्फ आप की तरह से ज्यादा भाषण देना सीख लेते हैं, उन को खेती का और कोई ज्ञान नहीं होता। इस के सम्बन्ध में मैं अपने यहां की एक घटना बताता हूं। एक अधिकारी हमारे यहां खेती की ट्रेनिंग ले कर गये और उन्होंने अपने सुपर्वाइज़र से कहा कि आप देहातों में जा कर के जो नई डेबिलर (ड्रिलर) मशीन निकली है उस का प्रयोग कीजिये। मुझे सुन कर बड़ा दुःख हुआ।

श्री किदवई : क्यों ?

श्री आर० एन० सिंह : मैं आप को बतलाता हूं किस लिये। इस लिये कि वह डेबिलर (ड्रिलर) मशीन उस ज़मीन में उपयोगी हो सकती है जहां कांचड़ या बारीक मिट्टी हो। हमारे यहां काला मिट्टी है। गंगा और घाघरा के कगारों और दोआब में मिट्टी के बड़े बड़ ढेले हैं।

डा० पी० एस देशमुख : उन को छोटे करना चाहिए।

श्री आर० एन० सिंह : छोटे करने पर भी उस में छेद रह ही जाते हैं। जितना छेद ड्रिलर या डेबिलर करता है उतना छेद रह जाता है। उस में भ उन्होंने सुपर्वाइज़र से डेबिलर का प्रयोग करने के लिये कहा। मुझे इस बात को देख कर दुःख हुआ कि वह डेबिलर, वहां कितना ही मिट्टी को बराबर किया जाये, बहुत उपयोगी नहीं होता। उस के लिये प्रोत्साहन भी दिया गया, प्रयोग भी किये गये, परन्तु वह प्रयोग असफल रहे। बहुत से किसान कम्प्लेन्ट ले कर आये, उन्होंने यह एतराज़ किया कि डेबिलर हमारे यहां के लिये ठीक नहीं है। लेकिन आप के जो.....

एक माननीय सदस्य : डेबिलर क्या है ?

श्री आर० एन० सिंह : एक मशीन है।

एक माननीय सदस्य : किस काम के लिये है ?

चौधरी रणवीर सिंह (रोहतक) : उसे ड्रिलर कहते हैं।

श्री आर० एन० सिंह : आप अंग्रेज़ी में उसे ड्रिलर कहते है लेकिन हम ने जनता को समझाने के लिये उस का नाम डेबिलर रख दिया है। वह डेबिलर अनुपयुक्त रहा। वहां उस से कुछ फायदा नहीं हुआ। तब भी वहां के अधिकारी जिन को आप ने ट्रेनिंग दे कर भेजा था.....

श्री किदवई : वह कहां के अधिकारी थे ?

श्री आर० एन० सिंह : बलिया के ही हैं। दोष उन अधिकारियों का नहीं, जो दोष है वह आप का है और आप की ट्रेनिंग देने का।

श्री किदवई : वह कैसे ?

श्री आर० एन० सिंह : इस लिये कि वह अधिकारी इस लिये आते हैं कि उन को नौकरी करना है, उन को खेती में उन्नति करने का ख्याल नहीं है। केवल अपनी नौकरी को कायम रखने के लिये ट्रेनिंग लेने जाते हैं। वह आप की तरह से ही भाषण देना सीख लेते हैं और गांवों में जा कर भाषण देते हैं। इस प्रकार का भाषण उन्होंने एक बार दिया था कि तुम जो एक बीघा में पन्द्रह सेर गेहूं बोते हो, उस में से दस सेर गेहूं में हम एक बीघा खेत बो देते हैं। पांच सेर तुम ने बोते समय ही बचा लिया, पांच सेर बचत बहुत काफी है। ऐसे ऐसे भाषण दिये जाते हैं जिन को सुन कर किसान लोग हंसते हैं। मुझे दुःख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग ट्रेनिंग ले कर जाते हैं वह भाषण देते हैं और उन पर जो अनपढ़ किसान हैं वह हंसते हैं।

इस के सिवा मुझ को आप से इस कंट्रोल के सम्बन्ध में भी कहना है, ग्रेन के मूवमेंट के सम्बन्ध में। आप ने मूवमेंट को एक प्रान्त में कितना सीमित किया परन्तु अभी भी दो प्रान्तों में आपस में क्या मूवमेंट नहीं होता। हमारा जिला बिहार से सम्बन्धित है.....

श्री किदवई : बिहार से बहुत सा चावल आप के यहां स्मगल हो कर आता है।

श्री आर० एन० सिंह : आपने जो तरीका निकाला है उस की वजह से आता है और इस से क्या होता है कि जनता में चोरी की भावना फैलती है। जो चोरी नहीं करना चाहते वह भी चोरी करते हैं। किसान चोरी नहीं करना चाहता लेकिन आप का जो तरीका है, उस तरीके की वजह से उस को अपना माल चोरी कर के लाना पड़ता है। यह आपके तरीके हैं, यह आपकी नीति है। इस लिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उन किसानों के लिये जो कि यू० पी० के रहने वाले हैं और जिन के खेत गंगा की धारा से कट कर बिहार में चले गये हैं और वह खेती करते हैं, उन को गल्ला लाने के लिये कम से कम आप प्रबन्ध करें।

श्री किदवई : इजाज़त तो है उस को।

श्री आर० एन० सिंह : अभी नहीं हुई।

श्री किदवई : हैंड लोड ले जाते हैं।

श्री आर० एन० सिंह : उस से काम नहीं चलता। अब मैं आप से थोड़ा ईख के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

एक तरफ तो आप ईख के लिये तमगे बांटते हैं कि अधिक से अधिक ईख पैदा करो दूसरी तरफ जब बेचारा गरीब किसान ईख पैदा करना शुरू कर देता है तो आप ईख की कीमत को घटा देते हैं। इसका आप ज़रा भी ख्याल नहीं करते कि उस गरीब किसान ने परिश्रम किया है और पैसा खर्च किया है। उसके पैसे को पूरा करने का आप ध्यान नहीं रखते। एक तरफ इन गरीब किसानों के लिये आपकी यह नीति है दूसरी तरफ ईख मिल वालों के यहां जाती है और वह चीनी तैयार करते हैं, और जब चीनी में उनको घाटा होता है तो आप चीनी पर एक रुपया मन टैक्स लगाकर उनके घाटे को पूरा करते हैं लेकिन किसानों की तरफ ध्यान नहीं देते। आप मिल वालों का घाटा पूरा करते हैं।

श्री किदवई : मिल वालों के लिये हम कुछ नहीं करते हैं।

श्री आर० एन० सिंह : जी नहीं, मिल वालों का घाटा पूरा करने के लिये ही आप चीनी पर टैक्स लगाते हैं।

श्री किदवई : जी नहीं।

श्री आर० एन० सिंह : इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने गांधी जी के वह दुःख भरे शब्द रखना चाहता हूं जो उन्होंने अपने प्रार्थना प्रवचन में १० दिसम्बर १९४७ को कहे थे। उन्होंने मिल वालों के सम्बन्ध में यह कहा था कि मिल वालों के लिये सब सुविधा पैदा की जाती है। हम राज चलाते हैं उस में धनपति हैं, उनकी तो चलती है परन्तु जो हलपति हैं उनकी नहीं चलती। तो मैं तो आज आपके सामने यह कहूंगा कि आप महात्मा जी के इन शब्दों की ओर ध्यान दें और गरीबों की तरफ ध्यान देकर आप चलें और कंट्रोल को खत्म करें। आप किसानों को अधिक से अधिक मदद दें। किसानों की जरूरत क्या है? वह आपसे रुपया नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि आप उनको सामान दे दें जिससे वह अपने लिए कुंएं और बांध तैयार कर सकें। इसके लिये आज किसान तैयार हैं लेकिन आप उधर ध्यान न देकर बड़ी बड़ी प्राजेक्टस की ओर ध्यान देते हैं।

दूसरे, जो आपने कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स जारी की हैं उनमें जनता चाहती है कि हम काम करें और हम देश को आगे बढ़ाय लेकिन वहां पर आप जाते हैं तो सिर्फ आपका शो होता है और उस आपके शो में हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं लेकिन उन किसानों पर कुछ व्यय नहीं किया जाता। आपका चित्र लिया जाता है, अखबारों में पत्रिकाओं में चित्र आपका दिखाया जाता है। मैं तो देखता हूं कि आपका चित्र बहुत अधिक निकलता हैं लेकिन जनता में उतना काम नहीं होता।

श्री किदवई : किसका चित्र।

श्री आर० एन० सिंह : हर एक पत्र पत्रिका में आपका चित्र रहता है। आपसे मेरा मतलब गवर्नमेंट के मिनिस्टरों से है। अन्त में मुझे आपसे यह कहना है कि यह जो बापू जी के आर्शीवाद से सरकार बनी है इसकी तरफ आप ख्याल करें——आप जनता के चुने हुए हैं, आप जनता के लिये हैं। इस लिय मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप गरीब जनता का ख्याल करें। आप एअर-कंडीशन्ड में बैठकर जनता को न भूल जायें। आप जनता के चुने हुए हैं और जनता ने आप को भेजा ह। जनता ने आपको अपना काम करने के लिये भेजा है लेकिन आप आज गरीब जनता का ख्याल न करके हवाई जहाज़ों और मोटरों पर चलने वाली जनता का ही ख्याल कर रहे हैं। आप पैदल चलने वाली जनता का ख्याल नहीं करते हैं।

मेरा समय अब समाप्त हो गया है इसलिये मैं और अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़) : सभापति महोदय, इस साल खाद्य की समस्या पिछले तीन चार सालों से बहुत अच्छी है। उसका कारण यह है कि हमारे माननीय किदवाई महोदय ने रोग की नाड़ी को बहुत सही पहिचान कर ठीक तौर से पकड़ा है और मैं आशा करता हूं कि यह समस्या जल्दी से जल्दी अब पूरी हो जायेगी। इस समस्या के विषय में हमारी विरोधी पार्टियों की तरफ से बहुत कुछ कहा गया है। खास करके हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने बहुत कुछ कहा है। वह कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस खाद्य के विषय में कुछ नहीं किया। उनका यह कहना ठीक है क्योंकि उनकी विचारधारा तो हमेशा रूस की तरफ जाती है लेकिन उनको यह मानना

[श्री आर० एस० तिवारी]

चाहिये कि भारत में जितनी पार्टियां बनती हैं वह भारतीय संस्कृति के अनुसार बनती हैं। हमारे यहां समाजवादी हैं लेकिन वह भारतीय संस्कृति के अनुसार हैं। हमारे यहां हिन्दू महासभाई, सनातन धर्मी आदि जो भी हैं वह सब भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ कुछ हैं। पूरे तौर पैर तो वह नहीं हैं। पहले हमारी भारत की संस्कृति विदेशों में थी, इंडोनेशिया में थी, चीन में थी, जापान में थी और लंका में थी। लेकिन आज छुआ-छूत के कारण यह संस्कृति चूल्हे और चक्की तक सीमित रह गयी है। इसलिये वह लोग पूरे तौर से भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं हैं पर कुछ कुछ हैं। मगर हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने तो रशिया की ही दीक्षा ली हुई है। कुछ भी अच्छी चीज़ कांग्रेस करे वह उसके खिलाफ ही कहते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति पर चले बिना वे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। चीन भी कम्युनिस्ट देश है पर चीन का कम्युनिस्म रूस के कम्युनिस्म से भिन्न है। रूस ने सारी भूमि को केन्द्रित कर रखा है, लेकिन चीन ने उसे टुकड़े टुकड़े करके किसानों में बांट दिया है। अब आप देखिये कि यह रूस से भिन्न है या नहीं। इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि हमारे कम्युनिस्ट भाई भी भारतीय कम्युनिस्ट बने और भारतीय संस्कृति को लेकर अगर चलें तो आगे बढ़ सकते हैं। केवल क्रिटिसिज्म से काम नहीं चल सकता। हमारी इस अन्न की समस्या में सभी पार्टियों का सहयोग होना चाहिये। अगर हम अपनी अन्न की समस्या को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम देश की उन्नति नहीं कर सकते।

न्न की समस्या को पूरा करने के लिये हम को दो तीन बातों पर ध्यान देना चाहिये। पहली बात तो यह है कि हमारे देश की आबादी हर दस साल में सवाई से कम हो जाती है। इसलिये जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारी अन्न समस्या नहीं पूरी हो सकेगी क्योंकि हर साल यह अन्न की आवश्यकता बढ़ती हो जायगी। दूसरे मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि अन्न की समस्या हल करने के लिये हम को सबसे अधिक सहूलियतें अपने किसानों को देनी चाहियें। अगर किसान को सहूलियतें मिलेंगी तो वह ज्यादा पैदावार बढ़ा सकेगा। लेकिन समय पर आज किसान का लोहा नहीं मिलता, लकड़ी नहीं मिलती समय पर अदालतों में उसका काम नहीं होता किसानों के केवल दो तीन ही महीने होते हैं। यह दो तीन महीने किसान को सरकार के दरवाज़े पर दौड़ते दौड़ते बीत जाते हैं। अगर आप किसान की इस परेशानी समस्याओं की तरफ ध्यान दें तो अन्न में वृद्धि हो सकती है।

अब मुझे थोड़ी सी बात भारतवर्ष के किसानों के सम्बन्ध में कहनी है। यहां किसानो की कुल संख्या २४,९१,२२,४९९ है। उसमें से वह किसान जो दूसरों से लगान पाते हैं उनकी संख्या ५३,२४,३०१ है। वह किसान जो ज़मीन से सम्पन्न हैं उनकी संख्या है ३१,६३,७१९ और वह किसान जो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते हैं उनकी संख्या है ४,४८,११,९२८। यह किसान ऐसे हैं जिनके पास हल बैल हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है और वह दूसरों की ज़मीन लेकर उस पर अटाई बटाई से काश्त करते हैं और जो ज़मीन की आमदनी होती है वह मालिक ले लेता है जिसके पास ज़मीन है। इस लिये इन ४,४८,११,९२८ किसानों को अगर सरकार जमीन तकसीम कर दे तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की अन्न की

समस्या हल हो सकती है। इस ओर आपको ध्यान देना है। लगान पाने वाले और वह किसान जिनकी संख्या मैंने आपको ३१,६३,७१९ बतायी वह लोग किसान होते हुए भी बड़े बड़े ज़मीनदार हैं। यह इतने बड़े बड़े हैं कि जो गांव के गांवों पर कब्ज़ा किये हुए हैं और दूसरों को ज़मीन नहीं देते हैं। और न खुद जोतते हैं। सलिये पहले आप को इनकी ओर ध्यान देना चाहिये और इन की ज्यादती खत्म कर देनी चाहिये और इनकी अधिक ज़मीन को उन किसानों को दे दिया जाना चाहिये जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन पर बटाई पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार से यह समस्या पूरी तरह से हल हो सकती है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि जो दस करोड़ आदमी हमारे यहां उद्यम-नौकरी करने वाले रह जाते हैं जो कि काश्त नहीं करते हैं उनकी समस्या इन चार करोड़ आदमियों के द्वारा पूरी हो सकती है जैसा कि मैं ने आपसे अर्ज़ किया है।

दूसरे उन स्थानों में जहां कि खेती करने लायक ज़मीन है जांच करायी जाय और उन स्थानों की खेती के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय।

अब मैं आप से विन्ध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। विन्ध्य प्रदेश में २२,४३२ वर्ग मील का एरिया है जिसमें से ७,७१४ वर्ग मील जंगल है, बाकी सब जमीन खेती के योग्य है। लेकिन बहुत सी भूमि परती है क्योंकि वहां पहले राजाओं का ज़माना था और छोटे २ टुकड़ों में वह राज्य बंटा हुआ था, इस लिये न वहां कुएं हैं और न बांध हैं। वहां सिंचाई का जरिया नहीं है। इसलिये आप कुएं और बांध के लिये रुपया रख दें और उत्तर प्रदेश के जो बांध विन्ध्य प्रदेश की भूमि में बंधे हुए है उनसे विन्ध्य प्रदेश की सिंचाई के लिये कोशिश करें तो आप के दो प्रांविस को विन्ध्य प्रदेश गल्ला दे सकता है और खर्च कम पड़ेगा। इसलिये मेरी आप से यह प्रार्थना है कि जिस तरह आपने कदम उठाया है उसको आप पूरा करें।

श्री किदवई : डा० पंजाब राव देशमुख प्रायः सभी आलो-चनाओं का उत्तर दे चुके हैं। मैं दो एक सदस्यों की बातों को ही लूंगा और अंत में खाद्य स्थिति पर प्रकाश डालूंगा। सरदार लाल सिंह भारत सरकार के परामर्शदाता और पंजाब के कृषि संचालक जैसे उत्तर-दायी पदों पर रहने के बाद राजनीति में प्रविष्ट हुए हैं। उनके कल के भाषण को सुनने के बाद मैंने यह जानने की चेष्टा की कि उन्होंने सरकारी सेवा-काल में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनकी कौनसी योजनाएं अपूर्ण रह गई हैं। देश में चारों ओर शिकायतें थी कि मुरब्बे वालों को दी जाने वाली चीनी चोर बाजार में बिका करती थी।

सरदार लाल सिंह : मैं इस घृणित वक्तव्य को चुनौति देता हूं। माननीय मंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय मंत्री की पूरी बात तो धैर्य से सुनें। उत्तेजना का कोई कारण नहीं है। व्यक्ति-गत बात हो तब वह कुछ कह सकते हैं।

श्री किदवई : देश में इस प्रकार चोर बाज़ार में जाने वाली चीनी के विरुद्ध पुकार मची हुई थी और माननीय सदस्य परामर्शदाता के रूप में मुरब्बा उद्योग के विकास के लिये परामर्श दे रहे थे। प्रत्येक

[श्री किदवई]

राज्य में ऐसे मामले थे। जब दिल्ली के एक पत्र ने इसे प्रकाशित किया, तो किसी ने उस पर मानहानि का दावा किया पर बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ। फिर माननीय मित्र पंजाब के कृषि संचालक बने और मुरब्बा उद्योग में अपने चाव के कारण एक फ़र्म को चीनी दिलाने की सिफ़ारिश करने लगे।

सरदार लाल सिंह : श्रीमान्, यह सब गलत है और अदालत में यह सिद्ध हो चुका है। वह इसे प्रमाणित करके दिखायें।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न पर। क्या यह संगत है ?

सभापति महोदय : शांति, शांति। वह अपनी रक्षा के लिये स्वयं सजग हैं। माननीय सदस्य क्यों बाधा दे रहे हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : पर किसी माननीय सदस्य के व्यक्तिगत लेखे जोखे को सदन में क्यों लाया जाय ?

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं। उचित हुआ तो मैं स्वयं सरदार लाल सिंह को अपनी सफाई के लिये बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री किदवई : मेरे पास जो फायल है, उसमें पंजाब की एक फ़र्म का आवेदन है कि वह बहुत पुरानी फ़र्म है और उस पर पंजाब के कृषि संचालक की सिफारिश है कि वह उस फ़र्म को बहुत दिनों से जानते हैं और चीनी का दुरुपयोग न होगा। इस पर यहां लोगों को संदेह हो गया और बाद में पता चला कि इस नाम की कोई भी फ़र्म नहीं थी . . . .

सरदार लाल सिंह : मैं फिर कहता हूं कि . . . . . .

सभापति महोदय : शांति, शांति। जब माननीय सदस्य माननीय मंत्री की प्रत्येक बात को चुनौती दे रहे हैं तो माननीय मंत्री व्यक्तिगत विषय न लेकर दूसरे रूप में अपने तर्क रखें।

श्री किदवई : मेरा कथन यही है कि सरकारी नीति में कोई गड़बड़ नहीं, पर कुछ न कुछ बाधा पड़ जाने के कारण उसका पालन नहीं हो पाता।

फिर सरदार लाल सिंह ने कहा कि उनके कार्यकाल में उत्पादन बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि १९४७ में संचालक के रूप में उनकी नियुक्ति के समय प्रति एकड़ उपज ५५५ पौंड थी और उनके जाते समय ५४१ पौंड अर्थात कोई वृद्धि नहीं हुई।

सरदार लाल सिंह : मैं बता दूं कि . . . . . .

सभापति महोदय : शांति, शांति, यह आंकड़ों की बात है, इसके लिये मैं उनको बोलने का समय दे दूंगा।

श्री किदवई : फिर माननीय सदस्य श्री चौधरी ने 'भुखमरी' की और एक वर्ष में स्थिति बिगड़ने की बात कही थी। पिछले वर्ष के भाषण में भी उन्होंने ठीक वही शब्द कहे थे। साथ ही उन्होंने भावों को बढ़ा हुआ बताते हुए उनको ४०-५० रुपये प्रति मन तक बताया था। आज वह स्वयं उस भाव को ४०-५० के स्थान पर १७½ रुपये प्रति मन बता रहे हैं और मंत्री की सुस्ती को दोष दे रहे हैं। फिर

उन्होंने लोगों की क्रय शक्ति कम बताते हुए निकास कम होता हुआ बताया था। पर बंगाल में सरकारी दूकानों से निकास १९५० में ८,६५,००० टन था, १९५१ में ९,५५,००० टन और १९५२ में १०,१५,००० टन। ये आंकड़े सरकारी गोदामों और राशन दूकानों के लेख्यों से एकत्रित किये गये हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद आसीन]

कलकत्ता और बंबई जैसे बड़े राशन क्षत्रों में बाहर से कुछ नहीं आ पाता। कलकत्ते में चावल का निकास नवम्बर, ५१ में २०·४ हजार टन था और नवम्बर, ५२ में २०·६ हज़ार टन; दिसम्बर, ५१ में २१·४ हज़ार टन और १९५२ में २१·२ हज़ार टन; जनवरी ५२ में २१·४ हजार टन और जनवरी, ५३ में २५·९९ हज़ार टन। तो बंगाल के कलकत्ता जैसे शहर में जहां बाहर से कुछ नहीं आ पाता, निकास कम न होकर बढ़ा ही है। ऐसी ही दशा बम्बई की भी है।

खाद्य-सहायता के हटाये जाने के सम्बन्ध में कुछ विरोधी माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है, पर उन्होंने हाल की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकारों को गत वर्ष रु० २०/८/- प्रति मन पर गेहूं दिया गया था और भाव रु० १८/८/- रखने के लिए हमने २ रु० प्रतिमन खाद्य सहायता दी थी। इस वर्ष वह रु० १७/८/- प्रति मन पर दिया गया है और वह भी बन्दरगाह पर नहीं, भीतरी शहरों में। अतः खाद्य सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता है और न उससे उपभोक्ता को कोई हानि ही उठानी पड़ी है क्योंकि उसे तो पिछले वर्ष की अपेक्षा सस्ता ही अनाज मिलेगा।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान् सूचना के लिये मुझ एक बात पूछनी है। वितरित रिपोर्ट के पृष्ठ १५ पर कंडिका ४७ में राशन दुकानों में निकास के पतन का उल्लेख है और अभी माननीय मंत्री उसमें वृद्धि बता रहे हैं। क्या हम समझें कि रिपोर्ट की बात गलत है ?

श्री किदवई : बात गलत नहीं, समझ का फेर है। कानपुर, लखनऊ, मध्यप्रदेश आदि में राशन दुकानों की अपेक्षा खुली दुकानें भी हैं और बाहर से भी माल आता है। मैं ने वे उद्धहरण उन स्थानों से दिये थे, जहां अनाज बाहर से नहीं आ पाता। स्पष्ट ही जहां केवल सरकारी दूकानें ही हैं, निकास कम नहीं हुआ उलटे बढ़ा ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच बज चुके हैं माननीय मंत्री अब अधिक न बोल सकेंगे।

सरदार लाल सिंह : सभापति महोदय ने मुझे अन्त में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये बोलने का वचन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मुखबंध लगा रहा हूं। यदि सभापति जी ने वचन दिया है, तो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये फिर कभी अवसर मिल सकेगा।

मैं मांग संख्या ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ और १२५ पर रखे गये कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रयपत्र के स्तम्भ

[उपाध्यक्ष महोदय]

दो में वर्णित मांग शीर्षों ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, १२३, १२४ और १२५ के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को क्रमपत्र के स्तंभ तीन में दिखाई गई तत्संवादी राशियां प्रदान की जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निम्न मांगें स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या ४३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	रु०	४२,९१,०००
मांग संख्या ४४—वन	,,	३०,८४,०००
मांग संख्या ४५—कृषि	,,	३,३७,५४,०००
मांग संख्या ४६—नागरिक शालिहोत्रि सेवायें	,,	३३,८६,०००
मांग संख्या ४७—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन फुटकर विभाग तथा व्यय	,,	६७,२६,०००
मांग संख्या १२३—वनों पर पूंजी व्यय	,,	२१,२७,०००
मांग संख्या १२४—खाद्यान्नों का क्रय	,,	१,०४,९६,००,०००
मांग संख्या १२५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्य पूंजी-व्यय	,,	१८,२१,७६,०००

सरदार लाल सिंह : मैं ने कल बारह बातें पूछी थीं, जिनके उत्तर की मुझे माननीय मंत्री से आशा थी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने पंजाब के उत्पादन के ५५५ पौंड प्रति एकड़ से गिर कर ५४१ पौंड रह जाने की बात पर ही माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देने का वचन दिया था, अन्य बातों के विषय में नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उक्त आरोप के ही सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं ।

सरदार लाल सिंह : मझे यही कहना है कि मझे माननीय मंत्री से अपने प्रश्नों के उत्तर की आशा थी, पर वे उन का उत्तर न दे व्यक्तिगत बातों का खीच लाये । मैं कह चुका हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । माननीय सदस्य केवल उसी बात का निर्देश करें, जिस के लिये उन को बोलने का अवसर मिला है ।

सरदार लाल सिंह : मेरे भार संभालते समय पंजाब घाटे वाला प्रदेश था । पर मेरे पद छोड़ते समय वह अतिरेक वाला प्रदेश हो गया । स्वयं पंजाब मंत्रिमंडल ने एक संकल्प में इस के लिये मुझे बधाई दी । और तीसरे पंजाब विधान सभा में सभी दलों ने—पूरे सदन ने—मेरे कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन शिक्षा मंत्रालय की मांगों को लेगा । माननीय सदस्य पंद्रह मिनट में सभी कटौती प्रस्ताव सचिव को दे दें, उन को प्रस्तुत किया गया मान लिया जायेगा । तब तक चर्चा चलती रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये निम्न अनुदानों के लिये निम्न मांगों सम्बन्धी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गए :

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय	रु० ३०,४१,०००
मांग संख्या १८—पुरातत्व	,, ४०,५९,०००
मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग	,, १,७५,८३,०००
मांग संख्या २०—शिक्षा	,, ४,४७,३९,०००
मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	,, २७,७१,०००
मांग संख्या ११५—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	,, ५,५०,०००

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिये अतीव महत्व का विषय है । कहने को तो यह राज्यों का विषय है परन्तु वास्तव में भारत सरकार हमारी शिक्षा नीति के निर्धारण के हेतु बहुत कुछ कर सकती है । आधार-शिक्षण माध्यमिक शिक्षण तथा विश्वविद्यालय का शिक्षण, इन सभी के लिए भारत सरकार की ओर से पथप्रदर्शन होना अत्यावश्यक है । शिक्षा मंत्रालय निस्संदेह बहुत कुछ कर रहा है परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है । आधार-शिक्षण तथा सामाजिक शिक्षण के लिये जो १९८ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है वह बहुत अच्छा किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि इसका कितना भाग आधार शिक्षण पर खर्च होना है और कितना सामाजिक शिक्षण पर । यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस का कितना भाग राज्यों द्वारा खर्च किया जायेगा और कितना केन्द्र द्वारा ।

आधार-शिक्षण में एक प्रकार का जीवन-दर्शन आ जाता है; यह शिक्षा के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है । परन्तु इसे आरम्भिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, आगे चलना चाहिये । आधार-शिक्षण के मूलभूत सिद्धान्त, अर्थात् क्रियात्मक गतिविधियों द्वारा शिक्षण, जिसे प्रधान मंत्री ने कार्य-दर्शन बतलाया है, का प्रसार होना चाहिये ।

अभी अभी माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई है परन्तु आशा की जाती है कि इस की सिफारिशों का भी वही हाल नहीं होगा जो इस से पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का हो चुका है । उन की कार्यान्विति होनी चाहिये । अन्यथा इन आयोगों की नियुक्ति नितान्त व्यर्थ है ।

शिक्षा के बारे में हमारे दो उद्देश्य हैं, एक तो यह कि इस का बड़े पैमाने पर विस्तार होना चाहिये और दूसरा यह कि इसका स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिये । जहां तक शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है संविधान में एक खण्ड इस आशय का रखा हुआ है कि दस वर्ष के अन्दर चौदह वर्ष की आयु तक अनिवार्य आरम्भिक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये । इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है । सम्भवतः इसका एक कारण धन का अभाव है । धन का प्रबन्ध किया जा सकता है परन्तु इस के लिये हमें असीम परिश्रम, अपूर्व साधना तथा कठोर उपायों से काम लेना होगा ।

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

मेरे पास इस के लिए दो क्रियात्मक सुझाव हैं ।

एक तो यह कि स्कूलों में दो दो शिफ्टें चलाई जायें जिस से भवनों, अध्यापकों तथा सामान से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके । त्रावनकोर राज्य में इस उपाय का सफल प्रयोग किया गया है । दूसरा उपाय यह है कि यदि आधार शिक्षण की उचित व्यवस्था की जा सके तो उस से शिक्षण का बहुत कुछ खर्च निकल सकता है । बिहार में ऐसा किया जा रहा है ।

एक और भी उपाय है जिसका प्रायः उल्लेख तो किया जाता है परन्तु जिसका अभी तक व्यवहारिक प्रयोग नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि हम उन सभी लोगों से जिन्हें राज्य के अनुग्रह से शिक्षा प्राप्त हुई है, शिक्षा-प्रसार के कार्य में एक वर्ष की सेवा मांग सकते हैं । मैट्रिक, इण्टर अथवा बी० ए० पास करके निकलने वाले व्यक्तियों को थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे कर इस सेवाकार्य पर लगाया जा सकता है । इस प्रकार के क्रांतिकारी उपायों के बिना हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकगी ।

एक और विषय भी है जो जनता के मन को अशान्त किये हुए है । लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अन्य लोगों का यह मत है कि शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षण-स्तर गिर गया है । हमें इस समस्या से भी सुलझना है । एक उपाय तो यह है कि माध्यमिक प्रक्रम तक तो शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा है ही कालिज में भी उसी को माध्यम रखना चाहिये । इस के लिये काफी परिश्रम करना होगा परन्तु यह काम करने योग्य है । इस का यह अर्थ नहीं है कि हमारी शिक्षा-संस्थाओं से अंग्रेजी को उठा दिया जाय । अभी कितने ही वर्षों तक हमें अंग्रेजी की आवश्यकता रहेगी । परन्तु हम उसे भाषा के रूप में रखना चाहते हैं माध्यम के रूप में नहीं ।

एक शब्द और । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सेवा के इस सुअवसर को हाथ से न जाने दें । यह कह देना आसान है कि यह राज्यों का विषय है अथवा यह कि हमारे पास धन का अभाव है । कठिन होने पर भी यह काम ऐसा है जो करना ही होगा ।

श्री के० एस० राव (एलुरु--रक्षित--अनसूचित जातियां) : (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तेलगू में बोल रहे हैं । वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपने भाव प्रकट करने में असमर्थ हैं । मानमीय सदस्यों को एक ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना चाहिये जो अपनी मातृ भाषा भली प्रकार से बोल सकता है ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद--- श्चिम): स्वागतम् ।

श्री के० एस० राव : मैं शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों पर किए गए कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोलने को खड़ा हुआ हूं । मैं हिन्दी और अंग्रजी नहीं जानता और आपने मुझे जो अपनी मातृभाषा तेलगू में बोलने की इजाजत दी है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

यह सभी जानते हैं कि हमारा देश शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है । अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने हमें केवल

ऐसी शिक्षा दी जिससे कि उनका शासन चलाने के लिए क्लर्क उत्पन्न हो सकें। उनकी शिक्षा का तात्पर्य हमारे मस्तिष्कों में गुलामी की बू भर देना था। किन्तु दुख इस बात का है कि आज़ादी के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई भी अन्तर नहीं आया है।

सरकार को शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्त्तन लाना है जिससे कि यह जन सामान्य के लिए सुगम्य हो जाए। किन्तु हमारी सरकार उस टैकनीकल, वज्ञानिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकी है जो कि अंग्रेज़ों ने प्रारम्भ की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेकारी बढ़ रही है और उनमें से अनेकों लोग क्लर्क अथवा व्यापारियों के एजेंटों के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब सरकार की उपेक्षा के कारण है। देश में टेकनीकल इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की अत्यन्त आवश्यकता है, किन्तु सरकार पुराने ढर्रे की बेसिक शिक्षा पर ज़ोर दे रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आधार पर उच्च स्तर के टकनीशियनों और वैज्ञानिकों का सृजन करने में वह बिलकुल असफल रही है।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, इसे विस्तृत करने के बजाय संकुचित किया जा रहा ह। हजारों लड़क पढ़ने के लिए आते हैं किन्तु स्कूलों में जगह नहीं है और नए स्कूल बनाए नहीं जा रहे हैं। दिल्ली के शहरी क्षेत्र में ही, एक समाचार क अनुसार ३७,००० लड़के प्रवेश नहीं पा सके। असंख्य गांव ऐसे हैं जहां एक भी स्कूल स्थित नहीं है। शिक्षकों की दशा, जो कि शिक्षा सम्बन्धी समस्त योजना के आधार हैं, दयनीय है। उन्हें जीवन यापन के लिए पर्याप्तन वेतन नहीं दिया जाता। उन की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। उनकी दशा बस ड्राइवरों, चपरासियों और भंगियों से भी बदतर है। कई राज्यों में वे इसीलिए हड़ताल और भूख-हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। बिना उनकी दशा संभाले, शिक्षा का विकास नहीं हो सकता।

हमारी पंचवर्षीय योजना के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देश में तब सम्भव हो सकती है जब कि इस प्रयोजन के लिए ४०० करोड़ रुपए खर्च किए जाएं और २०० करोड़ रुपए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में तथा २७२ करोड़ स्कूल की इमारतें बनवाने में खर्च किए जाएं। किन्तु शिक्षा की योजना में पांच वर्ष में केन्द्र द्वारा केवल ३९ करोड़ रुपए और राज्यों द्वारा १७७ करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस हिसाब से तो सरकार संविधान में उपबन्धित मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दस वर्ष में कभी नहीं चालू कर सकती।

वर्त्तमान माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा अत्यंत मेंहगी ह और साधारण व्यक्ति की हैसियत के बाहर है। इस प्रक्रम पर टेकनीकल और टेकनोलोजीकल शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि उद्योगों तथा कृषि का विकास करने में सहायक हो। किन्तु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभापति की राय है कि यह शिक्षा इस प्रक्रम पर नहीं दी जानी चाहिए। मै समझता हूं कि यह बड़ा खतरनाक दृष्टि-कोण है।

शिक्षा का विकास तेज़ी से उसी दशा में हो सकता है जब कि लोगों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। किन्तु कांग्रेस सरकार ने इस आधारभूत पहलू की महत्ता को पूर्णतया नहीं समझा है। उदाहरण के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय

[श्री के० एस० राव]

में शिक्षा का माध्यम उर्दू है और इससे उस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार अवरुद्ध हो गया है क्योंकि वहां की प्रादेशिक भाषाएं तेलगू, मराठी और कन्नड़ हैं। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए सरकार उस विश्वविद्यालय को लेकर वहां हिन्दी रखने जा रही है। लोग कभी इसे नहीं होने देंगे।

आंध्र में दो करोड़ लोग हैं और केवल एक विश्वविद्यालय है। वह भी केन्द्र से पर्याप्त आर्थिक सहायता न मिलने के कारण अच्छी तरह नहीं चलता है। मद्रास सरकार का व्यवहार उसके साथ समता का नहीं है। केन्द्र को अधिक उदारतापूर्वक उसे सहायता देनी चाहिए।

सरकार इस बात का बहुत बिगल बजाती है कि अनसूचित जातियों के लिए वह यह कर रही है वह कर रही है। लेकिन उनकी दशा दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। केन्द्र उनकी शिक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। राज्य सरकारें भी नाम मात्र को पग उठा रही हैं। इस प्रकार से उनकी निरक्षरता तथा पिछड़ेपन की वृहत समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए केन्द्र को भी उनके लिए कार्य करना चाहिए। बहुत कम हरिजन विद्यार्थियों को स्कूल और कालिजों में वजीफा दिया जा रहा है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त राशि देनी चाहिए। उनके बच्चों का रहने और खाने का भी मुफ्त प्रबन्ध होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

श्री स्नातक (जिला अलीगढ़—रक्षित—अनसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में पहली बार बोलने का अवसर मिला इसलिये मैं अपने शिक्षा मंत्री जी, चीफ व्हिप और व्हिप साहब का धन्यवाद करता हूं। आज जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे स भारतवर्ष में शिक्षा का क्या स्थान ह तो मुझे निराशा होती है। जिस तरह अन्न और खाद्यान्न से शरीर बनता और पुष्ट होता है ठीक उसी तरह से दिमाग आत्मा और दिल को ठीक करने के लिये शिक्षा बहुत जरूरी है। परन्तु आज हम यह देखते हैं कि इन पांच वर्षों के अन्दर जब से हमारा देश आजाद हुआ शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। इससे पहले यहां पर अंग्रेज थे और उन्होंने हमारी शिक्षा के अन्दर जो कुछ भी किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है परन्तु इन पांच वर्षों में जैसी हमको उन्नति करनी चाहिए थी, वह आज देखने को नहीं मिल रही है। वैसे तो कहा जा सकता है कि बहुत से स्कूल और पाठशालाएं खुल गयीं और हमने बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षित कर दिया है, परन्तु वास्तव में वह शिक्षा, शिक्षा नहीं है जो अपने चरित्र को उन्नत न कर सके। इसलिये सबसे पहले जरूरी यह है कि जो शिक्षा अंग्रेजों ने हमें दी थी, उसमें परिवर्त्तन करना है, उन विद्यार्थियों का जो स्कूल और कालिजों में पढ़ते हैं उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए, और यदि चरित्र निर्माण ठीक प्रकार से किया जाता है तो निश्चय समझिये कि शिक्षा के क्षेत्र और हर क्षेत्र में देश उन्नति कर सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग के अन्दर कहा गया है कि अपने देश की आर्थिक स्थिति ठीक करें, तो आर्थिक स्थिति उसी समय ठीक हो सकेगी जब कि हमारे वह विद्यार्थी जो कि स्कूल और

कालिजों में पढ़ते हैं उनको वहां पर ठीक से शिक्षा मिले और उनमें अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य हो, उनके अन्दर स्वावलम्बन हो, तभी तो हम कह सकेंगे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक है । वैसे तो यह देखने में आता है कि विद्यार्थी कालिजों में पढ़ते हैं, उनके ऊपर उनके मां बाप खर्चा करते हैं और सरकार भी खर्चा करती है परन्तु परिणाम अच्छा नहीं निकल रहा है । पार साल बजट के मौके पर हमारे शिक्षा मंत्री ने हमें बताया था कि हमारे पास सारी स्कीमें हैं और हम उन पर अमल करना चाहते हैं लेकिन पाकेट में पैसा नहीं है, इसलिये वह सब स्कीमें बेकार हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि इस बात के देखने की कि जो पैसा सरकार इस वक्त इन शिक्षा कार्यों पर खर्च कर रही है, उसका सच्चे अर्थों में सदुपयोग हो रहा है या नहीं और उस धनराशि का उपयोग स्कूल और कालिजों में ठीक प्रकार से हो । आज हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का इतना जबर्दस्त असर है कि बी० ए० पास ग्रेजुएट और स्नातक होने के बाद जब विद्यार्थी स्कूल कालिजों से निकल कर आते हैं तब वह अपने सामने अंधकार से युक्त वातावरण देखते हैं । उनको कोई चीज नहीं दिखाई देती कि वह क्या करें क्या न करें ? क्योंकि उन्होंने कोई शिक्षा ऐसी नहीं पाई जो कि उन को स्वावलम्बी बना सके, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें । उनके पास कोई व्यापार कोई बिजिनेस, कोई टेकनिकल चीज ऐसी नहीं जिस का उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में अध्ययन किया हो क्योंकि अंग्रेज लोग तो यही चाहते थे कि वह अधिक से अधिक क्लर्क इस देश के अन्दर पैदा कर सकें जो कि उन का काम करें । आप दुनियां के दूसरे देशों को देखिये कि वहां सब से पहले विद्यार्थियों को टेकनिकल शिक्षा दी जाती है, जिससे वह यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें । और अपने देश को समृद्धिशाली बना सकें ।

प्लनिंग कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर बताया गया है कि पांच वर्ष के अन्दर हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वह जो पैसा शिक्षा पर व्यय करते हैं वह बहुत कम है और उस कम पैसे का भी सदुपयोग अच्छे रूप में नहीं हो रहा है । यदि उचित रूप से उसे काम में लाया जाय, ठीक से पैसा खर्च किया जाय तो निश्चिन्त समझिय कि उससे विद्यार्थी शिक्षित होंगे और स्वावलम्बी बनेंगें और स्वावलम्बी बन कर अपने देश की आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सकेंगे । इस लिये शिक्षा के अन्दर सब से पहले चरित्र निर्माण की, सदाचार की, शिष्टता की आवश्यकता है । इस के साथ ही साथ मैं एक बात और देखता हूं और वह यह है कि जो हमारा पाठ्य क्रम है, जो हमारी पढ़ाई की स्कीम है, वह बिल्कुल गलत है । क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि विद्यार्थी उन चीज़ों को पढ़ें जिन से उनका रोज का काम चले । इस लिये वह चाहते थे कि वही चीज़ें विद्यार्थी पढ़ें जिनसे वह सच्चे अर्थों में क्लर्क बन जायें । हमारे यह देखने में आता है कि आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वह हमारा प्राचीन आदेशों हमारी प्राचीन शिक्षाओं हमारी प्राचीन सभ्यता एवं हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उस पर कोई अच्छा असर नही डालता है । आज हमारे देश को आज़ाद हुए चार पांच वर्ष हो गये हैं, इन पांच वर्षों में स्कूलों, कालिजों और

[श्री स्नातक]

यूनिवर्सिटियों में जिन पुस्तकों का समावेश होना चाहिए था, जिस से विद्यार्थी सच्चे अर्थ में अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, आचार विचार को और देश को समझें, इस लिये मैं मंत्री जी से और शिक्षा विभाग से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस दिशा में भी ध्यान दें । वैसे कहा तो यह जाता है कि केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध डाइरेक्ट रूप से शिक्षा के प्रति नहीं है । यह ठीक है जो प्रांत देश के अन्दर हैं, उनका अलग अलग शिक्षा विभाग है, वह इस ओर कार्य कर रहे हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार का जो शिक्षा विभाग है उस को एक प्रकार से पावर हाउस समझना चाहिये । जो प्रान्त हैं वह तो बिजली के बल्ब या लट्टू की तरह से हैं । यह जो पावर हाउस है, यदि यहां से पावर जायगी तो वह बल्ब ठीक से काम करेंगे अन्यथा नहीं । इसलिये हमारे शिक्षा मंत्री जी को और जो उन का विभाग है उस को प्रान्तों के शिक्षा विभागों को ऐसा निर्देश करना चाहिये जिससे ठीक ठीक तरह से प्रान्तों के अन्दर कार्यक्रम चल सके । और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सुधरे और देश अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो सके । एक बात और भी कहूंगा कि अभी जो शिक्षा हमें दी जा रही है वह बिल्कुल अधूरी है, इन मानो में कि जब हम दूसरे देशों को देखते हैं तो वहां शिक्षा देने के साथ २ मिलिटरी ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि वह समझते हैं कि जब तक हमारा देश सैनिक दृष्टि से उन्नत नहीं होगा तब तक वह अपने देश की आज़ादी को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे । इस लिये मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग और मंत्री जी को यह नहीं भूलना चाहिये । डाइरेक्टर आदि ऐसे आदेश प्रान्तों को या यूनिवर्सिटीयों को दें कि जो डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र हैं, जब वह स्नातक हो जायें, ग्रैजुएट हो जायें तो उन को सब से पहले यह देखना चाहिये कि एक साल के अन्दर उन को मिलटरी के कार्यों की जानकारी हुई या नहीं । जब उन को मिलिटरी के कार्यों की जानकारी पूरी तरह से हो जाय तभी उन को डिप्लोमा दिया जाय । इस से यह होगा कि वह जहां इन चीजों को सीख कर अपनी उन्नति कर सकेंगे वहां साथ ही साथ देश की सुरक्षा भी कर सकेंगे ।

आज हमारी पिछड़ी कही जाने वाली शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज जिन की संख्या १५ करोड़ से भी ज्यादा है उन के लिये शिक्षा का कोई समुचित और ठीक प्रबन्ध नहीं है । सरकार को चाहिये कि उन को उन्नत करने के लिये उन को ऊंचा उठाने के लिये वह कुछ रकम अलग कर दे । इस साल शायद इन बैकवर्ड क्लासेज के लिये चालीस लाख रुपया वजीफा आदि के लिये रक्खा भी गया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि इस रकम को कुछ और भी बढ़ाया जाय जिस से जो पिछड़ी कही जाने वाली जातियां हैं वे अपने को शिक्षित बनायें और समृद्धिशाली बनाने में और शक्तिशाली बनाने में सब प्रकार से समर्थ हो सकें ।

यदि इन सब चीजों का ध्यान रक्खा जायेगा तो हम कह सकेंगे कि हमारी शिक्षा सब प्रकार से ठीक है ।

इस के साथ ही मैं राष्ट्र भाषा हिन्दी के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं । संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित किया है और यह कहा है कि १५ वर्ष के अन्दर यह सच्चे रूप में राष्ट्र भाषा का रूप पा लेगी । तीन वर्ष से ऊपर समय हो गया है, परन्तु हम देखते हैं कि कुछ प्रान्तों में तो कुछ कुछ कार्यक्रम हिन्दी में चलने लगा

है परन्तु जो हमारा केन्द्र है जिस के द्वारा सारे देश का शासन होता है वहां हिन्दी का पूर्ण रूप से अभाव है। मुझे यह सुन कर दुःख होता है कि हमारे देश के एक बड़े नेता ने यह कहा है कि "अंगरेजी भाषा भारत के लिये सरस्वती का वरदान है"। यह ठीक है कि अंगरेजी भाषा देश के अन्दर ही नहीं, विश्व की मानी हुई भाषा है, उस को विश्व की भाषा कहा जा सकता है, परन्तु हम हिन्दुस्तान के रहने वालों को पहले अपनी प्रान्त की भाषा सीखनी चाहिये, इस के बाद राष्ट्र भाषा हिन्दी को सीखना चाहिये, फिर इस के बाद चाहे तो विश्व भाषा अगरेजी को सीख लें। मैं यह नहीं कहता कि अगरेजी मत सीखो। जो भाषा विश्व भाषा है, उस के द्वारा हमारा दूसरे देशों से सम्बन्ध स्थापित होता है। जब हमारा राजदूत बाहर जाता है वह अंगरेजी में अच्छी तरह से बोल सकेगा, उसे अच्छी तरह समझ सकेगा तो उस का उन देशों में इज्जत ज्यादा होगी, मान होगा, परन्तु जब कोई हमारा राजदूत हिन्दी न जानने के कारण अगरेजी में बोलता है तो दूसरे देश वालों को मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में अब भी अगरेजों का राज्य है। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि विश्व भाषा अंगरेजी को सीखना जरूरी है, उस को हर एक को सीखना चाहिये, परन्तु उस के साथ ही साथ जो प्रान्तीय भाषायें ह, जो राष्ट्र भाषा हिन्दी है उस को भी सीखना अति आवश्यक है। हमारे राजदूत जो बाहर गये हुए हैं तथा उन के विभाग में काम करने वाले जो लोग हैं उन को अवश्य ही हिन्दी सीखनी चाहिये, जिस से वह यह कह सकें कि हिन्दी उन के देश की भाषा है, उन के आजाद देश की भाषा है। और १५ वर्ष के बाद जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से पत्र व्यवहार करेंगे तो हिन्दी के ही द्वारा करेंगे इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिये। इस लिये मैं शिक्षा मंत्री जी से और उन के विभाग से यह प्रार्थना करूंगा कि हिन्दी के लिये जिस के प्रति आज कल एक निराशा सी छाई हुई है, और हमारे इस भवन के अन्दर भी जब कोई हिन्दी बोलने वाला खड़ा होता है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई सांप सूंघ गया है, और बिल्कल शांत वातावरण हो जाता है, लेकिन जब कोई अंगरेजी बोलने के लिये खड़ा हो जाता है तो इधर उधर से लोग दौड़ दौड़ कर आ जाते हैं। यहां जो दूसरे देशों के लोग दर्शक के रूप में आते हैं वे भी यह समझते हैं कि यह भारत की संसद् नहीं है, अपितु इंग्लिस्तान की पार्लियामेन्ट है। हम लोगों को और शिक्षा मंत्री जी को भी यह चाहिये कि वह इस दिशा में प्रयत्न करें और हिन्दी को जितना उन्नत कर सकें उतना ही अच्छा होगा, जिससे कि १५ वर्षों के बाद हम सही अर्थों में हिन्दी को राष्ट्र भाषा के स्थान पर पहुंचा सकें।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं साधारण बुद्धि का अध्यापक हूं। मैंने मंत्रालय का सम्पूर्ण प्रतिवेदन पढ़ा है। मैं कह सकता हूं कि प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत काफी उन्नति हुई है। एक संसद् में, जिसके देश का मैं नाम नहीं बताना चाहता, शिक्षा के विषय पर दिये गये एक व्याख्यान को मैं पढ़ रहा था। यह व्याख्यान शिक्षा सम्बन्धी आयव्ययलेखा पर वादविवाद के समय दिया गया था। संसद् के सदस्य ने कहा कि

[श्री डी० सी० शर्मा]

हमारे राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा को वास्तविक महत्व नहीं दिया जाता है। जब बचत का कोई प्रस्ताव होता है तो पहले इसी पर प्रभाव पड़ता है। जब नये मंत्रिपद बनाने होते हैं तो शिक्षा मंत्रालय का ही पहले इस के लिये उपयोग किया जाता है। जब मैं ने अपने देश के सम्बन्ध में इस को घटित किया तो जान पड़ा कि यह बात हमारे देश के लिये नहीं कही जा सकती है। शिक्षा का हमारे देश में वास्तविक महत्व का स्थान प्राप्त है।

हमारे एक मित्र ने अभी अभी कहा ह कि हिन्दी की ओर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परन्तु मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ने से जान पड़ता है कि हिन्दी की दिशा में जो कार्य किया जा रहा है वह स्थायी, आधारभूत तथा स्मरणीय है। मेरे कहने का तत्पर्य यह है कि हमारा मंत्रालय जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बेसिक शिक्षा से लेकर अनुसंधान के क्षेत्र तक वह हमारे जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वह हमारे लिये एक राष्ट्रीय पुस्तकालय उपलब्ध कर रहा है। शिल्प विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तथा शीघ्र ही एक राष्ट्रीय अजायबघर खुलने वाला है। परिगणित व्यक्तियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

जहां तक मन्त्रियों का प्रश्न है मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु हमें इस बात पर गर्व है कि शिक्षा मंत्रालय का कार्य चलाने के लिये जो मंत्री हमारे पास है वह विश्व विख्यात है तथा प्रकाश, विद्वत्ता तथा संस्कृति का मन्त्री है, जिस पर किसी भी देश को गर्व हो सकता है।

अब मैं कुछ छोटी छोटी बातों के सम्बन्ध में कहूंगा। मैं पंजाबी हूं तथा पंजाबी होने के नाते मैं अपने राज्य को भुला नहीं सकता। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब विश्वविद्यालय, विस्थापित व्यक्तियों का विश्वविद्यालय है। हमारे माननीय मंत्री द्वारा दी गई दस लाख रुपये की प्रारंभिक पूंजी के कारण ही विश्वविद्यालय का संचालन हो सका। मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्रालय पंजाब विश्वविद्यालय की ओर बहुत ध्यान देता है, फिर हमारी कुछ कठिनाइयां अभी तक दूर नहीं हुई हैं। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह पंजाब विश्वविद्यालय में कम से कम भूतत्वविज्ञान का एक विभाग खुलवा दें। आगरा के विश्वविद्यालय में ऐसा विभाग खुलवाया गया है तथा मैं अनुभव करता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा विभाग खुलवाना चाहिये। हमारा विश्वविद्यालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा पेप्सू की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि हमारे यहां भूतत्व विज्ञान का विभाग खुल जावे तो हम कुछ ऐसी आधारभूत समस्याओं का निदान निकाल सकेंगे जो हमारे देश के सामने हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि समुद्र पार छात्र-वृत्ति की प्रणाली ने बहुत लाभ पहुंचाया है। उदाहरण के लिये हमारे विश्वविद्यालय में अफ़्रीका के अनेक छात्र हैं। उनकी उपस्थिति से हमारा मस्तिष्क तथा दृष्टिकोण विकसित हुआ है तथा हमारे कारण उनके मस्तिष्क तथा दृष्टिकोण में भी विकास हुआ। जब हमारे राज्य में ज़िला बोर्ड यूनियन के अध्यापकों की हड़ताल हुई थी तो

हमारे शिक्षा मंत्री ने जो सराहनीय कार्य किया था उस को हम भुला नहीं सकते। उन के बीच में पड़ने से ही यह झगड़ा निपटाया जा सका। अन्य राज्यों में भी हड़तालें हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इनका निपटारा करा दें। उन की सहायता के बिना राज्य का सारा शिक्षा सम्बन्धी जीवन छिन्न भिन्न हो जाता।

इसी के साथ साथ में कहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय को पंजाब यूनिवर्सिटी कैम्प कालिज की ओर ध्यान देना चाहिये। सारे में यह शिक्षा की सब से निराली संस्था है तथा उसने एक ऐसा नया रास्ता दिखाया है जिसके द्वारा वयस्क तथा नौकरी पेशा लोग अपनी योग्यता तथा शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दूसरे राज्यों के लिये यह संस्था एक नमूना है। इस कैम्प कालिज को स्थायी रूप देना चाहिये तथा इस के लिये एक स्थायी स्थान का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र जो पहले बोल चुके हैं उन्होंने कहा है कि विधान के अनुसार हम, नागरिकों को, एक स्तर तक, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिये वचनबद्ध हैं। कहा जाता है कि हमें यह कार्य दस वर्ष में पूरा करना है। मेरे विचार से इस समस्या को उस आधार पर हल करना चाहिये जिस आधार पर खाद्य की समस्या को हल किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि वित्त का प्रश्न उठ खड़ा होगा परन्तु अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार हमें चाहिये कि युवकों की फ़ौजी भर्ती करें तथा बच्चों को शिक्षा देने के लिये उनकी सेवाओं का उपयोग करें। अध्यापकों ने बच्चों को जितने वर्ष पढाया है उसी के अनुसार हमें उन के वेतन का क्रमबद्ध मापमान निश्चित करना चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्रालय से अध्यापकों के वेतन के स्वल्प मापमान की समस्या को भी हल करने का निवेदन करूंगा जब मैं देहली राज्य के अध्यापकों के मापमान से तुलना करता हूं तो मुझे दुख होता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि देहली के अध्यापकों को इतना वेतन न दिया जाय। वरन् मेरा कहना यह है वेतन का वही मापमान पंजाब तथा अन्य राज्यों के अध्यापकों के लिये भी उपलब्ध होना चाहिये। इस सम्बन्ध में दक्षिणी भारत की स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि प्राइमरी, सेकण्डरी, कालिज तथा यूनिवर्स्टी सब प्रकार के अध्यापकों के वेतन के मापमान का परीक्षण किया जावे तथा ऐसा प्रबन्ध किया जावे कि एक अध्यापक को निर्वाहयोग्य वेतन मिल सके।

जहां तक परिमाण सम्बन्धी पक्ष का प्रश्न है प्राइमरी शिक्षा हमारे देश की सब से महान आधारभूत आवश्यकता है। यह कार्य सामान्य प्रकार के व्यक्तियों को सौंप दिया गया है। इस समस्या को राष्ट्रीय परिमाप के अनुसार हल करना चाहिये। परीक्षाओं की प्रणाली को भी बदलने की आवश्यकता है। लिखित परीक्षा पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है तथा इसी के कारण शिक्षित व्यक्तियों को वास्तविक शिक्षा नहीं मिलती है। लिखित परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रकार की परीक्षाओं का भी उपयोग करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि धार्मिक शिक्षा की संज्ञा मैं उसे नहीं दूंगा, परन्तु आचरण सम्बन्धी शिक्षा की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। आचरण सम्बन्धी शिक्षा

[प्रो० डी० सी० शर्मा]

की परिभाषा में उन्हीं शब्दों में करूंगा जिन में पेरिकिल्स ने की है "एथेन्स की महानता पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करो, जैसी कि वह तुम्हें दिन प्रतिदिन दिखाई देती है"। आचारण सम्बन्धी शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे छात्र अपने देश पर गर्व करना सीखें। वे इस देश का निर्माण करने वालों के साहस, कर्त्तव्य का ज्ञान, सम्मान के विचार ग्रहण करें। किसी ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि संसार किस प्रकार का बनाया जा सकता है। हमारी शिक्षा की नीति से प्रगट होता है कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं तथा हम सुन्दरतम संसार की रचना की ओर अग्रसर हो रहे हैं

श्री बैरो (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : हमारे माननीय मित्र, जो अभी अभी व्याख्यान दे चके हैं, उन्हों ने जो उद्धरण दिया था उस से प्रगट होता है कि शिक्षा मन्त्रालय पारष्कृत है। उन्हों ने कहा था कि इस मंत्रालय के भाग में आने वाला वित्त अन्य मंत्रालयों के भाग में आने वाले वित्त से बहुत कम है। मैं भी देखता हूं कि सदन में उपस्थिति बहुत कम है तथा इस महत्वपूर्ण मंत्रालय पर वाद-विवाद करने के लिये जितना समय दिया गया है उस से भी यही प्रकट होता है।

मैं अनुभव करता हूं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था का प्रयोग शिक्षा मंत्रालय के लिये होना चाहिय। शिक्षा के लिये और अधिक वित्त का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। आयव्यय लेखा में १९८ लाख का प्रबन्ध किया गया है। राज्य सरकारों को स्वीकृत तथा व्यवस्थित संस्थाओं का निर्माण करने के लिये अनुदान दिये जा रहे हैं। परन्तु हमें यह नहीं बताया गया है कि इस की आधारभूत योजना क्या है, यह रुपया कैसे व्यय किया जायगा, तथा इस रुपये का बटवारा किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जायगा। मेरा सझाव है कि इसका आधार यह होना चाहिये कि सब को सामान्य रूप से शिक्षा के एक ही जैसे अवसर प्राप्त हों।

उदाहरण के लिये वित्त आयोग के प्रतिवेदन में भी इसी बात की ओर संकेत किया गया है। उन्हों ने कहा है कि कई राज्यों को प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में देश का औसत दर्जा प्राप्त करने के लिये बहुत उन्नति करनी पड़ेगी। इसी लिये उन्हों ने ऐसे आठ राज्यों में से प्रत्येक के नाम कुछ धन राशि निश्चित की है। १९८ लाख रुपये की इस धनराशि का बटवारा करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस का आधार सब को समान रूप से शिक्षा के एक से अवसर उपलब्ध करना हो।

प्राईमरी स्कूलों को बदल कर बेसिक स्कूलों में बदल देने के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि बेसिक शिक्षा का अर्थ लगाया जाता है "शिल्प प्रधान शिक्षा" परन्तु शिक्षा तो सदा ही "शिशु आधारित" होनी चाहिये तथा शिशु के कार्यों को ही आधार बनाना चाहिये जिस पर सारी शिक्षा आधारित हो। विभिन्न प्रकार के शिशुओं के लिय हर प्रकार के स्कूल होने चाहिये—बेसिक स्कूल, ग्रामर स्कूल, माडर्न स्कूल, प्रविधिक स्कूल। ऐसे स्थान में मेरे समझ में सब से पहले ग्रामीण शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें ऐसे स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना

चाहिये। शिक्षा की सुविधाओं को समान रूप से उपलब्ध करने का अर्थ यही है। दूसरी बात जो इस के लिये आवश्यक है वह यह है कि अपंगों की शिक्षा का प्रबन्ध हो। जिस में अंधे, बहरे, दोषपूर्ण मस्तिष्क वाले, लंगड़े, मिर्गीवाले, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, आंशिक रूप से बहरे तथा आंशिक रूप से अन्धे—इन सब की शिक्षा का प्रबन्ध।

इन सब के ब्योरे में जाने का समय मेरे पास नहीं है मैं अंधों के स्कूलों के सम्बन्ध में कहूंगा। हमारे देश में २० लाख अन्धे या आंशिक रूप से अन्धे हैं और हमारे पास मुशकिल से पचास स्कूल हैं। एक अन्धे शिशु की ब्रेल पद्धति की प्राईमर का मूल्य चार रुपये है पांचवे दर्जे की पुस्तक का मूल्य दस रुपया है। दस अन्ध लड़कों को पढ़ाने के लिये एक अध्यापक की आवश्यकता होती ह जब कि साधारण रूप से चालीस लड़कों के लिए एक अध्यापक प्रर्याप्त होता है। फिर भी अन्ध विद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान उसी आधार पर दिया गया है जिस आधार पर साधारण विद्यालयों को।

मैं संक्षेप में योग्य अध्यापकों के सम्बन्ध में कहूंगा। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापकों का होना आवश्यक है। अशिक्षित समाज के लिए खतरनाक है परन्तु अर्ध-शिक्षित समाज के लिए और भी अधिक खतरनाक है।

जहां तक सैकेण्डरी शिक्षा आयोग का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि इस आयोग की सिफारिशें किसी प्रान्तीय या राज्य आयोग की तुलना में अधिक मूल्यवान होंगी। उत्तर प्रदेश तथा मैसूर के आयोग अपनी सिफारिशें दे चुके हैं। मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्री ने हिन्दी तथा अंग्रेजी के अध्यापकों का सम्मेलन बुलाया है परन्तु मैं उन से जानना चाहूंगा कि यह सिफारिशें किस प्रकार कार्यान्वित की जावेंगी ?

जहां तक शिक्षा सम्बन्धी भाषा का प्रश्न है मेरा विचार है कि जब तक केन्द्रीय मंत्रालय इस समस्या का निदान नहीं ढूंढता शिक्षा का स्तर गिरता ही जाएगा। आंग्ल-भारतीय शिक्षा के अंतर-राज्य बोर्ड के मंत्री के रूप में संघ लोक-सेवा आयोग की सूचनाएं मेरे पास आती हैं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मेरा कहना है कि शिक्षा का स्तर इसी लिए गिर रहा है कि भाषा के सम्बन्ध में कोई उचित तथा समान नीति नहीं है।

मैसूर में सकेण्डरी शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि प्रादेशिक भाषा के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि आंग्ल-भारतीय स्कूलों को ऐसा परिवर्तन करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। मेरा विचार है कि आयोग को विधान के अनुच्छेद ३० का ध्यान नहीं था। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि राज्य में भाषा के अल्पज्ञों के अधिकारों की रक्षा करें।

भारती ब्रेल के सम्बन्ध में मैं एक शब्द कहूंगा जब संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर विचार हो रहा था तो किसी ने सुझाव रक्खा था कि रोमन लिपि को स्वीकार किया जाए परन्तु यह स्वीकार नहीं किया गया। १९४८ में केन्द्रीय सरकार ने संस्कृति लिपि के आधार पर ब्रेल के लिए एक समान कोड निर्धारित किया था। दो वर्ष बाद, इसको बदल कर अन्तर्राष्ट्रीय लिपि पर आधारित ब्रेल कर दिया गया। भारत में केवल एक ब्रेल मुद्रालय है जो केवल हिन्दी में एक या दो प्राईमर निकालती है। आयव्ययक लेखा में पुस्तकों को भारती ब्रेल में करने

[श्री बैरो]

के लिए ८००० रुपये की धनराशि निश्चित की गई है। किसी ग्रंथ से प्रतिलिपि करने का प्रश्न नहीं है बल्कि शब्दों को एक नई लिपि में लिखने का प्रश्न है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह देश शिक्षा के मामले में अंग्रेजों के आने के पहले सबसे अग्रणी माना जाता था, यह दुर्भाग्य का विषय है कि अंग्रेजों के जमाने में उसकी बहुत हालत गिरी है। उसके बाद गवर्नमेंट का ध्यान भी उस ओर गया, कई कमेटियां समय समय पर बनीं। सब से पहले सेडलर रिपोर्ट अर्थात् कलकत्ता युनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद रिडेल रिपोर्ट, और हारटोग रिपोर्ट और आखिर में साजन्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई लेकिन इन पर जैसा अमल होना चाहिये नहीं हुआ। उसके बाद देश स्वतन्त्र हुआ और डाक्टर राधाकृष्णन् की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई उसके साथ ही डाक्टर रेड्डी की रिपोर्ट भी आई। यह सब प्रयत्न किये गये, लेकिन हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में पहले जमाने में जिस तरह से बगैर राज्य की सहायता के जिस प्रकार के योग्य विद्यार्थी निकलते थे, आज प्रान्तीय सरकारों द्वारा काफी पैसा खर्च किये जाने पर भी वैसे विद्यार्थी नहीं निकलते हैं। अब समय आ गया है जब हमें यह देखने की जरूरत है कि विधान में जो हमने बड़े बड़े उसूल लिबर्टी, जसटिस, इक्वेलिटी और फ्रैटर्निटी को माना है, उन पर हमें किस तरह चलना है, मैंने इस सम्बन्ध सोचा और मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि विधान में जो एक धारा दी गई है जिसमें यह लिखा है कि सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में रिलीजस एजूकेशन नहीं दी जायगी मैं समझता हूं कि हमें इस धारा पर फिर विचार करना चाहिये और आज उस धारा में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है। इंग्लैंड के अगर आप एजूकेशन एक्ट १९४४ को देखें तो पायेंगे कि उसमें भी रिलीजस एजूकेशन को कम्पलसरी रक्खा गया है। सार्जेन्ट रिपोर्ट में भी रिलीजस एजूकेशन को अवश्य रखने का सिद्धांत माना गया है और उसके बाद हमारी सरकार ने डाक्टर राधाकृष्णन् के सभापतित्व में जो कमीशन कायम किया था उसकी भी रिपोर्ट में यह है कि रिलीजस एजूकेशन दी जानी चाहिय। रिलीजस एजूकेशन से मेरा मतलब धर्मान्धता की शिक्षा नहीं बल्कि एक ऐसी धार्मिक शिक्षा से है जो मनुष्य को ऊंचा बनाये, उसके नैतिक स्तर को ऊंचा उठाय और जो मनुष्य को एक व्यापक दृष्टिकोण दे ताकि वह एक सच्चा मानव बन सके, इस प्रकार की शिक्षा भारत में देने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि ऐसा कर के ही हम शिक्षा के मामले में आगे बढ़ सकते हैं।

इस के साथ ही जनरल एज्युकेशन पर भी डा० राधाकृष्णन् की रिपोर्ट में काफी जोर दिया गया है। उन का कहना है कि कम से कम दस बारह विषयों में विद्यार्थियों को जनरल एजूकेशन देन की आवश्यकता है। लेकिन अब भी हमारे यहां इस का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है। स्टैन्डर्ड अगर आप देखें तो युनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के बारे में जितने कन्वोकेशन्स होते हैं उनमें राष्ट्रपति जी से लेकर बड़े बड़े हमारे नेताओं, विद्वानों और सभी का यह कहना है कि इस शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। इसमें परिवर्तन कुछ तो जरूर होना चाहिये। आज पांच सालों से मैं सुन रहा हूं कि वह होगा लेकिन पता नहीं कब होगा। आप लोगों को परिवर्त्तन

लाना है, लेकिन अभी वह परिवर्त्तन प्रारम्भ नहीं हुआ है। युनिवर्सिटी एजूकेशन का स्टैंडर्ड बहुत नीचा हो गया है, और बराबर कम होता जा रहा है, सैकेन्डरी एजूकेशन का स्टैंडर्ड भी नष्ट होता जा रहा है और प्रारम्भिक एजूकेशन की हालत तो यह है कि उस पर जितना खर्च हो रहा है वह बेकार सा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह प्रांतीय विषय है, मैं निवेदन करूंगा कि केवल इतना कह देने से हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार कृषि का विषय प्रान्तीय विषय है, लेकिन हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार जापानी मेथड को ले कर प्रान्तों में जबर्दस्त आन्दोलन शरू कर रही है ग्रो मोर फूड के लिये। उसी प्रकार से इस शिक्षा के मामले में भी प्रान्तीय विषय होते हुए भी एक जबर्दस्त ह लचल पैदा करने की जरूरत है। आज देश के नौजवानों की हालत खराब होती जा रही है, उन का चरित्र उन्नत नहीं हो रहा है, अगर हमने इस ओर जल्द कदम नहीं बढ़ाया तो हमारे देश का भविष्य बहुत अन्धकार में है। हमें स्कूलों, कालेजों से आर्ट्स और सायन्स के बेचलर्स ही नहीं पैदा करने हैं बल्कि हजारों की तादाद में अच्छे इन्सानियत के ग्रेजुएट्स भी पैदा करन चाहिये।

पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के लोगों में इस के विषय में काफी उत्साह है। आप ने देखा कि इस पंच वर्षीय योजना के बहाने लोगों ने सड़के बनाई, नहरें खोदीं, लोग पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। केवल देश में एक हलचल पैदा करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लिये अच्छे अच्छे स्कूल बनायें, पाठशाला बनायें लेकिन इस में केन्द्र को मार्ग दर्शन करना होगा। महात्मा जी का चर्खे का प्रचार तभी सफल हुआ जब वह प्रचार करते थ तो साथ में खुद भी सूत कातते थे। अगर हम आगे कदम बढ़ायेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकेगा। आज तो हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे स्कूल कैसे होने चाहिये। अगर आप यू० के० की व्यवस्था को देखें तो मालूम होगा कि पहले ही यह देखा जाता है कि स्कुल की ईमारत में कितने कमरे होने चाहियें, कितनी जगह होनी चाहिये, कितने होस्टेल होने चाहिये। इस तरह की प्लान बना कर हमारे बालकों की शिक्षा के विकास की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी तरह से हिन्दी का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे निवेदन करना है कि हिन्दी की ओर जितना ध्यान होना चाहिये, उतना नहीं दिया गया है। मैं अपने राज्य ग्वालियर की बात कहूं। ग्वालियर ने हिन्दी के मामले में इतनी अधिक तरक्की की कि लगभग दो सौ कानून जैसे ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, एविडेन्स ऐक्ट, पेनल कोड, स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट वगैरह का हिन्दी में ट्रांस्लेशन हो गया। इसलिये अब समय आ गया है कि इस की ओर प्रयत्न करना चाहिये। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चार पांच साल पहले ही यह काम शुरू करना चाहिये था : समय आ गया है कि जो हमारा काम अंग्रेजी में होता है वह हिन्दी में भी आरम्भ हो। हर्ष की बात है कि खाद्य विभाग ने जो अभी अपने विभाग के सम्बन्ध में साहित्य निकाला है उस में हिन्दी का भी साहित्य है, लेकिन इसी प्रकार से शिक्षा विभाग को और दूसरे मंत्रियों को अपने यहां का साहित्य हिन्दी में निकालना चाहिये। और इस के लिये शिक्षा विभाग को खास तौर से आगे आना चाहिये।

इस के बाद मैं कुछ अपने राज्य मध्य भारत की बातें भी निवेदन करना चाहूंगा। मुझ को खेद से कहना पड़ता है कि मेरे राज्य

[श्री राघेलाल व्यास]

मध्य भारत की ओर से केन्द्रीय शासन उदासीन है। हमारे यहां एक युनिवर्सिटी की बहुत जरूरत है और उस के बारे में मैं अपने ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़ नेताओं के विचार उज्जैन के बार में क्या है यह बतलाना चाहता हूं। ग्वालियर राज्य सन् १९३६ ई० में वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता था। विक्रम की द्विसहस्राब्दि में एक बहुत बड़ी योजना इस के लिये बनी। ग्वालियर के महाराज एक करोड़ रुपया देना चाहते थे, लेकिन अंगरेज यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाला विश्व विद्यालय उज्जैन में बने। लड़ाई के नाम पर उस ने उस को बन्द कर दिया। ग्वालियर महाराज एक करोड़ रुपया देने के लिये तैयार थे, मध्य भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने मई सन् १९४१ में उज्जैन में युनिवर्सिटी दिवस मनाया। उसी समय अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक उज्जैन में हुई और हमारे आचार्य टंडन जो भी वहां पधारे। उस में यह तय हुआ कि उज्जैन में विश्व विद्यालय होना चाहिये। लेकिन वह नहीं हो सका। वहां की राज सभा में सन् १९४६ में भी एक प्रस्ताव पास हुआ। आखिरकार सन् १९४८-४९ में ग्वालियर के लोकतंत्री मंत्रि-मंडल ने तय किया कि यहां उज्जैन में एक विश्व विद्यालय बन। एक करोड़ रुपया मंजूर हुआ लेकिन इतने में मध्य भारत राज्य बना। उस वक्त हमारा आपस में थोड़े से इन्दौर के मित्रों में और ग्वालीयर के मित्रों में मतभेद था कि विश्वविद्यालय कहां बने। हमने अपना झगड़ा केन्द्रीय सरकार के सामने रखा। केन्द्र में डा० तारा चन्द एजुकेशन सेक्रेटरी थे वे इलाहाबाद युनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइसचान्सेलर थे वे वहां आये, और उन्होंने अपनी राय दी कि यहां फडरल रूप की युनिवर्सिटी बननी चाहिये। उन की राय के माफिक एक बिल का मस्विदा बना और धारा सभा में पेश हुआ। सन् १९५० के मार्च में धारा सभा से वह पास हुआ और वहां की गवर्नमेन्ट ने तय कर दिया कि यह युनिवर्सिटी उज्जैन में कायम की जाय। यह बिल करीब २ सर्व सम्मति से पास हुआ लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस में केन्द्र से फिर रुकावटें डाली गईं और कहा गया कि इस को पुनर्विचार के लिये राजप्रमुख के पास भेज दिया जाय। इस के बाद दो तीन सेशन हुए लेकिन वह बिल धारा सभा में नहीं आ सका, उस के बाद वह धारा सभा खत्म हो गई क्योंकि जनरल एलेक्शन हो रहे थे। उस के बाद वह बिल फिर नवम्बर १९५२ में वहां की गवर्नमेन्ट ने धारा सभा में पेश किया जब कि राजधानी का फैसला हो गया। यह एक कान्स्टिट्यूशनल बात है कि जब एक दफा केन्द्र से पूछ कर के और उनकी इजाजत से बिल को पेश किया गया था और फिर नवम्बर १९५२ में टेलिफोन से यहां की एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूछ कर पेश किया गया था तो उस में रुकावट क्यों डाली गई। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि अगर केन्द्र इस उज्जैन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता है तो मध्य भारत सरकार जो काम करना चाहती है, उस वक्त कम से कम आप उसमें रुकावट न डालें। यह एक स्टेट का सब्जेक्ट है और शायद वह यह भूल गये हैं। आप इस को सलाह मश्विरा दे सकते हैं जगर पूछा जाय, और ज्यादा आप को इस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

जहां तक उज्जैन में विश्वविद्यालय बनाने का सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं कि जब सब से पहले डाक्टर राजेन्द्र

प्रसाद जी उज्जैन पधारे तो उन्होंने राष्ट्रपति की हैसियत से क्या कहा था :

"मैं आशा रखता हूं कि वह समय दूर नहीं है, जब फिर यहां एक ऐसा स्थान बन जावेगा और हमारी संस्कृति का एक केन्द्र फिर से विद्यापीठ के रूप में स्थापित हो कर व भारत के नाम को हमेशा के लिये उज्जवल करता रहेगा। जैसा कि प्राचीन इतिहास में वर्णन किया है। इस में आप सब के मदद की सहयोग की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि श्रीमंत से ले कर यहां के जो साधारण लोग हैं, सब मिल कर उस में पूरी पूरी सहायता करेंगे। इतना ही नहीं मैं आशा करता हूं कि यहां की जो सरकार है और केन्द्रीय सरकार है उस से भी आप को सहायता मिलनी चाहिये और समय आने पर मैं आशा करता हूं कि वह मिलेगी।"

हमारे प्रधान मंत्री, नेहरूजी ने भी इसके बारे में जब राजधानी का फैसला दिया ग्वालियार और इन्दौर के झगड़े में उस समय क्या शब्द कहे थे :

"मैं उज्जैन को हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक मानता हूं, आधुनिक उज्जैन इस परम्परा को निभाए तथा शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र बने। मेरी दृष्टि से उज्जैन विशाल विश्वविद्यालय एवं सांस्कृतिक विकास का आदर्श नगर है, जहां तरुण पुरुष एवं महिलाएं शिक्षा ग्रहण करें और भारत के अच्छे नागरिक बनें। प्राचीन परम्परा से समृद्ध वातावरण में आधुनिक ज्ञान ग्रहण करें। इस लिए मैं तीव्र अनुरोध करूंगा कि मध्य भारत की जनता व सरकार उज्जैन को शिक्षा एवं संस्कृति का विशाल केन्द्र बनायें।"

इस के बाद भी उन्होंने कहा :

"इतिहास में उज्जैनी का नाम अमर है। उज्जैन का सम्बन्ध भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक परम्पराओं के साथ बन्धा हुआ है अतः मैं इस ऐतिहासिक नगर में ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण चाहता हूं जो साहित्य, कला, संस्कृति का प्रधान एवं मुख्यीय केन्द्र हो। मैं चाहता हूं कि उज्जैन में बनने वाला विश्वविद्यालय इस के प्राचीन गौरव के अनुकूल एक नमूने का विश्वविद्यालय हो।"

हमारे माननीय मौलाना साहब शिक्षा मंत्री जो ने भी जब भी हमें उन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़े अच्छे शब्द उज्जैन के बारे में कहे। पिछली दफा दो तीन महीने पहले उन्होंने कहा कि मेरे दिल में है कि उज्जैन को ऐसी चीज़ बनाया जाय जैसा कि पुराने ज़माने में उस का नाम रहा वैसे ही चलता रहे। तो क्या उज्जैन जो कि हिन्दुस्तान के स्वर्ण युग के इतिहास में एक ज्वलंत उदारण था, जहां हमारी दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विद्या पाई, जहां कालीदास हुए, जहां विक्रमादित्य की राजधानी रही, जहां वराह मित्तर चररुचि आदि रहे, जिस ने भास और बाण को प्रेरणा दी, क्या वह आज भारत के आज़ाद होने के बाद भी उसी तरह से, बना रहे जैसा अंग्रेज़ों के ज़माने में था ? मध्य भारत सरकार द्वारा इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारे राष्ट्रपति जी के यह शब्द हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी के यह शब्द हैं, हमारे मौलाना साहब ने जिस उज्जैन के बारे में यह कहा, उस के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ।

[श्री राधेलाल व्यास]

जो कुछ मध्य भारत सरकार करना चाहती है उस में भी रुकावट डाली जा रही है तो इस के सिवा और क्या कहा जा सकता है कि अभी उज्जैन के अच्छे दिन नहीं आए हैं और भारत के आज़ाद होने के बाद भी उज्जैन को उस के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

तो अगर केन्द्र वाके में उज्जैन में एक विशाल विश्वविद्यालय बनाना चाहता है और अगर इसके लिए रुपया चाहिए तो एक करोड़ रुपया इसके लिए ग्वालियर का मंजूर किया हुआ रखा हुआ है। वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब देते हुए धारा सभा में कहा था कि ग्वालियार के इनवेस्टमेंट में से एक करोड़ रुपया रखा है। मैं बिश्वास दिलाना चाहता हूं कि गंगा जली का १ करोड़ साठ लाख रुपया महाराज सिंधिया के पास रखा है और वह उसको केन्द्र के परामर्श से खर्च करने को तैयार अवश्य होंगे। इन्दौर में भी इसके लिए पांच लाख रुपया रखा है तो अगर इस में सेंटर एक दो करोड़ रुपया और लगा कर एक विश्व-विद्यालय बने तो वह एक ऐसा विश्वविद्यालय बन सकता है जिस में केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि बाहर के भी लोग आयें। मेरे पास बड़े बड़े विद्वानों की ओपीनियन्स रखी हैं। मेरे पास इलहाबाद युनिवरसिटी के वाइस चन्सलर की, सागर युनिवरसिटी के वाइस चान्सलर की, नागपुर युनिवरसिटी के वाइस चांन्सलर की, कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर श्री काली दास नाग की ओपीनियन्स हैं। सर सी० वी० रमण ने लिखा है कि वह चाहते हैं कि उज्जैन में एक विश्वविद्यालय बने। मध्य भारत लोगों की यह भावना है और अभिलाषा है कि उज्जैन में जो कि मध्य भारत ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष का अग्रगण्य नगर रहा है विश्व-विद्यालय बने। इस बी० क्लास स्टेट की ओर ध्यान दे और इसके डेवेलपमेंट की ओर ध्यान दे इसके लिए वह एक एक्सपर्टस् की कमेटी बनाये, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि टर्म्स अफ रेफेरेंस यही होने चाहिए कि मध्य भारत गवर्नमेंट ने वहां विश्वविद्यालय बनाने का फैसला कर लिया है इसलिए यही मान कर चला जाए कि विश्वविद्यालय उज्जैन में कायम हो और वह किस तरह का हो। इसी पर वह कमेटी अपनी राय दे इससे लोगों को संतोष होगा। आज मध्य भारत के लोग यह कहने लगे हैं कि जब बड़े बड़े नेताओं ने इसके विषय में ऐसे शब्द कहे हैं तो अब अडंगा क्यों लगाया जा रहा है। लोगों ने मुझ से सवाल पूछा कि जब बड़े बड़े नेताओं की यह राय है तो फिर यहां विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनता। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर हमारे आदरणीय मौलाना साहब जल्दी ही इस ओर ध्यान देंगे तो लोगों का यह भ्रम दूर हो जाएगा और जो बड़े बड़े विद्वानों ने इच्छा प्रकट की है उसको वह कार्यान्वित होते हुए देख सकेंगे कि उज्जैन अपने पुराने गौरव को ही प्राप्त न हो बल्कि वह उससे भी आगे बढ़े। ऐसी चीज़ को होते हुए वह देखना चाहते हैं। इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन० प्रभाकर (बाह्य-दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूं कि उन्हों ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के लिए चालीस लाख रुपया छात्रवृत्ति के लिए रखा है। पिछली बार अनुसूचित जाति के वक्ताओं ने मौलाना साहब से यह मांग की थी कि यह रकम थोड़ी है और इसको बढ़ाना चाहिए। इस बात पर

ध्यान दे कर इस बार यह राशि बढ़ा दी गई है। मेरी उनसे यही विनती है कि अगर अगले साल यह चालीस लाख से बढ़ाकर पचास लाख कर दी जाए तो और भी बेहतर होगा।

इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं। इस बार जो (उन्होंने) यह किया है कि बेसिक एजुकेशन के लिए प्राईमरी स्कूल खोले हैं वह एक अच्छा कदम है। बेसिक ऐजुकेशन की आज देश में बड़ी आवश्यकता है। किन्तु मैं यह चाहता हूं कि यह बेसिक ऐजुकेशन केवल प्रयोग की चीज़ ही न रहे बल्कि यह बराबर तरक्की करती रहे और बढ़ती रहे और इस को सीमा प्राईमरी ऐजुकेशन तक ही न रहे बल्कि इसकी सीमा बढ़कर सेकेंडरी ऐजुकेशन और कालिज तक पहुंच जाए। आज हम देख रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी हायर सैकिंडरी स्कूलों और विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर निकलते हैं उनकी नज़र एक ही तरफ होती है। वह सिर्फ नौकरी की ही तरफ देखते हैं और क्लर्क बनना चाहते हैं और इसी कारण आज बेकारी फैली हुई है। तो मैं मौलाना साहब से यही विनीत प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस बेसिक ऐजूकेशन को आगे बढ़ायें और उसके अन्दर नाना प्रकार के कार्य सिखाने का आयोजन करें।

इसके साथ ही मैं एक सुझाव और भी रखना चाहता हूं कि, जो भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय से निकलें उनके लिये एक साल का यह कोर्स भी होना चाहिये कि वह गांवों में जायें और गांवों में जा कर के वहां जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उन को साक्षर बनायें। तभी हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर बन सकेंगे।

इसके साथ ही वह विद्यार्थी यह भी देख सकेंगे कि हमारे देश की क्या अवस्था है और वह उसको उन्नत करने की कोशिश करेंगे।

इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से डाक्टरी की डिग्री लेकर निकलें उनके लिए भी यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वह एक वर्ष गांव में जाकर ग्रामीण जनता की सेवा करें और उनके स्वास्थ्य के लिये काम करें और उनके रोगों की चिकित्सा करें।

इसी तरह एक वर्ग ऐसा भी बनाया जाय कि वह विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनको सैनिक शिक्षण भी दे।

इसके इलावा एक चीज़ और कहना चाहता हूं, वह है पाठ्य पुस्तकों की बात। मैंने देखा है कि हमारे यहां प्राईमरी स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह ऐसी हैं कि उनमें भाषा की और व्याकरण की बहुत अशुद्धियां होती हैं। उन पुस्तकों को लगाने का एक ढंग होता है। वह ढंग यह होता है कि कुछ जो प्रकाशक लोग होते हैं वह उन लोगों के पास जाते हैं, जो उन सब-कमेटी में होते हैं, जो पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करती है और उन तक वह किसी तरह से लालच से या किसी और तरह से, अपनी एप्रोच करते हैं और ऐसी किताबें स्वीकृत करा लेते हैं जो कि त्रुटि-पूर्ण होती हैं और हमारे बच्चे उनको पढ़ते हैं। उनमें जो गलत अक्षरी (स्पेलिंग) होते हैं वही उनके दिमाग में जम जाते हैं। और वह आगे भी उसी तरह रहते हैं और उनका ज्ञान त्रुटि-पूर्ण होता है। तो मैं मौलाना साहब से प्रार्थना करूंगा कि विद्वान लोगों से सरकार की ओर से पाठ्य पुस्तकें लिखवाई जायें। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की

[श्री एन० प्रभाकर]

तरफ से प्रदेश सरकारों के नाम एक आदेश जारी किया जाय कि वे अपने यहां के विद्वानों से पाठ्य पुस्तकें लिखायें और वे पाठ्य पुस्तकें सरकार की ओर से छपवाई जावें और सर्व-सुलभ-मूल्य पर वितरित की जायें। आज विद्यार्थियों को जो पुस्तकें मिलती हैं उनकी कीमतें इतनी ऊंची होती हैं कि वह बरदाश्त नहीं की जा सकतीं। मेरी एक प्रकाशक से बात-चीत हुई। उस प्रकाशक ने बताया कि पुस्तकें बहुत सस्ती छप सकती हैं और बहुत सस्ते दामों में बिक सकती हैं। लेकिन जब हम किसी किताब को लगाना चाहते हैं तो उसके लिये हमें बहुत सारे दरवाजे देखने पड़ते हैं और उनको नाना प्रकार से खुश करना पड़ता है। जब उनको इस तरह खुश करना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि किताब का मूल्य कहां पहुंचता है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पाठ्य पुस्तकों को विद्वानों द्वारा लिख-वायें और वह सर्व-सुलभ-मूल्य पर वितरित की जायं।

मैं दिल्ली से आया हूं। मैं देखता हूं कि दिल्ली के आस पास के प्रदेशों (पंजाब और उत्तर प्रदेश) में अनुसूचित और जन-जाति के जो विद्यार्थी हैं उनको यूनिवर्सिटी में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो मैं यह नहीं समझ सकत कि दिल्ली ही में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्या-र्थियों को क्यों यूनिवर्सिटी-शिक्षा निःशुल्क नहीं दी जाती है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक स्वतन्त्र संस्था है। यह मैं मानता हूं किन्तु सरकार उसके लिये यह कह सकती है कि वह जनजाति और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की फ़ीस के रूप में सहायता दे सकती है।

इसके इलावा दिल्ली में जब अप्रैल का मास आता है तो मातापिता के लिए एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। दिल्ली में आप अप्रैल के महीने में देखेंगे कि माता-पिता स्कूलों के दरवाज़ों के ऊपर घूमते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं मास्टरों की खुशामदें करते हैं। हालांकि उनके बच्चे पास होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है और वे सर्टिफिकेट लेकर के स्कूलों के दरवाज़ों पर लाइनें लगा करके खड़े होते हैं किन्तु उनको कोई जगह नहीं मिलती है।

मगर वहां के जो मुख्य अध्यापक होते हैं वह कहते हैं कि हमारे यहां फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी और वह परीक्षा ऐसी होती है कि अगर वह प्राईमरी का विद्यार्थी है तो उससे मिडिल के प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर वह मिडिल का विद्यार्थी है तो उससे हायर सैकेंडरी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह की हालत यहां की दिल्ली की है। जिस पिता को अपने पुत्र को प्रविष्ट कराने में सफलता मिल जाती है वह समझता ह कि मुझे एक बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल गई है। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली के अन्दर यह जो स्कूलों की कमी है उसको देखते हुए उन को इस दिशा के अन्दर कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

मैं दिल्ली की एक और बवा के बारे बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर शिक्षा के अन्दर ब्लैक मारकेटिंग चली हुई है। दिल्ली के अन्दर जगह जगह गली के अन्दर स्कूल खुले हुए हैं और उनके अन्दर बड़ी बड़ी फ़ीस चार्ज की जाती हैं। प्रथम कक्षा में जहां कि क, ख, ग,

पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उससे पांच, पांच और छः छः रुपया प्रति महीना लिया जाता है जब कि प्राईमरी स्कूल जो कि म्युनिसिपल कमेटी की ओर से या सरकार की ओर से चलते हैं वहां वह शिक्षा निःशुल्क होती है । इसी तरह से जो हायर सैकेन्ड्री के स्कूल हैं या जो मैट्रिक के स्कूल हैं उनके अन्दर जहां तीन या चार रुपये फ़ीस ली जानी चाहिये, वहां दस दस और पन्द्रह पन्द्रह रुपये फ़ीस उन माता-पिताओं को देनी पड़ती है जिनके बच्चे किसी तरीके से स्कूल के अन्दर दाखिल नहीं हो पाते हैं । तो मैं शिक्षा मंत्री जी से, श्रीमन्, आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के स्कूलों के ऊपर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये और स्कूलों को बढ़ाना चाहिये । फिर इस तरह के स्कूलों के अन्दर अगर इतनी फ़ीस लेकर वह पढ़ा दें तो भी गनीमत है, लेकिन जो शिक्षा होती है वह एक अजीब और अनोखे ढंग की होती है । आप लोग भी रोज़ाना अख़बारों में देखते होंगे, मैं भी देखता हूं कि ३५ दिन के अन्दर अमुक परीक्षा पास करा दी जायेगी । छः महीने के अन्दर अमुक शिक्षा पास करादी जायगी, उसमें क्या होता है ज्ञानोपार्जन तो होता नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई ज्ञान तो होता नहीं है, उनको तोते की तरह रटवा दिया जाता है और परीक्षा में बिठा दिया जाता है । अगर भाग्य से वही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं जो उन्हें रटवा दिये गए हैं तो वह पास हो जाते हैं, अन्यथा वे अपने माता पिता के ऊपर एक प्रकार का बोझ हो जाते हैं ।

इस के अतिरिक्त मैं शिक्षा मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं । हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है । और वह हमारे देश का गौरव है । हिन्दी साहित्य एक बहुत बड़ा साहित्य है । उसके अन्दर सन्त साहित्य भी है, उसके अन्दर सब प्रकार का साहित्य है । किन्तु जब मैं हिन्दी का प्रचार कर के देखता हूं तो मैं पाता हूं कि हमारे इस देश की जो और भाषाएं हैं, मराठी है बंगाली है, उनके अन्दर तो उनके विश्व ज्ञान कोष मौजूद हैं, ऐनसाइक्लोपीडिया हैं, किन्तु जब मैं हिन्दी की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मुझ कोई ऐनसाइक्लोपीडिया, या यूं कहिये कि विश्व ज्ञान कोष, नजर नहीं आता । सन् १९१७ या १९१८ के अन्दर बंगाली के अन्दर विश्व ज्ञान कोष प्रकाशित हुआ था । उस का एक हिन्दी सस्करण निकला था जिसकी भाषा अधिकांशतः बंगाली जैसी ही थी और वह एक बड़ी विचित्र भाषा थी । उसके बाद मुझे कोई विश्व ज्ञान कोष नहीं दिखाई दिया । इस की बड़ी मांग है और बड़ी ज़रूरत है । इस की देश को बहुत आवश्यकता है । तो मैं मौलाना साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इस दिशा के अन्दर कदम उठायें और इस देश के विद्वानों को एकत्रित कर के विश्व ज्ञान कोष के लिये लगावें । मैं तो समझता हूं कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से संविधान के अन्दर हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना है उसी दिन से यह काम शुरू हो जाना चाहिये था आरम्भ हो जाना चाहिय था । बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे हिन्दी की हैं, लेकिन विश्व ज्ञान कोष एक ऐसी चीज़ है कि उस को सरकार या सरकार के सहयोग से ही बनाया जा सकता है । वह एक इतना बड़ा ग्रन्थ होता है ।

इस के अतिरिक्त मैं शिक्षा मंत्री जी देना चाहता हूं और वह सुझाव यह है कि हमारी जो और दूसरी भाषाओं का साहित्य है उस में जो अच्छी पुस्तकें हैं, उन का

[श्री एन० प्रभाकर]

सरकार की ओर से अनुवाद कराया जाना चाहिये।

इतना कहते हुए मैं फिर मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूं और दिल्ली में अप्रैल मास की ओर दिलाना चाहता हूं जब कि दिल्ली में माता पिता कठिनाई और संकट का अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो आने वाला अप्रैल मास है वह दिल्ली वालों के लिये एक संतोष का और सुख का महीना होगा, यदि उस ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री बहादुर सिंह: (फिरोजपुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति जी, आज हम शिक्षा विभाग की ग्रांट्स पर बहस करने लगे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि विद्या विभाग पर बहुत कम खर्च किया जाता है। देश में अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस अनपढ़ता को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खत्म करना चाहिये। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में जम्हूरियत फले फूले तो यह बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में जनता पढ़ी लिखी हो और उनका मन, उनका सोचने का ढंग और उनका हर कर्त्तव्य जमूहरी हो। मगर हम विद्या पर कम खर्च कर रहे हैं बहुत ही छोटी सी रकम इतने बड़े मुल्क के लिये खर्च कर रहे हैं जहां इतनी ज़्यादा अनपढ़ता है और जनाब वज़ीरे तालीम की जेब हमेशा खाली रहती है। अगर कहा जाय कि यह तो स्टेट सबजैक्ट है तो समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार में इस महकमे को रखने की क्या ज़रूरत है। पांचसाला योजना में भी तालीम को पांचवे दरजे पर ही रखा गया है जबकि इस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे प्रधान जी ने कहा है कि देश की और देश की जनता की तरक्की आखरकार विद्या पर ही निर्भर है। मगर हम सब जानते हैं कि क्या तरक्की हमारे देश ने विद्या में की है और क्या इस महकमे के नीचे वह कर रहा है।

कांग्रेस के नेता बड़े बड़े और छोटे सब ज़ोर से यह चिल्लाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि अंग्रेज़ ने देश को एक बहुत निकम्मा, खराब और घटिया दर्जे का तालीम का तरीका दिया है। मैं पूछता हूं कि आप ने पांच साल के अन्दर इस निकम्मे तरीक़े को ठीक करने के लिये क्या कुछ किया है? जितनी देश में अनपढ़ता है उस को कितनी हद तक दूर किया है? क्या उस में कोई कमी हुई है? तालीम के रंग रूप को, ढंग को क्या आपने बदला है? आप चाहते हैं कि टैक्निकल एजूकशन दी जाय लेकिन आपने इस के लिये क्या किया है? वही पुराना ढंग और वही पुराना पढ़ाई का तरीका है। देश की कुल आबादी में बहुत ऐसी जनता है जो कि बालिग़ है और अनपढ़ है। उस एडल्ट एजूकेशन के लिये, जो एडल्ट आदमी हैं, उन को एजूकेशन देने के लिये आपने क्या कुछ किया?

विद्या विभाग ने हम को ऐन्यूअल रिपोर्ट दी है। मैं ने उस को गौर से पढ़ा तो पाया कि उस में बहुत ज़्यादा ज़ोर आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, संस्कृति और ऐसी ही और ऐकेडैमी पर दिया गया है। मैं कला की अहमियत को कम नहीं करता मगर समय की मांग कुछ और है। लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोटी चाहिये अपना परिवार पालने के लिये कुछ न कुछ ज़रिया चाहिये। मगर हमारी सरकार

को कुछ फिकर है तो वह कल्चर की है आर्ट की है या संस्कृति की है। अभी चन्द दिन हुए देहली एक्सप्रेस में एक खबर निकली थी कि देहली में एक ग्रेजुएट रिक्शा चलाता है और एक एफ० ए० और मैट्रिक पास होटल में बिएरर का काम करते हैं इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मौलाना साहब और उनका शिक्षा विभाग कैसी उन्नति कर रहा है?

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) इस में बुराई क्या है?

श्री बहादुर सिंह: पहले तो देश में वैसे ही बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और अगर हैं भी तो वह बेचारे ऐसी बुरी हालत में हैं कि आज उन को कोई नौकरी नहीं मिलती। विद्या विभाग आज इस तरह की तरक्की कर रहा है और शायद इसी दिन को देखने के लिये शिक्षा पर ग्रान्ट्स मंजूर करायी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेकारी इस देश में फैले। आज जरूरत तो इस चीज़ की है कि विद्या के ढंग में हम को बदलाव करना चाहिये और तालीम के साथ २ टैकनिकल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिये। इस के साथ ही घरेलू दस्तकारी भी लड़कों को स्कूलों में सिखानी चाहिये और सब से ज्यादा लड़कों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाय और उन को फ़ीज़ीकल ट्रेनिंग देने पर भी ज़ोर देना चाहिए। आज बेचारे अध्यापकों की बुरी हालत है उनकी तनख्वाहें कम हैं लेकिन सरकार का रवैय्या उनके प्रतिसहानभूति का नहीं है और लाचार हो कर वह मजबूर हो जाते हैं कि वह अपनी मांगों के लिए जो कि बिल्कुल उचित हैं हड़ताल करें और हम देखते हैं कि यू० पी० में टीचरों की हड़ताल आजकल चल रही हैं, बजाय इसके कि उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जायें और उनको कछ रिलीफ दी जाय सरकार उन को जेल यात्रा करवा रही है। पंजाब में भी टीचरों की पिछले दिनों एक हड़ताल हुई और उनका एक डेपुटेशन मौलाना साहब से मिला और मौलना साहब ने उन से कुछ वायदे भी किय मगर अफसोस है कि वह वायदे ही क्या जो वफा हो गये और आज भी वह बेचारे उसी हालत में पड़े हुए हैं और उनकी बात कोई नहीं सुनता इसलिए आज़ आवश्यकता इस बात की है कि सरकार टीचरों की तनख्वाह बढ़ाये ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सकें और अपना गुजारा भी कर सकें। गवर्नमेंट ने एक युनिवर्सिटी कमीशन मुकर्र किया था और उस पर काफ़ी रुपया खर्च हुआ और उस कमीशन ने कुछ सिफ़ारिशें की मगर अफ़सोस है कि मुहकमा तालीम ने उन पर अमल नहीं किया अगर उसकी सिफ़ारिशों का यही हश्र होना था तो फिर और दूसरे जो कमीशन मुकर्रर किये गये हैं उनके सम्बन्ध मे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। हम प्राइमरी ऐज्युकेशन को फ्री और कम्पलसरी नहीं कर सके और यह होना बहुत ज़रूरी है। सेकेन्डरी ऐज्युकेशन का भी यही हाल है। अगर आप तालीम को ज़रूरी समझते हो और उसको अहमियत देते हो तो यह ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम देने का प्रबन्ध करना चाहिए।

मैं विद्या विभाग के मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ की जो अटानमी है उसको क़ायम रक्खा जाय और इंग्लैंड की तरह आप उनको रुपया तो दें लेकिन उनके मामलात में दखल न दें। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है देहली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरशिप को थोड़े दिन हुए अखबार में खबर आई थी कि उनको शिक्षा विभाग द्वारा मदाखलत करने की वजह से वाइस चांसलरशिप से इस्तीफ़ा देना पड़

[श्री बहादुर सिंह]

रहा है, उन्होंने ऐसा थोड़े दिन हुए अखबारों में एक बयान शाया किया था कि मुहकमे की मदाखलत की वजह से वह अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अगर सरकार इस तरह रोजाना आये दिन शिक्षा संस्थाओं के काम में मदाखलत करती रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि तालीम इस देश में कहां तक तरक्की कर पायेगी ? जरूरी यह है कि अगर कोई राज्य या प्रान्त अपने यहां यूनिवर्सिटी बनाना चाहे तो सरकार को उसे बनाने देना चाहिए, पेप्सू को अपने यहां यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत नहीं दी गयी जब कि दूसरे सूबों में एक नहीं बल्कि तीन, चार और पांच युनिवर्सिटीज तक चल सकती हैं मैं नहीं समझता कि पेप्सू वालों ने क्या क़सूर किया है जो वह अपने यहां एक युनिवर्सिटी भी न बना सके । जरूरत तो आज इस चीज की है कि देश में ज्यादा से ज्यादा युनिवर्सिटीज हों, ताकि तालीम देश में फैले, मगर सरकार शायद ऐसा समझती है कि जो नार्थ वाले लोग हैं उनको तालीम की जरूरत ही नहीं है, शायद इस लिए वह उनको अपने यहां यूनिवर्सिटी बनने की इजाजत नहीं दे रहे । सरकार को चाहिए कि देश में यूनिवर्सिटीज की तालीम का जो मियार है, वह ऊंचा करना चाहिए और बाहर से जो एक्सपर्ट्स् मंगवाने का रिवाज शुरू हुआ है, वह बन्द किया जाय, इसके बदले देश के अच्छे और योग्य विद्यार्थियों को बाहर से ट्रेनिंग दिलवा कर यहां मुल्क में इस्तेमाल किया जाय और अच्छे तरीके से उनसे फ़ायदा उठाया जाय ।

विद्या विभाग ने जो रक़म शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज पर खर्च करने के लिए रक्खी है, वह बहुत ही थोड़ी और नाकाफ़ी है जिससे यह पिछड़ी हुई जातियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, सोलह साल के बाद भी वह दबी हुई हैं, इसमें उन जातियों का अपना कोई क़सूर नहीं है समाज ने और सोसाइटी ने उनको दबा कर रक्खा है, उन पर इतनी थोड़ी सी रक़म खर्च करने से उनकी तरक्की नहीं हो सकती । सरकार को चाहिए कि वह इस रक़म को और बढ़ाये, मगर अफ़सोस है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे बहुत से कांग्रेसी नेता इस बात को कहते रहे हैं कि हम इनको डोल्स दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, लेकिन यह लोग आप से चैरिटी और डोल्स नहीं चाहते, आखिर इनकी मौजूदा हालत के लिए कौन कसूरवार है, उनका खुद तो कोई क़सूर नहीं है, आप उस अपने कसूर को छिपाने की गरज से कहते हैं कि हम उनको डोल्स और चैरिटी दे रहे हैं ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं जानना चाहता हूं कि किस ने कहा कि हम उनको डोल दे रहे हैं और चैरिटी दे रहे हैं, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री बहादुर सिंह : यह बात नागपुर में जब श्री जगजीवन राम के सभापतित्व में शेडयूल्ड क्लासेज और डिप्रेस्ड क्लासेज की कान्फ्रेन्स हुई थी, कही गयी थी ।

श्री के० डी० मालवीय : आप ने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, मैं तो उसके बारे में जानना चाहता था ।

श्री बहादुर सिंह : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा । यह लोग अपना वाजिब हक़ मांगते हैं, किसी से चैरिटी के तलबगार नहीं हैं । आखिर उन को उनके वाजिब हक़ से महरूम रखने, उनकी माली हालत, इक़्तसादी हाल और सियासी हालत के

खराब होने के जिम्मेदार हम और आप लोग हैं और यह सोसाइटी है, इसलिये ऐसी बातें कहना कि उन को खैरात देते हैं, चैरिटि देते हैं, ठीक नहीं है और बहुत अफ़सोस के काबिल बात है। अगर सरकार सचमुच दलित जातियों का उद्धार करना चाहती है और उनको ऊंचा करना चाहती है तो ऐसी कोई सौलिड और ठोस स्कीम लाय और उस पर अमल किया जाय। मैं यहां पर बता दूं कि सरकार द्वारा जो बैकवर्ड क्लासेज का कमीशन बनाया गया है, उस में पंजाब से जो एक आदमी लिया गया है, वह कांग्रेस का है, इसके अलावा उस कमीशन में ऐसे बहुत से शख्स हैं जो बैकवर्ड क्लासेज से कोई ताल्लुक नहीं रखते। यह बड़े अफ़सोस की बात है कि पंजाब से एक ऐसे आदमी को लिया गया है जो एक बहुत बड़ा लैंडलार्ड है और उसका हमेशा काम यही रहा है कि बैकवर्ड क्लासेज को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लायेट करे, भला बतलाइये ऐसा आदमी बैकवर्ड क्लासेज के लिए क्या खिदमत कर सकेगा और उनके बारे में सरकार को क्या ओपीनियन दे सकेगा।

वन मिनट प्लीज। सरकार दलित जातियों को इंजीनियरी, मेडिकल, ला और सोशियल सर्विस में वजीफ़ा देती है और अगर कोई लड़का दूसरे या तीसरे साल फेल हो जाय तो उसका वजीफ़ा बन्द कर दिया जाता है जब कि उसको कोर्स पास करने में केवल एक साल ही रह जाता है, चाहिए यह कि आप उसको एक साल का कंसेशन दें ताकि अगले साल वह पास होकर कोर्स कम्पलीट कर ले और उस पर जितना पैसा सरकार द्वारा खर्च किया गया है, वह बेकार न जाय और वह वहां से पास होकर किसी अच्छे काम की तरफ़ राग़िब हो सके। सरकार को चाहिए कि वह मिडिल ईस्ट पर जो रुपया खर्च कर रही है उसमें कमी करे, क्योंकि हमारा सम्बन्ध ईस्ट ऐशिया से ज्यादा है। सरकारी रिपोर्ट्स के देखन से मालूम होता है कि ज्यादा रुपया मिडिल ईस्ट पर खर्च किया जाता है, यह न होना चाहिए। बस मैं अब खत्म करता हूं।

श्रीमती गंगा देवी (जिला लखनऊ व जिला बाराबांकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, शिक्षा पर अपने कुछ विचार प्रकट करने का अवसर आप ने जो दिया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मुझे आपकी सेवा में इस समय केवल दो, चार ही बातें कहनी हैं। सब से पहले मैं इस चीज़ को कहना चाहती हूं, कि जिस समय यहां पर पहले पहल कांग्रेस मिनिस्ट्री आई उस समय ग्राम सुधार महकमा खोला गया था, जिसके जरिए यहां के ग्रामों में बहुत से स्कूल खोले गये और उन स्कूलों के द्वारा हमारी ग्रामीण जनता को बहुत लाभ पहुंचा। पुरुषों के साथ २ हमारी बहुत सी बहिनों ने भी उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त की मुझे स्वयं इस काम का अनुभव है, और मैंने भी उस समय ग्राम सुधार महकमे के काम में योग दिया और गांव २ में पाठशालाएं खोलीं जहां औरतों को बहुत अच्छी और उपयोगी शिक्षा दी गयी। उससे हमारी ग्रामीण जनता को बहुत लाभ हुआ। लेकिन उसके बाद जब दुबारा सन् ४६, ४७ में कांग्रेस मिनिस्ट्री आई सन् ४९, ५० में ग्राम सुधार महकमे को कोओपरेटिव महकमे के साथ मिला कर, इन को लगभग समाप्त ही कर दिया गया। मुझे इस महकमे के बन्द हो जाने का बड़ा अफसोस है, और मैं चाहती हूं कि ऐसा महकमा फिर खोला जाय, ताकि जिस प्रकार का काम ग्राम सुधार महकमे द्वारा

[श्रीमती गंगा देवी]

किया गया था, और जिससे ग्रामीण जनता में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ था, उन को भोजन के सम्बन्ध में जानकारी कराने और दस्तकारी और अन्य उपयोगी घरेलू शिक्षा दी गई थी और साथ ही कुछ धार्मिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी, और सामाजिक शिक्षा भी दी थी उसी प्रकार का कार्य ग्रामीण जनता में अधिक तेज़ी और सुन्दर ढंग से किया जाय।

७ म० प०

लेकिन अब कोई महकमा ऐसा नहीं है जिससे कि हम ग्रामीण जनता के लिये सरकार की तरफ़ से कोई काम करवा सकें। इस के लिये मुझे सरकार से और शिक्षा मंत्री से सानुरोध कहना है कि वह ऐसा महकमा फिर शुरू करें जिसके द्वारा ग्रामीण जनता में शिक्षा का प्रसार अधिक उन्नत ढंग से हो सके।

दूसरी बात यह है कि हमारी जनता में बेसिक एज्युकेशन बहुत ज़रूरी है। यह कुछ दिनों से चालू भी की गई है, और मैं आशा करती हूं कि चूंकि भविष्य में यह बुनियादी शिक्षा अधिक उन्नति के साथ जनता की सेवा कर सकेगी। इस समय जो भी बेसिक स्कूल हैं उन में जो शिक्षा दी जा रही है वह अच्छे ढंग से नहीं दी जा रही। बेसिक शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थियों का भावी जीवन स्वावलम्बी बन सके।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए जो स्कालरशिप्स की ग्रान्ट थी वह बहुत कम थी, लेकिन फिर मंत्री महोदय ने हम लोगों की प्रार्थना, अनुरोध स्वीकार किया, और हम लोगों की कमी को महसूस करके उस स्कालरशिप्स के ऐमाउन्ट को काफ़ी तादाद में बढ़ाया जिस के लिये मैं उन को हृदय से धन्यवाद करती हूं। लेकिन जितना रुपया उन्होंने इस वर्ष एज्युकेशन के लिए दिया है वह काफ़ी नहीं है। हमारे बहुत से विद्यार्थियों की कमी उस से पूरी नहीं हुई इस समय विद्यार्थियों को जो खास कमी है। वह पैसे की है। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ वजीफ़े पर ही अपनी शिक्षा चालू रखे हुए हैं। उन के लिये बीस, तीस रुपये, ३५ रुपये या ४५ रुपये काफ़ी नहीं होते हैं। इस लिये अपने शिक्षा मंत्री से इस बात के लिये मैं फिर प्रार्थना करती हूं कि वह इस बजीफ़े के ऐमाउन्ट को अधिक तादाद में बढ़ायें। कम से कम ७० लाख रुपया होना चाहिये। यदि हरेक विद्यार्थी को कम से कम ५०, ६०, ७५ और ८० रु० दिया जायेगा तभी उन की कमी की पूर्त्ति हो सकती है। क्योंकि इस समय जितनी ज़रूरत हमारे लड़कों को शिक्षा की है उतनी ही लड़कियों को भी है। इस समय पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद इतनी नहीं है जितनी कि पढ़ने वाले लड़कों की है लेकिन, आने वाले वर्षों में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद भी और दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। इस लिये इतने पैसे से हमारा काम नहीं चल सकेगा। बहुत से लड़के जो मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, ओवरसियर्स के विद्यार्थी हैं, उन को जो मदद दी जा रही है वह बहुत कम ह यनिवर्सिटी रिपोर्ट में भी इस चीज़ की सिफ़ारिश की गई थी कि कम से कम ७५ रुपया हर एक विद्यार्थी को दिया जाय, लेकिन इस के बावजुद अधिक विद्यार्थियों की सहायता करने के अभिप्राय से थोड़े पैसे में से ही इस वर्ष

(५२-५३) में २५, ३०, ४०, ५० देकर ही उनको सान्त्वना दे दी गई है जिसे प्राप्त कर उन विद्यार्थियों की किसी हद तक पूरी हो सकी है। इसके लिये मैं यही कहूंगी कि वजीफे के लिये जो ग्रान्ट दी गई है (५२-५३) उस को कम से कम ७० लाख रुपया कर दिया जाय, जिस से कि, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ रहे हैं वे अच्छी तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें, और उन का मानसिक विकास अच्छी तरह हो सकें वह भी मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर के समाज में आयें इसके लिये मैं आशा करती हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और आये वर्ष में इस ग्रान्ट को ज्यादा तादाद में रखने का कष्ट करेंगे।

इसके पश्चात् मैं फ़ारेन स्कालर्शिप के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। फ़ारेन स्टेडी के लिये जो स्कालर्शिप थे और जो गत कुछ वर्ष से बन्द कर दिये गये हैं केवल शेड्यूल्ड कास्टे और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये ही उन वजीफ़ों को फिर से जारी किया जाय। जिस में हमारे विद्यार्थी विदेशों में जा कर के टकनिकल एजुकेशन प्राप्त करें और अपने देश में आकर के उस शिक्षा को अपने देश में, अपनी जनता में चालू रक्खें। इसके. लिये मैं आशा करती हूं कि फिर से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये फ़ारेन स्टडी के सम्बन्ध में गवर्नमेंट रुपया देना मंजूर करेगी।

आज देश में ऐसी संस्थायें हैं जैसे हरिजन सेवक संघ, जिनमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो कि विद्यार्थियों को अपनी जीविका कमाने योग्य बना सके। लेकिन इस समय वहां जो शिक्षा दी जा रही है वह बिल्कुल अधूरी है। उस से विद्यार्थी इस योग्य नहीं हो पाते हैं कि कोई काम पूर्ण रूप से कर सकें। इन संस्थाओं में काफ़ी धन आता और हरिजनों के नाम से वह धन न जाने कहां खर्च हो रहा है। इस कारण मैं समझती हूं इस पैसे का सदुपयोग करने के लिये अगर आप ऐसी संस्थाओं को अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह से उन का इन्तजाम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लड़कियों के लिये, स्त्रियों के लिये ऐसे स्कूल होने चाहियें जहां पर उन को दस्तकारी की और इन्डस्ट्रियल शिक्षा इस प्रकार की दी जाय जिससे वह बहुत सी चीज़ें बना कर के तैयार कर सकें। स्त्रियां जो कि उच्च शिक्षा नहीं पा सकती हैं जिन की कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अनक स्त्रियां हमारे यहां हैं जो कुपथ पर चली जाती हैं सिर्फ इसीलिये कि उन का कोई रक्षक नहीं है। कोई उनका सहायक नहीं होता। ऐसी स्त्रियों के लिये मेरा सरकार से विशेष तौर से अनुरोध है कि ऐसी पाठशालायें खोली जायें जहां पर उन को अच्छी दस्तकारी की शिक्षा दी जाय। हमारे बाज़ारों में बहुत से खिलौने हैं जो बाहर से आते हैं, और चीज़ें भी ऐसी आती हैं, उन को लोग बड़े चाव से ज्यादा कीमतों पर खरीदते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि ऐसी ऐसी चीजें बनाने की शिक्षा देने के लिये स्कल खोले जायें जिस में वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर के ऐसी चीजें घर में ही तैयार करें और बाज़ार में बेचें। और अच्छी तरह से वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी शिक्षा देने के लिये जगह जगह स्कूल खोलने चाहियें, गांव गांव में स्कूल होने चाहिये, जब तक हम जगह जगह स्कूल खोल कर शिक्षा अनिवार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी शिक्षा की कमी

[श्रीमति गंगा देवी]

पूरी नहीं होगी। हमें बहुत जल्दी निरक्षरता को अपने देश से दूर करना है। जिस तरीके से आज कल यह काम चल रहा है, हमारी निरक्षरता बहुत अर्से तक दूर नहीं हो सकती। इसलिये मैं चाहती हूं कि खास तौर से हमारे गांवों में जहां दूर दूर तक भी शिक्षा का नाम नहीं है वहां उस का इन्तजाम किया जाय। ऐसी बहुत सी जगहें मैंने देखी हैं जहां लड़के, लड़कियां और स्त्रियां बिल्कुल अशिक्षित हैं। जिन्होंने स्कूलों का दर्शन कभी भी नहीं किया है। उन के लिये स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं. अपनी बात खत्म करती हूं और अध्यक्ष महोदय को मैं फिर धन्यवाद देती हूं।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज संसद् में जितने भाषण हुए दो एक को छोड़कर बाकी सभी हिन्दी में हुए और मेरा ख्याल है कि ऐजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए यह एक चेतावनी है कि वह अब हिन्दी की उपेक्षा न करे। अब वह अपनी भाषा को इस तरह चमकाये ताकि देश को अपनी भाषा पर गर्व हो सके। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि देश का उत्थान शिक्षा पर आधारित है। जिस देश में शिक्षा की जैसी प्रगति होगी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे तीव्रमस्तिष्क काय करेंगे वैसी ही शिक्षा की उन्नति होगी और देश का उत्थान उसी अनुपात से होगा। आज पूर्व के देश या पश्चिम के देश जो भी हवाई वेग से उड़ रहे हैं महज उसका कारण यह है कि वह अपनी शिक्षा के बल पर निर्भर करके ऐसा कर रहे हैं। अपनी भाषा पर, अपनी शिक्षा पर, अपनी संस्कृति पर और अपने साहित्य पर उनको नाज़ है। और इसी लिये वे आज इतने ऊंचे हैं कि वह आज दूसरे देशों से होड़ लगाकर आगे जा रहे हैं। क्या हम भी यह आशा करें कि हमारे देश में शिक्षा की प्रगति अच्छी होगी? लेकिन पिछले पांच वर्षों में जो हमन देखा है उससे हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे देश में शिक्षा की प्रगति हो सकेगी। जो प्रतिशत सन् १९४७ में था मेरा ख्याल है कि वह प्रतिशत बहुत कम बढ़ा है। हमारे संविधान में एक जनतंत्रीय शासन स्वीकार किया गया है। जनतंत्रीय शासन का यह मतलब है कि जनता अपना मतदान करके स्वयं राष्ट्र का शासक बनावे। पर अपना मत देने के लिये जनता में इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह सोच सके कि हमारे राष्ट्रका नायक कैसा होना चाहिए। आज जब हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमारी जनता कैसे सोच सकती है कि हमारे राष्ट्र की रूप रेखा क्या हो, हमारे राष्ट्र के शासन का प्रबन्ध कैसा हो और हमारा राष्ट्र कैसे शासित हो। यह सोचने की शक्ति जनता का कैसे मिले जब कि शिक्षा की नितान्त कमी है। आज जिन लोगों ने मत दिया है या शिक्षा के अभाव में जो भविष्य में भी मत देंगे वह इस बिना पर नहीं कि उन्होंने गहराई से इस बात को सोचा है या सोचेंगे कि हमारे मुल्क में कैसा शासन होना चाहिए, बल्कि इस बिना पर कि अगर सुबह किसी का नारा बुलन्द हुआ और शाम को दूसरा नारा उससे जोरदार बुलन्द हो गया तो उसी को वोट देना चाहेंगे या अगर दूसरे दिन दूसरा नारा बुलन्द हुआ तो फिर बदल जायेंगे। जनता में खुद शक्ति कैसे आये

जब तक शिक्षा न हो जिससे कि वह सोच सके कि वास्तव में किस पार्टी और किस दल के क्या सिद्धान्त और उसूल हैं और किसका अनुसरण करके हम अपने देश में अच्छा प्रबन्ध कर सकते हैं। यह अलग चीज है कि कांग्रेस शासन में आई है। मैं कांग्रेस की बुराई नहीं करता कि जनता ने उसे गलती से निर्वाचित किया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हो सकता है कि जनता कभी बहुत भारी भूल करदे जिससे देश को भारी हानि हो।

शिक्षा के वास्तव में तीन रूप हैं एक तो प्राथमिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक शिक्षा और तीसरी अन्तिम शिक्षा। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है हमारे संविधान में यह कहा गया है कि दस वर्ष में प्राथमिक शिक्षा हमारे देश में अपना पूर्ण अधिकार जमा लेगी। लेकिन यह केवल संविधान के शब्दों में ही है और संविधान की किताब में है। वास्तव में वह चीज कार्य रूप में नहीं लाई जा रही है। अभी अभी त्रिवेंद्रम में जो शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसमें केन्द्रीय सरकार के एक सचिव ने यह निराशा प्रकट की थी कि दस वर्ष में प्राथमिक शिक्षा अपना पूर्ण रूप ले लेगी यह नितान्त असम्भव है। इसका मतलब यह है कि संविधान ने जो चीज स्वीकार की है सरकार उसका अनुसरण नहीं कर रही है और न अनुसरण करने की आशा है। सन् १९३८ में त्रिपुरी काँग्रेस में आचार्य नरेन्द्र देव जी ने एक प्रस्ताव रखा था और उसका समर्थन श्री कृपलानी जी ने किया था। उसमें बेसिक ऐजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया था और उसका ऐक्सपैरिमेंट भी किया गया। सन् १९४५ में उसके जो विद्यार्थी सेवाग्राम से निकले वह इतने अच्छे निकले कि उनमें हाईस्कूल तक की शिक्षा की योग्यता थी और उनमें स्वावलम्बी होने की शक्ति थी। वह कताई बुनाई कर सकते थे और गांवों में जाकर ग्राम सेवा भी कर सकते थे और जनरल नालिज भी उन में काफी थी। गांधी जी ने भी उस चीज का समर्थन किया। अगर उसी बेसिक ऐजुकेशन को हम ले लें तो शायद हम कुछ जल्दी सफल हो जायं लेकिन कांग्रेस ने रिजोल्यूशन के रूप में जिस चीज को स्वीकार किया आज सरकार के रूप में उसे स्वीकार नहीं कर रही है।

दूसरी चीज है माध्यमिक शिक्षा के बारे में यानी सैकिंडरी ऐजुकेशन के बाबत। सरकार ने सन् १९५२ में एक सैकिंडरी ऐजुकेशन रिआरगेनाइजेशन कमीशन नियुक्त किया था और उसकी बुनियाद पर यह आशा की जा सकती थी कि मुमकिन है कि उसकी रिपोर्ट के अन्दर कोई अच्छा कदम होगा। लेकिन दैनिक पत्रों में जो उसकी रूप रेखा देखी जाती है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इस पक्ष में है कि हम अब भी राष्ट्रभाषा को उसका स्थान दें और देश में शिक्षा की नयी प्रगति लायें। ताकि शिक्षा का प्रसार जोरों से हो और लोगों में शिक्षा बढ़े। एक तो उसमें ऐसे आदमी रखे गये हैं जिन्हें अपनी राष्ट्रभाषा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। एक तो उसमें श्री लक्ष्मण स्वामी मद्रास युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और उनके साथ दो विदेशी नियुक्त किए गए हैं। आज भी हमारी शिक्षा की जो रूप रेखा है वह विदेशियों की राय से बनेगी। वह विदेशियों की राय से बनेगी और ऐसे लोगों की राय से जो कि अंग्रेजी के समर्थक हैं। तो आज भी हमें अपनी सैकिंडरी एजुकेशन की कोई विशेष

[श्री बी० डी० शास्त्री]

अच्छी रूप रेखा नहीं दिखाई देती कि जिससे हमारी कोई प्रगति होगी। और ऐसा बल मिलेगा जिससे हम शिक्षा की प्रगति और ज्यादा जोरों से बढ़ा सकेंगे।

तीसरी चीज है युनिवर्सिटी एजुकेशन की बाबत। वास्तव में आज के दिन हमारी युनिवर्सिटी एजुकेशन तो निहायत बेकार है। किसी जमाने में जो इस युनिवर्सिटी की रूप रेखा खींची गई थी तो महज इस लिहाज से कि वह अंग्रेजों का शासन था, वह सोचते थे कि एसे लोग निकलें जो हमारी सेवा कर सकें, गुलामी कर सकें, थोड़ा थोड़ा सा हर विषय का ज्ञान रखने वाले हों और वह क्लर्क और सुपरिन्टेंडेंट आदि बन सकें और वह हमारी खुशामद कर सकें। परन्तु अब जब कि हमारे बड़े बड़े नेता युनिवर्सिटियों के कनवोकेशनों में जाते हैं तो उनके उद्घाटन के समय अपने यही उद्गार प्रकट करते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही है और वह विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हैं। उनकी यह राय है कि इस शिक्षा प्रणाली से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। वह भी इस बात को सोचते हैं पर वास्तव में कार्य रूप में उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। ज़रूरत इस बात की है कि हम अब जो अपनी युनिवर्सिटी की शिक्षा की रूप रेखा बनावें वह ऐसी हो कि एक विद्यार्थी किसी एक विषय को लेकर उसमें विशेष योग्यता प्राप्त करे, चाहे वह अर्थशास्त्र का विषय हो, चाहे दर्शन शास्त्र का विषय हो या समाज शास्त्र का विषय हो। जो भी विषय हो उसमें वह पूरी रिसर्च करें और उसमें विद्वत्ता प्राप्त करें।

और दूसरी बात यह है कि उनमें हम टैकनिकल ऐजुकेशन का ज्यादा प्रसार करें। हमको चाहिए कि हम ज्यादा डाक्टर पैदा करें ज्याद टैक्निशियन पदा करें। वास्तव में देश को इन चीजों की ज्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि यह पैदा कैसे हों। एक तो ऐसे लोगों के लिए स्थान बहुत कम है। अब जो साइंस लेकर फ़र्स्ट क्लास पास हो उसकी भी एक सप्लीमेन्टरी परीक्षा ली जाती है। उस परीक्षा में भी निकले और फिर भी कोई सिफ़ारिश वग़ैरह हो उसके बाद उसको इंजीनियरिंग में भरती किया जाता है। इसी तरह कहीं मैडिकल में भरती किया जाता है। तो बड़ी मुश्किल से भरती की जाती है। मैं समझता हूं कि एक प्रान्त में से दो चार दस लड़कों से ज्यादा भरती नहीं किए जाते। आज जिस चीज़ की इतनी जरूरत है उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। और जो हमारे कालिजों से बी० ए० या एम० ए० पास करके निकलते हैं बेकारी की वजह से उनके मस्तष्कि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह सोचते हैं कि हमने इतना परिश्रम करके और इतना पैसा खर्च करके यह शिक्षा पाई है किन्तु हमारी सरकार के पास ऐसा साधन नहीं है कि वह हमको रोजी दे सके। तो ऐसे लोग जाकर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह हिंसावादी विरोधी शक्ति में और अधिक प्रगति पैदा करते हैं।

अब दूसरी चीज मैं हिन्दी के बाबत कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दी के बाबत अभी कई लोगों ने कहा। लेकिन अभी लखनऊ में श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने अंग्रेजी को थोड़ी सी उच्चता दी और

उसका बुरा असर देश में हुआ है, क्योंकि लोगों में एक विश्वास होने लगा है कि वास्तव में अंग्रेजी एक समृद्ध चीज़ है, उसको फिलहाल देश में रखना चाहिए। यही नहीं हमारे राजा जी ने भी कहीं मद्रास में भाषण दिया था और उन्होंने उस में अंग्रेजी को सरस्वती का वरदान कहा। मुझे बड़ा दुःख है कि जब संविधान निर्माण का समय था तब भूल गए थे कि वह सरस्वती का वरदान थी। संविधान बनाया तब तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया लेकिन जब हम बंधे हुए हैं और संविधान के खिलाफ़ एक शब्द नहीं कह सकते, तो अंग्रेज़ी को सरस्वती का वरदान कहना कहां तक उचित हो सकता है।

श्री के० डी० मालवीय: क्या राजाजी ने जो कहा कि अंग्रेजी भाषा को सरस्वती का वरदान है, तो वह क्या हिन्दी का विरोध है ?

श्री बी० डी० शास्त्री: हिन्दी का विरोध नहीं तो क्या है ? अंग्रेज़ी को प्रश्रय देना हिन्दी का विरोध है, हिन्दी के विपरीत है। अगर अंग्रेज़ी को सरस्वती का वरदान समझते हैं तो इसके माने हैं कि अंग्रेज़ी की रक्षा हो। हो सकता है कल वह अंग्रेज़ी शासन को लक्ष्मी का वरदान कहें।

एक माननीय सदस्य: वह तो है।

श्री बी० डी० शास्त्री: वह तो है, और शायद आप लोगों की कृपा से वह फिर आ जाय।

मैं यह कहने जा रहा हूं कि हिन्दी भाषा आप की है, बहुत सम्पन्न भाषा है। हिन्दी भाषा तो दस, पन्द्रह, बीस वर्ष पहले दुबली पतली भाषा थी, उस ने अब फ़िलहाल साहित्य के स्तर में बहुत प्रगति की ह और आज एम० ए० के स्टैंडर्ड को हिन्दी भाषा हो गई है। हिन्दी भाषा वास्तव में हम देखें तो यह एक संस्कृत की प्रसूत भाषा है। संस्कृत भाषा ने इस भाषा को पैदा किया है और संस्कृत भाषा में वह शक्ति है कि विश्व की किसी भाषा में भी और साहित्य में वह शक्ति नहीं है। आज हमें गौरव होना चाहिए कि आज जर्मन अगर इतरा रहे हैं, उन्हें गर्व है और गौरव है तो संस्कृत भाषा पर है। आज हमारे देश की यह संस्कृत भाषा जर्मन में जाने कितना अधिक अधिकार ले चुकी ह। जर्मन को हम देखें तो हम पावेंगे कि हमारे वेदों की कितनी ऋचाएं और संहिताएं वास्तव में हमारे देश में अप्राप्य है, लेकिन अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तो जर्मन में पा सकते हैं। और अभी इस महायुद्ध से पूर्व जर्मनी की वैज्ञानिक स्थिति क्या थी, यह किसी से छिपी नहीं है। तो इतनी सम्पन्न भाषा, संस्कृत, जिस को न समझने वाले, मृत भाषा कहते हैं, फिर भी वह अमर भाषा है। अमर भाषा संस्कृत का पर्यायवाची शब्द है। तो जिस अमर भाषा का संरक्षण हिन्दी को प्राप्त हो उस को हम कमज़ोर कहें तो हमारे लिए हम नहीं समझते कि यह कहां तक उपयुक्त है।

तीसरी चीज़ जो हम को कहनी है वह यह है कि संस्कृत को भी कम्पलसरी एजुकेशन में रखा जाय। कम से कम सैकंडरी एजुकेशन तक तो संस्कृत को भी कम्पलसरी रखा जाय और उस के साथ आयुर्वेद का भी ज्ञान हो, ताकि लोग कम से कम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए डाक्टरों की शरण न लें।

अब हस एम चीज़ और बता देना चाहते हैं। आज सब से बड़ा जो प्रश्न है वह है

[श्री बी० डी० शास्त्री]

बैकवर्ड क्लास की शिक्षा की प्रगति का। लोग इस चीज की मांग करते हैं कि बैकवर्ड क्लास में शिक्षा की प्रगति होनी चाहिये तो वस्तुतः यह देश की एक पुरानी बात है। हम देश के प्राचीन और अचिर अतीत इतिहास को भी देखें, राजा भोज के जमाने पर, भोज काल पर, दृष्टिपात करें, तो हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान वास्तव में शिक्षा में कितना समृद्ध था। शिक्षा केवल किसी वर्ग विशेष या किसी समाज विशेष तक सीमित नहीं थी। शिक्षा व्यक्ति व्यक्ति की वस्तु थी। राजाभोज काव्य के बड़े शौक़ीन थे। एक समय राजा भोज..

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को पहले ही १४ मिनट दे चुका हूं। अन्य सदस्यों को मैंने केवल १० मिनट दिए थे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये।

सदस्यों द्वारा सचिव को १८ कटौती प्रस्तावों की सूचना दी गई है। माननीय सदस्य अब उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्न विषयों पर निम्न सदस्यों द्वारा निम्न मांगों के सम्बन्ध में निम्न कटौतियां प्रस्तुत की गईं :

बिना मूल्य तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): शिक्षा मन्त्रालय—१०० रुपये।

संभरण से इन्कार

श्री केलप्पन (पोन्नानी): शिक्षा मन्त्रालय—१ रुपया।

बिना मूल्य तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : शिक्षा मंत्रालय—१०० रुपये।

बिना मूल्य तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सारे शिक्षकों के लिए समान तथा वर्धित वेतन-दर

श्री के० एस० राव (एलूरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : शिक्षा मन्त्रालय—१०० रुपये।

शिल्पिक अध्ययन के अखिल भारतीय पर्षद् द्वारा चलाई गई ई० एफ० सी० बी० की वाणिज्य तथा व्यापार प्रबन्ध की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को पदवियां देने में उपेक्षा

श्री नम्बियार (मयूरम्) : शिक्षा मंत्रालय—१०० रुपये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को बिना मूल्य तथा अनिवार्य शिक्षा

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचि जातियां) : शिक्षा मन्त्रालय—१०० रुपये।

महाराष्ट्र के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों तथा किलों का संरक्षण।

श्री पी० एन० राजभोज : पुरातत्व—१०० रुपये।

(१) बेसिक तथा समाज शिक्षा में पूर्ववर्तिता ।

(२) माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्षेत्र ।

(३) भारतीय ब्रेल में पुस्तकें छपवाने के अपर्याप्त प्रबन्ध ।

श्री बैरो : शिक्षा मंत्रालय--प्रत्येकी १०० रुपये ।

(१) शिक्षा के लिए विदेशों में जाने वाले अनसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्तियों की अपर्याप्तता ।

(२) शिक्षकों की अवदशा ।

श्री राजभोज : शिक्षा मंत्रालय--प्रत्येकी १०० रुपये ।

(१) भारत भर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ।

(२) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को अपर्याप्त आर्थिक सहायता ।

(३) शिक्षकों की अवदशा ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : शिक्षा मंत्रालय--प्रत्येकी १०० रुपये ।

अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों के वितरण सम्बन्धी नीति ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : शिक्षा मंत्रालय--१०० रुपये ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए शिष्यवृत्तियों का अपर्याप्त प्रबन्ध ।

श्री नानादास : शिक्षा मंत्रालय--१०० रुपये ।

शैक्षणिक नीति तथा विदेशीय शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए अपर्याप्त छात्रवृत्तियां ।

श्री जाटववीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : शिक्षा मंत्रालय--१०० रुपये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, २० मार्च, १९५३ क दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।